राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ७७ वां दिवस [संख्या ३६

मंगलवार, दिनांक १८ जुलाई, ६७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन

तारांकित प्रश्नोत्तर

(अकाल राहत, कृषि, आबकारी, राजस्व, सहकारी, वित्त, उपनिवेशन, खाद्य, पंचायत व विकास–विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री खेतसिंह !

जोधपुर जिले में अकाल राहत कार्य

८६८. श्री खेत सिंह (शेरगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर जिले में जिला स्तर पर अकाल राहत कार्यों की देख रेख के लिये कितने सदस्यों की समिति बनी हुई है ?

(२) इस वर्ष जो कार्य चालू किये गये हैं, वे सब इस समिति की मंजूरी से प्रारम्भ किये गये हैं अथवा जिलाधीश ने अपनी मर्जी से ही प्रारम्भ कर दिये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि कई ऐसे कार्य जिलाधीश ने जिले के विभिन्न गांवों में प्रारम्भ किये हैं जिन्हें वहां की जनता कतई नहीं चाहती है ?

(४) क्या यह भी सही है कि अधिकांश ऐसे कार्य शुरू किये गये हैं जिनमें मजदूर तो कम से कम लगते हैं और सामान की खरीद लाखों रुपयों की कर ली गई है ?

उप मन्त्री, अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जोधपुर जिले में जिला स्तर पर २ समितियों का गठन किया गया है, जो निम्न प्रकार है :

अ. जिला राहत परामर्श समिति— सदस्य संख्या ३२

ब. जिला राहत कार्य समिति—सदस्य संख्या ६

(२) इस वर्ष जिले में जितने अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं, जिला स्तरीय कार्य समिति की स्वीकृति के अनुसार ही प्रारम्भ किये गये हैं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया जो कि उक्त समिति की स्वीकृति के बिना हो ।

(३) ऐसा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया ।

(४) नहीं ।

Page No. 2

श्री खेत सिंह : यह कौनसी तारीख को मीटिंग हुई थी और उसमें कौन कौन सदस्य उपस्थित थे ?

श्री गंगाराम चौधरी : पिछले अर्से में अलग अलग कमेटियां हुई हैं, जिनकी तारीखें मेरे पास नहीं हैं।

श्री खेत सिंह : आपने जवाब दिया है कि जिला राहत समिति को पूछ कर कार्य प्रारम्भ किये गये, यह कौनसी तारीख को बैठक हुई और कौन कौन सदस्य उसमें उपस्थित थे ?

श्री गंगाराम चौधरी : तारीखों की तो जानकारी नहीं है। सलाहकार समिति की और कार्य समिति की बैठकें हुई हैं, इनकी सलाह से कार्य प्रारम्भ किये गये हैं।

श्री खेत सिंह : मेरे क्वेश्चन को पढ़ते तो मैंने इसी लिये प्रश्न पूछा है। आपने कहा कार्य समिति को पूछ कर, सदस्यों की सहमति ले कर कार्य प्रारंभ करवाये गये। १४ मार्च को पहली बैठक हुई थी, कौन कौन सदस्य उपस्थित थे ? गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : १४ मार्च को बैठक को अलग सूचना नहीं है पर ज्यों ज्यों आवश्यकता हुई, बैठकें होती रही हैं।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो जवाब नहीं हुआ। मैंने साफ पूछा है कि कौन कौन सदस्य हैं, मीटिंग कब हुई, सभी सदस्य उपस्थित थे या नहीं, कितने सदस्य उपस्थित थे ? इन्होंने तो कह दिया कि सब को पूछ कर कार्य प्रारंभ किये गये।

श्री अध्यक्ष : कौन कौन से नहीं, कितने सदस्य हैं, यह आपने पूछा है। संख्या दे दी गई हैं। प्रत्येक कमेटी में कितने सदस्य थे, यह संख्या दे दी है। कब हुई, कितने सदस्य थे, यह अलग प्रश्न हैं।

श्री खेत सिंह : कमेटी की मीटिंग में निर्णय हुए और काम कराये गये हैं। मन्त्री महोदय को देखना चाहिये कि जो काम कराये गये हैं, उसके पीछे समिति का रेजोलूशन है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया कि स्वीकृत है। आपके पास विशेष मेटिरियल हो तो वह सीधा सा रख दीजिये।

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी हाउस में करीब ७ सदस्य बैठे हैं उस कमेटी के, एक को भी पूछ लीजिये कि जिलाधीश ने उनको पूछ कर ये कार्य प्रारंभ किये हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह मेरा काम नहीं है इन्ट्रोगेट करने का।

मन्त्री अकाल राहत (श्री वृज सुन्दर शर्मा) : प्रश्न २ है इसमें पूछा गया है : "इस वर्ष जो कार्य चालू किये गये हैं, वे सब इस समिति की मन्जूरी से प्रारंभ किये गये हैं अथवा जिलाधीश ने अपनी मर्जी से ही प्रारंभ कर दिए हैं ?" इसका जवाब साफ है कि जिलाधीश ने अपनी मर्जी से नहीं समिति की मंजूरी से

Page No. 3

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

किये हैं। किसी काम के बारे में पूछते हैं कि कौनसी मीटिंग में तय हुआ। तो यह सप्लीमेंटरी इसमें अराइज नहीं होता।

श्री खेत सिह : १४ मार्च को पहली बैठक हुई थी। मेरे क्षेत्र शेरगढ़ में जितने कार्य प्रारंभ किये गये हैं, उनमें न तो मेरी राय ली गई है और न किसी भी गैर सरकारी सदस्य की।

श्री बृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : तो आप अनुपस्थित थे।

श्री खेतसिंह : हमको बुलाया ही नहीं। प्रश्न के भाग ४ में पूछा है कि "क्या यह भी सही है कि अधिकांश ऐसे कार्य शुरू किये गये हैं जिनमें मजदूर तो कम से कम लगते हैं और सामान की खरीद लाखों की कर ली गई है ?" ऐसे कार्य किए हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने कहा न 'जी नहीं।'

श्री खेतसिंह : पाश्चर डेवेलपमेंट के जितने कार्य जोधपुर जिले में किए हैं वहां ३ लाख के बार्ब्ड वायर खरीदे हैं, मजदूर मुश्किल से दो-तीन हजार के लगे होंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पाश्चर डेवेलपमेंट के लिए बार्ब्ड वायर लगाए हैं, डेजर्ट एरिया में खाइयां खोदी नहीं जा सकतीं, रेत ढह जाती है इसलिए बार्ब्ड वायर लगाये है, बार्ब्ड वायर २७,९७६ रुपये के खरीदे गए।

श्री खेतसिंह : जिस गांव की आबादी ४ हजार की है, वह गांव फेमीन में आया है, वहां आपने अपनी मर्जी से पाश्चर डेवेलपमेंट का काम प्रारम्भ कर दिया, लाख-लाख रुपये के बार्ब्ड वायर भेज दिये। तीन दिन मजदूरों को मजदूरी दी, यह क्या रिलीफ वर्क है ? किसको रिलीफ मिला है इससे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ५९५ मजदूरों ने काम किया है। बिना बार्ब्ड वायर के पाश्चर डेवेलपमेंट इन्कम्प्लीट होता है। २७ हजार के बार्ब्ड वायर आये हैं।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता, माइक पर मुंह नहीं रखते।

श्री अध्यक्ष : माइक में डिफेक्ट है, मुंह तो माइक पर ही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें ५ पाश्चर डेवेलपमेंट के काम शुरू हुए हैं, जिसमें २७ हजार के बार्ब्ड वायर लगाये गए हैं, ५९५ मजदूरों ने काम किया।

श्री खेतसिंह : यह गलत है, मैं चैलेंज करता हूं। दूसरी मीटिंग में हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि हमने १,२०,०००) का बार्ब्ड वायर खरीद रखा है और पड़ा है और गांव के लोग स्कीम मन्जूर नहीं कर रहे थे, इसलिए लगा भी नहीं कहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप चैलेंज करते हैं तो मेरे पास जो जानकारी है, वह साफ है। अगर आप फिर भी चैलेंज करते हैं तो मैं इस बारे में जानकारी करूंगा।

श्री खेतसिंह : अगर मेरी जानकारी गलत निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ……

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री खेतसिंह : आप पता लगायें जो अधिकारी गलती करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपकी चुनौतीके आधार पर इसका स्पष्टीकरण मंगाया जाय।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : मन्त्री महोदय ने कहा है उसका स्पष्टीकरण····

प्रश्न संख्या ८६९

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द कटेवा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीसिंह।

विदेशी शराब की दुकानें

८७०. श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान में विदेशी शराब की १९६६--६७ में कितनी दुकानें थीं ?

(२) सन् १९६७--६८ में राजस्थान में ये दुकानें कितनी बढ़ीं ?

(३) कोटा में विदेशी शराब के लिए होलसेल व रिटेल की अलग विभाग द्वारा कितने व किस किस नाम के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे ? एवं इनमें से होलसेल व रिटेल का लाइसेंस किस किस को दिया गया ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विदेशी शराब की कोई बिक्री दर निर्धारित नहीं है ?

आबकारी मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) राजस्थान में सन् १९६६-६७ में विदेशी मदिरा की कुल १३३ दुकानें थीं।

(२) सन् १९६७–६८ में अभी तक कोई नई दुकान का लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

(३) कोटा में विदेशी शराब के होलसेल लाइसेन्स के लिए व रिटेल लाइसेन्स के लिए १३ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। आवेदकों की सूची संलग्न है। किसी व्यक्ति को सन् १९६७-६८ में लाइसेन्स नहीं दिए गए हैं।

(४) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट सं० १ देखिए)

श्री केसरी सिंह : आपने मेरे चौथे प्रश्न के उत्तर में 'जी हां' कहा। तो क्या यह अनिवार्य नहीं है कि व्यापारी अपनी दुकान के अंदर जो रेट्स हैं, उनकी सूची टांगे ? रेट्स को प्रदर्शित करना चाहिए जनता की जानकारी के लिए।

श्री मथुरादास माथुर : इसकी कोई बिक्री दर निर्धारित नहीं है। फोरेन लिकर जो बिकता है उसकी बोटल पर कोई कन्ट्रोल रेट हो कि इतने रुपए में बिकेगा, यह कोई निर्धारित नहीं है।

श्री केसरीसिंह : रिटेल शाप्स लाइसेन्स होल्डर्स कितने सालों से चल रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अलग-अलग समय पर दिए गए हैं। कुल इस समय पुराने लाइसेन्स होल्डर्स १३३ हैं। अब एक एक आदमी को कब कब दिया गया, आप अलग पूछ लीजिए तो लिस्ट पेश की जायेगी कि किसको किस साल में दिया गया, कुल इस समय १३३ पुराने हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने जो विदेशी शराब की दुकानें बताईं, तो वह शराब राजस्थान में बनी हुई है विदेशी शराब या विदेशों से आयाति है ?

श्री मथुरादास माथुर : विदेशों से आयात हुई है। इंडियन मेड फारेन लिकर अलग है और वह फारेन लिकर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : विदेशी शराब की दुकानें कौन अलाट करता है ?

श्री मथुरादास माथुर : कमिश्नर एक्साइज विभाग।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका नीलाम होता है ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी तक तो नहीं हुआ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या सरकार ने इसको आवश्यक नहीं समझा ? जब देशी शराब की दुकानें नीलाम की जाती हैं तो विदेशी शराब के ठेके भी नीलाम किए जायं ?

श्री मथुरादास माथुर : वैसे देशी शराब की दुकानें तो अब नीलाम नहीं होती हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : वह तो गारंटी सिस्टम के आधार पर होता है। लेकिन विदेशी शराब की दुकानों के एलाटमेंट के मामले में पिछली बार प्रश्न सदन में आया था। क्या सरकार जांच करके आवश्यक निर्णय लेगी कि इन दुकानों के नीलामों की प्रक्रिया स्थापित की जाय जिससे इनके एलाटमेंट में कोई पक्षपात नहीं हो सके ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री सुवालाल चौधरी।

स्योसिंहपुरा बासड़ी में चरागाह की जमीन।

८७१. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत गाडोता के तहत स्योसिंहपुरा बासड़ी में चरागाह की जमीन है ? अगर है, तो किस उपयोग में आ रही है ?

Page No. 6

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : जी हां। ग्राम स्योसिंहपुरा वासडी में चरागाह १०६।) भूमि है। एक भूमि में से २७ बीघा और १७ बिस्वा रकबे पर कुछ लोगों ने अनधिकार रूप से काश्त इस वर्ष की थी जिनके विरुद्ध बेदखली के आदेश तहसील द्वारा दिए जा चुके हैं। शेष रकबा चरागाह के काम में आ रहा है।

श्री सुवालाल चौधरी : कौनसी तारीख से, किस संवत् से अनधिकार कब्जे मे चल रहा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस वर्ष से मैंने निवेदन किया। तिथि की सूचना मुझे नहीं है।

श्री सुवालाल चौधरी : इन लोगों ने जो अनधिकार कर रखा है उस जमीन पर जो चरागाह की है, तो क्या सरकार उस जमीन को चरागाह के काम में लेने के लिए कदम उठायेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिन्होने अनधिकार किया था उनके खिलाफ दफा ९१ आफ राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के के तहत कार्यवाही करने के लिए बेदखली के आदेश दिए जा चुके हैं।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : आदेश कब दिए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री शंकर लाल।

श्री लादूराम सुलानिया : दो तरह का मामला है। गोचर भूमि को काम में लिया। सरकार उसका आधा बांटा ले ले, अन्याय हुआ, मंत्री कहते हैं कि पता नहीं। जानकारी प्राप्त की जाय, उसमें पता लगाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

सहकारी बैंकों से ऋण की वसूली

८७२. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के किन किन जिला सहकारी बैंकों के ऋण अवधि पार हो चुके हैं ?

(२) सरकार इन अवधि-पार ऋणों की समस्या के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

सहकारी मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (१) राजस्थान के निम्न जिला सहकारी बैंकों के ऋण राजस्थान राज्य सहकार बैंक के प्रति ३०-६-६७ को अवधि पार हो चुके हैं:—

१. अलवर

२. बीकानेर

३. भीलवाड़ा

४. बांसवाड़ा

५. चूरू

Page No. 7

(श्री परसराम मदेरणा)

६. डूंगरपुर

७. जोधपुर

८. झुंझुनूं।

९. जालोर।

१०. नागौर।

११. पाली।

१२. सीकर।

१३. टोंक।

(२) अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए सरकार निम्न कार्यवाही कर रही है :–

(१) बैंकों में सरकार की ओर से अधिशासी अधिकारी, ऋण निरीक्षकों व सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है जो ऋण की वसूली करते हैं।

(२) सरकार द्वारा सहकारी विभाग एवं सहकारी बैंकों में नियुक्त स्टाफ प्रति वर्ष वसूली के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं उनमें भाग लेते हैं।

(३) सहायक रजिस्ट्रार एवं राजस्व विभाग से प्राप्त निरीक्षक सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत वसूली हेतु कार्यवाही करते हैं।

श्री शंकरलाल : क्या सरकार द्वारा जो वसूली की कार्यवाही की जाती है, वह संतोषजनक है और सरकार को पता है कि वसूली के अन्दर कोई प्रगति नहीं हुई है?

श्री परसराम मदेरणा : संतोष तो सरकार को नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा कि क्योंकि सहकारी समितियां आटोनोमस व डेमोक्रेटिक संस्थायें हैं और माननीय सदस्य कोआपरेटिव बैंक यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप अपनी गुड आफिसेज को यूज करके ऋणों की वसूली में मदद करेंगे।

श्री शंकर लाल : गुड आफिसेज किस प्रकार से यूज करें? क्या तरीका है गुड आफिसेज को यूज करने का?

श्री परसराम मदेरणा : आप स्वयं जानते हैं कि गत वर्ष जब आपकी कोआपरेटिव यूनियन का सालाना जलसा हुआ था, तो मैंने भी वहां इस बात पर जोर दिया था कि यूनियन को चाहिए कि यूनियन के सदस्य सहकारी समितियां समय पर ऋण का भुगतान करें ताकि सोसाइटी डिफाल्टर न हो और सोसाइटी डिफाल्टर नहीं होगी तो किसानों को जो लाभ पहुंचना चाहिए वह मिल जायगा। यदि सोसाइटी डिफाल्टर होती है तो कुल मिलाकर उसका असर सी. सी. बैंक पर होता है और उसका असर एपेक्स बैंक पर पड़ता है, तो इससे जो सभी सहकारी समितियां हैं, जिन को ऋण दिया जाता है, उन पर विपरीत असर पड़ता है। राजस्थान सरकार की तरफ से सी. सी. बैंक्स के पास में बहुत से एसिस्टेंट इन्सपेक्टर्स हैं, वहां लोन इन्सपेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव आफिसर्स हैं, जो सरकार ने डेप्यूटेशन पर दे रखे हैं और साथ साथ हर

(श्री परसराम मदेरणा)

सी. सी. बैंक में दो दो रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स दे दिए हैं जो राजस्थान कोम्रापरेटिव बैंक एक्ट की धारा ११५ व ११७ के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : कितनी अवधि के ऋण ऐसे हैं जो नाकाबिले वसूली हैं?

श्री परसराम मदेरणा : डेड लोन्स और बैड लोन्स कितने हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि इस विषय में प्रश्न नहीं पूछा गया।

श्री राम किशन (वर) : इतनी अवधि जो जिला बैंकों की निकल गई उसका क्या कारण है? अकाल ही कारण है या हर साल डिफाल्टर्स होते हैं बैंक्स ?

श्री परसराम मदेरणा : कई बैंक जैसे झुंझुनू बैंक डिफाल्टर्स हो गए, पछले १५-२० दिनों के अंदर ओवर-ड्यू रकम हो गई है और कुछ अकाल की वजह से हमने रिजर्व बैंक को शार्ट-टर्म और मीडियम-टर्म लोन में कन्वर्ट होने के लिए जो एप्लीकेशन्स दिए उन्होंने पूरा कन्वर्ट नहीं करके, जितना सी. सी. बैंक चाहते हैं उससे कम कन्वर्ट किया है उसका असर ओवर-ड्यू पोजीशन पड़ा है।

श्री शंकर लाल : क्या सरकार उचित समझती है कि सहकारी समितियों को सहयोग देने के लिए यह आवश्यक है कि जो ऋण वसूली के अधिकारी हैं, वे सहकारी समितियों के अधीन किए जायं ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा विचाराधीन नहीं है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह जो ओवर-ड्यू पेमेंट्स हैं, उनकी राजस्थान में कुल कितनी राशि है?

श्री परसराम मदेरणा : टोटल मेरे पास नहीं है। लेकिन सी. सी. बैंक का जो सोसाइटीज में ओवर-ड्यू है सोसाइटीज में वह ४३४ लाख है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कांता कतूरिया।

उद्योगपतियों को दिए गए रुपए पर ब्याज की दर

८७३. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों की औसत ब्याज दर क्या है ?

(२) क्या सरकार ने किसी उद्योगपति को कम ब्याज दर से कोई रुपया उधार दे रखा है ? यदि हां, तो किस उद्योगपति को कितना रुपया कब दिया और उसकी ब्याज दर क्या है ?

(३) कम ब्याज पर दर उक्त कर्जा देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कर्जों पर उनकी अवधि व क्षेत्रों के अनुसार २ प्रतिशत

(श्री मथुरादास माथुर)

से लेकर ८ प्रतिशत तक ब्याज दिया जा रहा है।

(२) बड़े उद्योगों को दिए गए ऋणों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इन ऋणों पर ब्याज की दर अवधि व कार्य की महत्वता दोनों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। यह ४।। प्रतिशत से लगाकर १२ प्रतिशत तक है। सहकारी समिति आदि को लघु उद्योगों के लिए दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर २।। प्रतिशत से ४ प्रतिशत तक है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्रीमती कान्ता कथूरिया : ४ परसेन्ट पेमेन्ट करते हैं और कोआपरेटिव सोसाइटियों के अलावा भी ३ परसेन्ट ब्याज पर ऋण कई लोगों को दिये गये हैं?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार द्वारा ऋण जिनको दिया गया है उनकी लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें पांच छ परसेन्ट से लेकर १२ परसेन्ट तक की दर से ब्याज चार्ज किया गया है। जहां तक सरकार ऋण देती है पब्लिक बोरोइंग से लेती है और जिनको आवश्यक होता है नियमानुसार उनको देती है। यह ५६ से देना शुरू किया था उस समय चार परसेन्ट से फ्लोट किया था और ६६।६७ में ५।। परसेन्ट से फ्लोट किया है।

एक माननीय सदस्य : समय पर ऋण की अदायगी नहीं आती है तो?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, प्लीज आॅर्डर।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : सरकारी ऋण देने की मिनिमम और मैक्सिमम अवधि कितनी कितनी है और ४।। परसेन्ट ऋण की ब्याज दर बताई है, वह किस आधार पर तय की गई है?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार ऋण देती भी है और लेती भी है। पब्लिक बोरोइंग से लेती है तो १२ साल के लिये ऋण फ्लोट करती है और उसका परसेन्ट १९५६ से अभी तक ४ परसेन्ट ब्याज दर थी और अब ५।। परसेन्ट पर लेती है। दूसरा भारत सरकार से लोन मिलता है अलग अलग पीरियड के लिये और अलग अलग रेट आफ इन्टरेस्ट पर मिलता है। शार्ट टर्म पर ज्यादा इन्टरेस्ट होता है और लोंग टर्म वाले पर कम होता है।

इसके अलावा सरकार ऋण देती है तो परपज और टाइम वगैरह देखती है और फिर रेट आफ इन्टरेस्ट तय करती है। इसमें १२ परसेंट तक मैक्सिमम चार्ज किया है। सात परसेंट भी है। अब किसी परटीकूलर पार्टी का नाम बताया जावे और परटीकूलर इन्स्टान्स बताई जावे तो कुछ कहा जा सकता है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मेरा सवाल साफ है। कम से कम कितने पीरियड के लिये देते हैं और मैक्सिमम कितने टाइम तक देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मिनिमम एक साल हो सकता है, और मैक्सिमम १२ साल या इन्स्टालमेन्ट के बेसिस पर पूरे ऋण की अदायगी न हो जावे तब तक है। कई एग्रीमेन्टों में पेनल क्लॉज भी हैं। टाइम पर इन्स्टालमेन्ट न दी जावे तो इन्टरेस्ट भी लगता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या यह सही है कि इस प्रकार का ऋण नहीं दिया गया जिसमें सरकार को रकम पर दूसरों को अधिक ब्याज देना पड़ता है और उससे कम पर दूसरों को लोन दिया हो ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा मेरी नोलेज में नहीं है इस वक्त तक तो क्योंकि हम जो लोन फ्लोट करते हैं उसमें चार परसेन्ट से पांच परसेन्ट तक को ब्याजदर पर लेते हैं ५।। परसेन्ट पर वापिस देते हैं पर्टीकूलर परपज के लिये। अब एक्स को देना है तो वाई से लेकर दे देंगे पर उसमें हमारा इन्टरेस्ट जितने में हम लेते हैं उससे ज्यादा ही लेंगे कम नहीं लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ५।। परसेन्ट में आप फ्लोट करते हैं और आपने कहा उसमें से ४।। परसेन्ट पर एक को दिया गया है।

श्री मथुरादास माथुर: उस वक्त के लोन से दिया होगा जो हमने चार परसेन्ट पर लिया था इस वक्त ५।। परसेन्ट से लेते हैं तो छः परसेन्ट से १२ परसेन्ट तक की हमारी रेट ऑफ इन्टरेस्ट है। ६७–६८ में सात परसेन्ट से १२ परसेन्ट तक पर दिया है।

श्री रामकिशन : यह लोन लेते देते हैं इसमें कितना नफा होता है इसको भी एग्जामिन किया है आपने कभी ?

श्री मथुरादास माथुर : यह सेपरेट क्वेश्चन है। लोन वाइज हमें इसमें जाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : जयपुर उद्योग लिमिटेड को ४।। परसेन्ट पर आपने लोन दिया है वह कौनसी मद में दिया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोयल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब देने दीजिये। ये पर्टीकूलर इन्स्टान्स मिलने पर उत्तर देने की कहते थे। इसमें कितने में लिया, कितने में दे दिया।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : बैंक रेट से कम पर दिया है। उसके पीछे आपका कन्सीडरेशन क्या था ?

श्री मथुरादास माथर : बैंक रेट वैरी करती रहती है।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्न का उत्तर देने दीजिये श्रीमती कान्ता कथूरिया का।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर उद्योग को १९५६।५७ में ६० लाख रुपया ६ परसेन्ट ब्याज पर दिया गया है। ४।। परसेन्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

से १२ लाख दिया गया है। वह दूसरा है ६०।६१ में ४।। परसेन्ट से दिया गया है। यह दिया गया है वाटर वर्कस के लिये ६.६ लाख गैलन कैपेसिटी के इस शर्त के साथ कि इसका पानी दूसरे गांव वालों को भी दिया जावेगा। इस कन्डीशन पर ४।। परसेन्ट पर दिया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस वक्त पब्लिक लोन किस रेट पर फ्लोट किया गया था ?

श्री मथुरादास माथुर : चार परसेन्ट पर।

श्री भैरोंसिह : जितना पानी आपने तय किया उतना पानी दिया उन्होंने।

श्री मथुरादास माथुर : इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग दे सकता है।

श्री भैरोंसिह : यह कन्डीशन तो आपने ले डाउन की थी।

श्री मथुरादास माथुर : कन्डीशन डाल सकते हैं। पर यह मिनिस्टर पब्लिक हैल्थ से सम्बन्धित है।

श्री भैरोंसिह : लोन तो फाइनेन्स विभाग ने दिया है। अब वह कन्डीशन फुलफिल होती है या नहीं होती है, यह भी तो देखना आपका ही काम है।

श्री मथुरादास माथुर : पर अब कन्डीशन के मुताबिक पानी सप्लाई हुआ या नहीं हुआ यह देखना हमारे परव्यू में नहीं आता।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : ६०।६१ के बाद भी सरकार.......

श्री भैरोंसिह : क्या यह कह सकते है कि इन कन्डीशन्स को फोलो किया गया है या नहीं, यह जानना तो इस विभाग का वित्त विभाग का काम है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास इस वक्त यह सेपरेट क्वेश्चन है। आप अलग से पूछ लीजिये मैं जवाब दे दूंगा।

Conditions of each loan whether they have been executed or not, you ask a separate question and I will let you know.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि वाटर वर्क्स के लिये लोन मिलने के बाद उस लोन से काफी अरसे तक अपना धन्धा चलाने के बाद कारखाने में पानी लाये और इस के काफी अरसे बाद टाउन को पानी दिया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह आपकी सूचना है, मेरे पास ऐसी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या मन्त्री महोदय, इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि मारकेट लोन फ्लोट करने में जो मैक्सिमम रेट आफ इन्टरेस्ट सरकार को पे करनी पड़ती है उस दर से नीची दर पर सरकार दूसरे को लोन नहीं देगी ? गवर्नमेंट से कन्सेशनल रेट पर लोन मिलता है

Page No. 12

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ जो हैं उनको देने के लिये नहीं मिलेगा कम रेट पर कन्सेशनल रेट पर। प्राइवेट को नहीं, पब्लिक इन्टरप्राइज ऐसे कोई हों तो वह अलग बात है। आप यह साफ डिक्लेअर करिये कि प्राइवेट एन्टरप्राइज़ में किसी इन्डट्रियलिस्ट को मारकेट रेट पर लोन सरकार को मिला है उससे कम रेट पर कतई लोन नहीं देगी? क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी और ऐसा आश्वासन देगी?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इससे एग्री करता हूँ। आर्डिनरिली जो लोन लेते हैं उससे कम रेट आफ इन्टरेस्ट पर जब तक कोई परपज़ न हो किसी एन्टरप्राईज का तब तक नहीं दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

मंडी कमेटी, कोटा

८७४. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)**: क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) मण्डी कमेटी नगरपरिषद् कोटा क्षेत्र में कब से कार्य कर रही है?

(२) क्या यह सही है कि इस कमेटी में सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति भी मनोनीत हैं? अगर हां, तो कौन व कब से?

(३) क्या यह सही है कि इस मण्डी कमेटी में नगर परिषद् कोटा को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? अगर हां, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि अभी तक कमेटी का मास्टर प्लान स्वीकृत नहीं हुआ है? अगर हां, तो कब तक मुकम्मिल होगा?

उपमन्त्री, उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह) : (१) मण्डी कमेटी, नगर परिषद् कोटा क्षेत्र में दिनांक १ सितम्बर, १९६० से कार्य कर रही है।

(२) जी हां, श्री रिखबचन्द धारीवाल एडवोकेट, कोटा और श्री भंवर प्रकाश माथुर, जिला प्रमुख, बूंदी दिनांक १८ जून १९६६ से इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य मनोनीत हैं।

(३) जी हां। इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई।

(४) यह विषय नगर आयोजना विभाग के विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : श्री रिखबचन्द धारीवाल और भैरवप्रकाश माथुर मनोनीत किये गये हैं इसका क्या आधार है?

उपनिवेशन मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) यह मण्डी कमेटी केवल कोटा सिटी क्षेत्र की नहीं कोटा बूंदी में चम्बल क्षेत्र में जितनी मण्डियां हैं उनके लिये उस कमेटी का निर्माण हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके श्री रिखबचन्द धारीवाल और श्री भैरवप्रकाश को ही

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मनोनीत करने का आधार क्या है ? किन सिद्धान्तों के आधार पर मनोनीत किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ये प्रोमीनेन्ट परसन्स हैं जो उस एरिया को रिप्रेजेन्ट कर सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रोमिनेन्ट परसन की परिभाषा क्या है ? (विराम) आप बता रहे हैं प्रोमिनेन्ट । उदाहरण सीधा सा है। भैरवप्रकाश नैनवा से हारे और घारीवाल कोटा से हारे।

श्री अध्यक्ष : प्रोमिनेन्स कहां गायब होती है ? बढ़ती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि प्रोमिनेन्सी के आधार पर मनोनीत किया है तो इसकी डेफिनेशन क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिसको गवर्नमेंट प्रोमिनेन्ट समझे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि मंडी कमेटी का जब से निर्माण हुआ है आरम्भ से ही इसके साथ खिलवाड़ किया गया है और मंडी कमेटी द्वारा अलाटमेंट में जिस प्रकार की घांघलियां अपनायी गयी हैं कई बार इस सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है। श्री भैरवप्रकाश और घारीवाल का कोटा से सम्बन्ध नहीं है। यह तो कटे हुए मोहरे हैं। इन कटे हुए मोहरों को किस प्रकार इम्पोर्टेन्स दिलायी जाय यही सरकार का ध्येय है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह केवल कोटा के लिये ही नहीं है यह मंडी कमेटी बूंदी के लिये भी है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या यह सही है........

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है........

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि नगरपालिका के प्रेसिडेन्ट को भी मंडी कमेटी में मनोनीत किया जाय इस प्रकार की रिकमन्डेशन सरकार को की गई थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रेसिडेन्ट का ज्युरिस्डिक्शन कोटा की म्युनिसिपैलिटी ने चैलेन्ज कर रखा है। इसलिये आवश्यकता नहीं समझी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

कांकरोली सब-डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर ऋण की रकम

८७५. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कांकरोली सब डिस्ट्रिक्ट में डवलपमेंट आफ एग्रीकल्चर

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

लोन की रकम में पिछले वर्ष के मुकाबले सरकार ने इस वर्ष बजट में रकम आधी रख दी है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) वर्ष १९६७–६८ के लिये राज्य सरकार द्वारा अभी धन राशि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इस वर्ष कितनी धन राशि किस पंचायत समिति को दी जावेगी ?

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपने कुछ कमी की है एग्रीकल्चर लोन में यह बिलकुल ही कमी नहीं की है ?

श्री परसराम मदेरणा : सीलिंग ही फिक्स नहीं हुई तो मैं कैसे बता सकता हूं। पंचायत समिति के माइनर इर्रीगेशन हेड के नीचे एग्रीकल्चर परपज के लिये कितनी धन राशि दी जावेगी। यह सीलिंग फिक्स होने पर ही तय की जावेगी।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) सीलिंग कब फिक्स हो जावेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : दो तीन रोज में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

कोर्ट फीस और रेवेन्यू स्टाम्प्स के वितरण की व्यवस्था

८७६. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कोर्ट फीस और रेवेन्यू स्टाम्प्स के वितरण के लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(२) राज्य में स्टाम्प बेचने के लिये राज्य कर्मचारी कितने हैं तथा लाइसेन्स होल्डर्स कितने हैं ?

(३) क्या ये स्टाम्प्स राज्य कर्मचारी और लाइसेन्स होल्डर्स के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा भी बेचे जाते हैं ? यदि हां, तो उन पर नियन्त्रण के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(४) १००) रु० से अधिक मूल्य के स्टाम्प्स के विक्रय की क्या व्यवस्था है ? क्या यह स्टाम्प्स क्रेता को वर्किंग डे में किसी भी समय मिल सकता है ?

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) कोर्ट फीस तथा रेवेन्यू स्टाम्प्स के वितरण के लिये निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति अधिकृत हैं और उनके द्वारा वितरण व्यवस्था की जाती है।

(क) विभागीय कर्मचारी जो पूरे समय तक यह कार्य करते हैं।

(२) पदेन कर्मचारी जो प्रत्येक कोषागार अथवा उपकोषागार में कार्य करते

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं। इन दोनों श्रेणियों वाले कर्मचारी को कमीशन नहीं दिया जाता है।

(ग) लाइसेन्स होल्डर।

(ङ) इन तीन श्रेणियों के अलावा १० पैसे के रेवेन्यू स्टाम्प डाकखाना द्वारा भी बिक्री की जाती है।

(२) क—श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या ५ है।

ख श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या १९६ है।

ग श्रेणी के व्यक्तियों की नियुक्ति जिलाधीश द्वारा होती है। सही आंकड़े समस्त जिलाधीश से मंगाये जा रहे हैं जो प्राप्त होने पर ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(३) यह स्टाम्प्स राज्य कर्मचारी तथा लाइसेन्स होल्डर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति बेचने का अधिकार नहीं रखता। एक स्थान याने जयपुर को छोड़ कर किसी अन्य स्थान पर ऐसे अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्टाम्प बेचने की शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। जयपुर सम्बन्धी मामले में विभागीय अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। विभागीय इन्स्पेक्टरों द्वारा यह देखने की चेष्टा की जाती है कि कोई अन्य अनाधिकृत व्यक्ति इन स्टाम्प्स की बिक्री न करे।

(४) सौ रुपये एवं इससे अधिक राशि के स्टाम्प्स कोषागार एवं उप--कोषागार के राज्य कर्मचारी ही बेच सकते हैं। ये मुद्रांक क्रेता को वर्किंग डे में किसी भी समय दिए जा सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है कि सौ रुपए से अधिक स्टाम्प्स राज्य के कर्मचारी के पास उपलब्ध नहीं होते हैं, एप्लीकेशन ट्रेजरी में मूव करनी पड़ती है, उस पर सेन्कशन होती है और फिर उसके बाद रिलीज़ होते हैं। इसके बजाय कोई अन्य व्यवस्था ही की जाय कि लाइसेन्स वालों को ही दे दें। राज्य कर्मचारी या स्टाम्प वेंडर्स किसी के पास भी ज्यादा कीमत के अवलंबन होने चाहिए। सौ रुपए से अधिक के स्टाम्प्स नहीं मिल सकते तो अपीलें, सूट आदि दायर नहीं हो सकते हैं। पहले ऐसा सिस्टम था कि दस हजार के भी स्टाम्प्स चाहिए तो मिल सकते थे।

श्री अध्यक्ष : वे समझ गए हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप क्या इसकी जांच करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : I will examine it.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : लाईसेन्स होल्डर के पास सौ रुपए से अधिक के स्टाम्प्स मिलते थे उनको डिस्किन्टीन्यू क्यों किया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : एक ही कारण था कि वक्त पर नहीं मिलते थे। लोगों की शिकायतें रहती थीं। दूसरी यह शिकायत थी कि सौ रुपये के स्टाम्प के अधिक

(श्री मथुरादास माथुर)

दाम ले लेते थे। ऐसी शिकायतें आयी इसलिये ये व्यवस्था रखी कि ट्रेजरी से ले लिये जांय जब आवश्यकता हो तब।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्टाम्प वेन्डर्स के पास से सौ रुपये अधिक की अवेलेबिलटी को क्यों बन्द कर दिया ?

श्री मथुरा दास माथुर : मैंने बता दिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : साइमल्टेनियसली दोनों जगह से मिलते हैं ट्रेजरी से और लाइसेन्स होल्डर से। लाइसेन्स होल्डर ज्यादा पैसा ले ट्रेजरी में चला जाता है। अब ट्रेजरी में जाने से दिक्कत हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा उस पर कन्सीडर करेंगे। नेक्स्ट।

श्री शकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, दोनों ही जगह....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

प्रश्न संख्या ८७७

श्री हरीसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८७८

श्री गोरधन सोनी।

(अनुपस्थित-कृपया-आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह !

पंचायत समितियों के लेखा लिपिक

८७९. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान द्वारा १९६५ में लेखा लिपिक परीक्षा का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस परीक्षा में अलग अलग खंडवार परीक्षार्थी सम्मिलित किये गये थे ? यदि हां, तो कितने खंड और किस किस प्रकार थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति सेवा में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये भी अलग खंड था ? यदि हां, तो इस खंड में कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और उनमें से कितने पास हुए ?

(३) क्या यह सत्य है कि पंचायत समितियों में अधिकतर लेखा लिपिक अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर हैं ? यदि हां, तो कितने और क्यों ?

(४) क्या यह सत्य है कि पंचायत समितियों के कर्मचारी जिन्होंने लेखा लिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उसको अब तक लेखा लिपिक पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और कुल ऐसे कितने व्यक्ति हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) मुख्य लेखाधिकारी द्वारा १९६५ में लेखा लिपिक की परीक्षा का आयोजन किया गया था और परीक्षा में अलग अलग खण्ड-वार परीक्षार्थी सम्मिलित किये गये थे। परीक्षा में तीन निम्न प्रकार खण्ड थे :-

(क) राज्य कर्मचारियों के लिये।

(ख) अर्ध-राजकीय सस्थाओं के लिये।

(ग) जिला परिषद् व पंचायत समितियों के कर्मचारियों के लिये।

(२) जी हां। ४९२ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे और उनमें से १४१ परीक्षार्थी पास हुए थे।

(३) जी हां। २३२ लेखा लिपिकों की जगह है उनमें से १४४ लेखा लिपिक अन्य विभागों से प्रति नियुक्ति पर पंचायत समिति में कार्य कर रहे हैं। इन १४४ में अधिकांश लेखा लिपिक वह हैं जो अगस्त १९६५ में हुई लेखा लिपिक की परीक्षा से पहले से प्रति नियुक्ति पर हैं।

(४) जी नहीं। पंचायत समितियों के कर्मचारी जिन्होंने लेखा लिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनको स्थान रिक्त होने पर लेखा लिपिक पद पर नियुक्त किया जाता है। इस समय ८२ ऐसे व्यक्ति है जो पंचायत समिति सेवा के हैं और समितियों मे लेखा लिपिक के पदों पर कार्य कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश यह है कि उनको अपने गृह-विभाग में नियुक्त किया जावे और जिलाधीश की सहमति प्राप्त करके नियुक्ति की जावे। यह नियुक्तियां योग्यता प्राप्त लेखा लिपिकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जितने स्थान रिक्त होते हैं उन पर कर दी जाती हैं। इस प्रकार १४१ में से २९ व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया है और बाकी व्यक्तियों को भी जैसे जैसे स्थान रिक्त होंगे नियुक्त कर दिया जावेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि लोकल फण्ड एक्जामिनेशन जो पास करते हैं उनको समितियों मे अकाउन्ट्स ऑफिसर नही लगाया जाता है और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स के लोगों को लगाया जाकर पूर्ति की जाती है ?

श्री मथुरा दास माथुर : यह सही नहीं है। दूसरे डिपार्टमेन्ट के एक्जामिनेशन पास किये हुए होते हैं उन्हीं को लगाया जाता है। २९ जगहों पर लगाया गया है ज्यों ज्यों जगह होगी लगाया जायगा।

श्री दिग्विजयसिंह : दूसरों को चान्स दिया जाता है तो पास शुदा को क्यों नहीं नियुक्त किया जाता है ?

श्री मथुरा दास माथुर : पास शुदा को ही नियुक्त किया जाता है। ऐसी कोई मिसाल हो, उसको आप मेरे नोटिस में लावें मैं उसको एग्जामिन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम।

प्रश्न संख्या ८८०

श्री परसराम। (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

श्री गंगाराम ।

श्री नत्थीसिह ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : प्रश्न संख्या ८८१ । लिख कर दिया है ।

श्री रामकिशन (वैर) : मुझे लिख कर दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : रहने दीजिये मैं आपके शब्दो पर विश्वास करता हूं ।

श्री रामकिशन : मैं आपके कर्म पर बिश्वास करता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : इनको रियायत दी गई है ।

श्री रामकिशन : रियायत नहीं दी गई है ।

भरतपुर जिले में चीनी का वितरण

८८१ श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) [श्री राम किशन (वैर) द्वारा पूछा गया] :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में अप्रेल, १९६७ में चीनी की बहुत तंगी रही है तथा लोगों को राशन कार्डो व शादियों के लिये चीनी नहीं मिल पाई है ?

(२) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर एवं तहसील के चीनी के होलसेलर्स के खिलाफ चीनी ब्लेक में वेच दिये जाने की शिकायतें स्थानीय अधिकारी एवं पुलिस को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जारही है ?

(३) क्या यह सही है कि होलसेलर्स के खिलाफ यह शिकायतें भी प्राप्त हुई है कि उक्त महीनों में भरतपुर तहसील की ग्राम पंचायतों को चीनी का कोटा नहीं दिया गया है, लेकिन स्थानीय कर्मचारियों एवं अधिकृत विक्रेताओं द्वारा ग्राम पंचायतों को चीनी दिया जाना दिखाकर चीनी ब्लेक में वेच दी गई है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई ? ऐसी ग्राम पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(४) क्या यह सही है कि उक्त अवधि (अप्रेल १९६७) के अन्तर्गत एक होलसेलर गेंदालाल कपूरचन्द द्वारा ब्लेक में वेची गई एक बोरी चीनी पकड़ी गई ? यदि हां, तो क्या स्थानीय सप्लाई विभाग ने ऐसे होलसेलर के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही की है ?

(५) क्या यह सही है कि स्थानीय अधिकारियों को यह भी शिकायत मिली है कि उक्त होलसेलर पुलिस एवं सप्लाई विभाग से मिलकर उक्त प्रकार पकड़ी गई चीनी को बदलकर पुलिस में उसके स्थान पर क्रस शुगर रखवाने के लिये प्रयत्न रत हैं ? यदि हां तो क्या रसद विभाग के उच्चाधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई सावधानी वरतने के लिये कदम उठाये है ? यदि हां, तो क्या ?

(६) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर

(श्री नत्थीसिंह)

के चीनी के उपरोक्त थोक व्यापारियों पर चैरिटी एवं अन्य प्रकार का काफी रुपया राज्य का बकाया है ? यदि हां, तो कितना और कब से तथा उसकी वसूली के अब तक क्या प्रयत्न किये गये है ?

(७) क्या यह सही है कि भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार ने काफी दिनों से कार्य शुरू कर दिया है लेकिन उसे चीनी के होलसेल का कार्य नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) यह सही है कि भरतपुर जिले को माह अप्रेल, १९६७ में पहिले की अपेक्षा कम कोटा मिला। पहिले भरतपुर को ४८३० क्विन्टल चीनी प्रति माह मिलती थी पर अप्रेल, १९६७ में केवल ३४८० क्विन्टल चीनी ही मिली। इस कमी का कारण भारत सरकार द्वारा राजस्थान के चीनी के कोटे में ९३९० टन से घटा कर ७००० टन कर दिया जाना था और इसी कमी के कारण राजस्थान के समस्त जिलों के चीनी के आवंटन में कटौती की गई जिसका प्रभाव भरतपुर पर भी पड़ा परन्तु जिला मुख्यालय पर १ किलो प्रति यूनिट तथा अन्य कस्बों की शहरी आबादी को ५०० ग्राम चीनी प्रति यूनिट राशन कार्ड पर दिलाई गई तथा शादियों में यथोचित मात्रा में चीनी दी गई, पर शादियों को इस माह में बहुत भरमार रही।

(२) जी हां, यह सही है कि भरतपुर शहर एवं तहसील की चीनी के होलसेलर मै० गैंदालाल कपूरचन्द के विरुद्ध पुलिस स्टेशन भरतपुर में प्रथम सूचना पत्र (एफ० आई० आर०) दर्ज हुई है कि उन्होंने १ बोरी चीनी २१५) रु० में श्री रघुनन्दन को बेची। पुलिस इसकी तफतीश कर रही है।

(३) जी हां, इस बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उक्त माह में ग्राम पचायत इकरन, वासीकला में भरतपुर तहसील द्वारा जारी किया गया कोटा नहीं पहुंचा, इसकी जांच तहसीलदार भरतपुर द्वारा की जा रही है।

(४) जी हां, यह सही है। इस बाबत पैरा नं० २ में लिखा जा चुका है। मालिक फर्म के विरुद्ध चार्जशीट दर्ज कर दी गई है और शीघ्र ही मामला अदालत में पेश किया जावेगा। सप्लाई विभाग द्वारा होलसेलर को चीनी का आवंटन बन्द कर दिया गया है तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु डीलर के समस्त रिकार्ड की जांच की जा रही है।

(५) स्थानीय अधिकारियों को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह शक्कर मौके पर ही पुलिस अधिकारियों द्वारा सील की जाकर अपनी कस्टडी में ले ली गई और इसका सेम्पिल केमिकल एक्जामिनर को भेज दिया गया है। अतः पकड़ी गई शक्कर के बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) भरतपुर शहर के चीनी के थोक विक्रेताओं की तरफ चैरिटी की कोई राशि बकाया नहीं निकल रही है।

(७) भरतपुर होलसेल सहकारी उप-

(श्री परसराम मदेरणा)

भोक्ता भण्डार ने माह फरवरी, १९६७ से कार्य प्रारम्भ किया है और तभी से उन्हें चीनी के होलसेल का कार्य दे दिया गया है माह फरवरी मार्च में १ वैगन, मार्च-अप्रैल में २ वैगन, अप्रेल-मई में ३ वैगन, मई-जून में ६ वैगन और जून-जुलाई में ७ वैगन का भण्डार को आवंटन किया गया। गत माह मई-जून में होलसेल का पूर्ण कार्य भण्डार से लिया जा रहा है।

श्री रामकिशन : यह जो आपने बासीकला पंचायत में चीनी नहीं पहुंचना बतलाया और होलसेलर के रजिस्टर में दर्ज है कि पंचायत को दे दी गई तो यह गेंदालाल कपूरचन्द ही होलसेलर है या दूसरा कोई होलसेलर है?

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समितियों में से दो पंचायतों को चीनी नहीं पहुंची। इस बात की इत्तला जब एस. डी. एम को मिली तो उन्होंने इसकी जांच करवाई है और उससे यह पता चला कि इकरन के लिए जो चीनी दी गई थी वह तो इसलिए नहीं पहुंची कि पंचायत से तो लेने नहीं आए थे लेकिन जो काश्तकार लेवी देने के लिए वहां पर आए थे, वहां पर इकट्ठे हुए थे उनको चीनी का वितरण कर दिया गया। जो बासीकला की पांच बोरी चीनी नहीं पहुंची, वह क्यों नहीं पहुंची इसकी जांच जारी है।

श्री रामकिशन : यह आप कैसे कहते हैं कि पंचायत लेने नहीं आई। कोई लिखा हुआ है आपके पास या किसी के दस्तखत हैं कि लेने नहीं आए?

श्री परसराम मदेरणा : लेने नहीं आई, इसके मालुम करने का यही तरीका है कि दूसरी पंचायतों को सबको चीनी मिल गई थी। दूसरी सब पंचायतें तो अपनी चीनी ले गई और सिर्फ दो पंचायतें ही ऐसी थी जिनमें से एक तो चीनी उठाने के लिए ही नहीं आई और दूसरी पंचायत में चीनी पहुंची नहीं जिसकी जांच की जा रही है।

श्री रामकिशन : मेरे कहने का मतलब यह है कि लगातार बारबार यहां पर यह जवाब दिया जा रहा है कि पंचायत चीनी लेने नहीं आई। यह आप किस आधार पर कह रहे हैं। क्या पंचायत ने मना किया है कि हम चीनी नहीं लेना चाहते या व्यापारी के रजिस्टर में दस्तखत हैं कि हमें चीनी नहीं लेनी है। किस आधार पर आप कहते हैं कि पंचायत चीनी लेने नहीं आई?

श्री परसराम मदेरणा : राइटिंग मौजूद है या नहीं, इसकी तो कम्पलीट इन्फोर्मेशन मेरे पास इस वक्त नहीं है। जो जानकारी मुझे जिलाधीश से मिली है कि पंचायत लेने के लिए नहीं आई और.......

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर यह होता है कि व्यापारी के पास जब चीनी लेने जाते हैं तो किसान को कह देते हैं कि सरपंच नहीं है। जब महीना निकल जाता है तो लिख देते हैं कि चीनी लेने नहीं आए। तो आपने पहले भी यह जवाब दिया था १२ तारीख को इसकी कलेक्टर से जाँच करवाई जावेगी, उसकी जांच भी नहीं हुई कि कहां पर दूसरा केस

(श्री रामकिशन)

इस तरह का है। दूसरा आपने कहा कि खासीकला में चीनी नहीं पहुंची जब कि व्यापारी के यहां से दी गई लेकिन पंचायत को नहीं पहुंची तो यह चीनी किसके लिए दी गई थी, सरपंच के लिए दी गई या किसको दी गई थी ?

श्री परसराम मदेरणा : चीनी का परमिट तो तहसीलदार काटता है। पंचायत को परमिट दिया जाता है वह भी तहसील-दार ही परमिट काटता है। तहसीलदार ने परमिट काट दिया और पंचायत के लिए होलसेलर के यहां से माल भी उठता है लेकिन पंचायत में नहीं पहुंचा ....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री परसराम मदेरणा : अब उसने परमिट किसके नाम पर काटा यह जानकारी तो मैं अभी नहीं दे सकता लेकिन ऐसा जरूर मालूम हुआ है कि तहसीलदार के पास में पंचायत की तरफ से शिकायत हुई कि पंचा-यत को चीनी नहीं पहुंची है जब कि उसका परमिट भी काटा गया और होलसेलर के यहां से माल भी उठाया गया, इसकी जांच तहसीलदार कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : अभी जैसा आपने बताया कि एक व्यापारी के खिलाफ तो एक बोरी का मामला है तो दूसरे होलसेलर के खिलाफ कितनी बोरियों का मामला है ?

श्री परसराम मदेरणा : एक ही होलसेलर है, दूसरा तो उपभोक्ता भण्डार है जिसको अभी कोटा दिया गया है। इस केस में मुझे आज सुबह ही इत्तला मिली है कि जो एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज की गई थी उसमें प्राइमाफेसी केस बनता है इसका कोर्ट में चालान कर दिया गया है कुछ दिन पहले।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जुझारसिंह।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक सवाल है, जिस बोरी को ....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री जुझारसिंह।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ....

श्री अध्यक्ष : १५ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं दूसरे माननीय सदस्यों के।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अभी तक तो मैं खत्म भी कर देता।

श्री रामकिशन : ब्लेक का मामला है। सारी चीनी खा गये हैं।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : जिस बोरी के सेम्पल को केमिकल एग्जा-मिनर से जांच कराई जा रही है, उस सम्बन्ध में क्या पोजीशन है ? मैं समझता हूं कि जो सेम्पल लिया गया है उसको केमिकल टेस्टिंग में बदलने की कोशिश की जा रही है और अगर टेस्टिंग में यह आया कि उसमें ९९ प्रतिशत शूक्रोस कम है तो फिर कह देंगे कि यह चीनी ही नहीं है. यह तो क्रस्टल शुगर है तो फिर उसके खिलाफ कुछ भी कार्य-वाही नहीं की जा सकेगी ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। समझ गये आपकी बात को।

श्री परसराम मदेरणा : यह आपका कयास ही कयास है। केमिस्ट की रिपोर्ट आ गई है और उसमें कहा गया है कि ९९ प्रतिशत शुक्रोस है और इस केमिस्ट की केमिकल एग्जामिनेशन के बाद में जो रिपोर्ट आ है तो उस रिपोर्ट के आने के बाद इस केस का चालान फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहां कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जुझारसिंह।

उवाड़ नदी के मारजिनल लैंड पर काश्तकारों द्वारा नाजायज कब्जे

८८२. श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सांगोद से कोनपुर तक उवाड़ नदी के मारजिनल लैण्ड पर कितने रकबे में काश्तकारों द्वारा नाजायज कब्जा किया हुआ है और स्लेप्स पर काश्त बढ़ती जाने से इस एरिया की जमीन की पैदावार पर क्या क्या असर पड़ा है ?

(२) क्या यह सही है कि बिनोद खुर्द व कांगन्या में गांव के कांकड़ व डांगर सार्वजनिक भूमि पर बड़ी तादाद में लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों द्वारा कितनी जमीन पर ?

(३) सरकार ने बढ़ती हुई अतिक्रमण की कार्यवाहियों के विरुद्ध क्या व्यवहारिक कदम उठाया है और उसे कितनी कामयाबी मिली है ?

(४) क्या सरकार नदी के ढ़ाल, किनारे व खालवाली जमीनों पर जिनके काश्त करने से भूमि कटाव बढ़ने की सम्भावनायें हैं, रोक लगाने के लिए उचित व व्यवहारिक कानून बनाने का विचार रखती है ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम-चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसको स्थगित करने का निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न सं० ८८३

श्री पुखराज कालानी।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री आलमअली खां।

ग्राम बेसवा में भूमि का अलॉटमेंट

८८४. श्री आलमअली खां (फतेहपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि गांव बेसवा, तहसील फतेहपुर में इस वर्ष मई माह में कोई भूमिहीनों को भूमि अलाट की है ? यदि हुई है तो अलॉटमेंट कमेटी के कितने और किन किन सदस्यों ने भूमि अलॉट की है ?

(२) क्या यह सही है कि अलॉटमेंट की हुई भूमि सार्वजनिक उपयोग की गैर-मुमकिन चरागाह है ?

(श्री आलमअली खां)

(३) क्या यह सही है कि जिन लोगों को भूमि अलाट की गई है वे वास्तव में भूमिहीन नहीं हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त अलाटमेंट की सूचना अलॉटमेंकटमेटी ने अन्य सदस्य, बी. डी. ओ., प्रधान और एम. एल. ए. को नही दी और सरपंच व तहसीलदार ने ही उक्त कार्यवाही सम्पन्न की है ?

(५) क्या सरकार उक्त अलॉटमेंट के सम्बन्ध में जांच करवाने तथा इस अलॉटमेंट को रद्द करने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त नहीं है इसलिए इसे भी आगे के लिए स्थगित करने का निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी।

बिसाऊ में चीनी का वितरण

८८५. श्री राम नारायण चौधरी (मंडावा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बिसाऊ जिला झुंझुनूं में कन्ट्रोल की चीनी बेचने के लिये कितने थोक विक्रेता नियुक्त किये गये हैं ? उनके नाम बताने की कृपा करें।

(२) क्या वहां का उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि० भी चीनी का थोक विक्रेता नियुक्त है ? यदि हां, तो मार्च, अप्रेल और मई, ६७ में भण्डार को कितनी कितनी चीनी का परमिट दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि सहकारी भण्डार को एक व्यक्तिगत विक्रेता के मुकाबले में कम चीनी बिक्री के लिये दी जाती है ? यदि हां, तो क्या यह राजकीय नीति के अनुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें तब्दीली करने का विचार रखती है ?

(४) बिसाऊ कस्बे के होलसेल डीलर्स द्वारा कितनी बोरी चीनी माहवारी मंगवाई जाती है ? क्या इतनी बोरी चीनी के मंगवाने और बिक्री के लिये दो थोक विक्रेताओं की जरूरत है ?

(५) वहां के सहकारी भण्डार की आर्थिक स्थिति ठीक है तथा वह सभी शर्तों को पूरी करता है फिर उसे अकेले को ही थोक विक्रेता बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

(६) क्या यह है कि गत वर्ष राज्य सरकार ने इस भण्डार को थोक विक्रेता नियुक्ति करने के लिये जिलाधीश, झुंझुनूं को लिखा था परन्तु उसके बावजूद भी उसे नियुक्त नहीं किया गया ?

(७) क्या यह सही है कि झुंझुनूं कस्बे में वहां का सहकारी उपभोक्ता भण्डार ही चीनी का एकमात्र थोक विक्रेता है तथा दूसरे सभी थोक विक्रेताओं को हटा दिया गया है ? यदि हां तो ऐसा क्यों किया गया है ?

(श्री रामनारायण चौधरी)

(८) क्या यह सही है कि झुंझुनूं का उपभोक्ता भण्डार चीनी की रिटेल डिलिवरी का कार्य भी करता है ?

खाद्य मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (१) बिसाऊ में कण्ट्रोल की चीनी बेचने के लिए निम्न थोक विक्रेता नियुक्त है:—

१. मै बनवारीलाल पोद्दार, बिसाऊ।

२. मै० उपभोक्ता भण्डार, बिसाऊ।

(२) जी हाँ। भण्डार को माह मार्च में उनके पास पहिले से चीनी पडी होने से कोई परमिट नहीं दिया गया था। माह अप्रेल और मई में भण्डार को क्रमशः ४३ व ४५ बोरियों का परमिट दिया गया।

(३) भण्डार व दूसरे व्यापारियों का चीनी वितरण का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। भण्डार बिसाऊ नगर क्षेत्र में चीनी वितरण का कार्य करता है, जब कि दूसरा व्यापारी अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र में चीनी वितरण का कार्य करता है। दोनों को उनके क्षेत्रों में वितरण होने वाली चीनी का कोटा दिया जाता है। इसमें मुकाबले तथा तब्दीली आदि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) चीनी प्रत्येक माह में आवंटित कोटे के अनुसार मंगवाई जाती है। माह मार्च, अप्रेल तथा मई में निम्न आवंटन किया गया था :

	मै. उपभोक्ता भण्डार बिसाऊ	मै. बनवारीलाल पोद्दार बिसाऊ
मार्च, ६७	— —	१४५ बोरियां
अप्रैल, ६७	४३ बोरियां	११७ बोरियां
मई, ६७	४५ बोरियां	१०० बोरियां

बिसाऊ कस्बे के लिए केवल एक ही थोक विक्रेता नियुक्त है, दूसरा थोक विक्रेता बिसाऊ का ही है लेकिन अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र के लिए है न कि बिसाऊ के लिए।

(५) भण्डार की जब नियुक्ति हुई थी, उस समय उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी।

(६) यह सही है कि राज्य सरकार ने भण्डार को थोक विक्रेता नियुक्त करने हेतु लिखा था तथा जिलाधीश द्वारा भण्डार को थोक विक्रेता नियुक्त कर भी दिया गया।

(७) जी हां, यह सही है। भण्डार स्थापित होने के बाद अन्य विक्रेताओं को हटा देने का कारण यह था कि यह भण्डार सौंपा गया कार्य करने हेतु सक्षम पाया गया।

(८) जी हां।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भाई दानसिंह !

Page No. 25

अकाल सहायता विभाग द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त विवरण में सड़क निर्माण कार्य

८८६. श्री आई दानसिंह (भीनमाल): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

अकाल सहायता विभाग द्वारा प्रकाशित सन् १९६६-६७ (सम्वत् २०२२-२३) में अकाल सहायता विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण में पेज ३७ पर जो जिला जालोर की सड़क नम्बर ३ जालोर-गुढ़ा और सड़क नम्बर ७, जालोर-गुडाह (सायला से बाटोड़ा) अंकित है क्या ये दोनों काम अलग अलग चल रहे हैं ? अगर हां, तो कृपया बतायें कि उपरोक्त सड़कें कहां कहां से होकर जाती हैं ?

उपमन्त्री, अकाल राहत : (श्री गंगाराम चौधरी) : जी नहीं, जालोर से गुढ़ा एक ही सड़क कार्य है । यह सड़क जालोर से किशनगढ़, गोलसाइला, दादाल, बागोड़ा होती हुई गुढ़ा (जिला बाड़मेर) में जाती है ।

श्री आईदानसिंह : आपकी जो यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है इसमें सड़कें दो बताई हैं और दोनों का अलग अलग खर्चा बताया हुआ है, यह कहां तक सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जालोर से सायला का काम आरम्भ किया है और ५५,०५६ रुपये उसमें खर्च हुए थे । उसके बाद मार्च में सायल और गुढ़ा के बीच का कार्य आरम्भ किया है जिसमें २२, ४०० रुपये खर्च हुए हैं ।

श्री आईदानसिंह : मैं बताना चाहूंगा कि जालोर और सायल के बीच कोई अकाल राहत कार्य शुरू नहीं हुआ क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा ही नहीं । अकाल राहत कार्य शुरू हुआ कैसे ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया है कि दूसरा कार्य मार्च मे शुरू किया था ।

श्री आईदानसिंह : अकाल राहत काय शुरू हुआ ही नहीं लेकिन आपने जालोर और सायला के बीच बताया कि काम शुरू हुआ, तो न तो वहां पर अकाल पड़ा और न ही अकाल राहत कार्य शुरू हुए ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी में है कि वहां पर काम हुआ है जिसमें ५५ हजार रुपये खर्च हुए ।

श्री आईदानसिंह : मैं वहां रहता हूं और वहां का रहने वाला हूं इसलिए मेरी जानकारी ज्यादा सही है और आपको जानकारी वहां से मिली है । इसकी पूरी इन्क्वायरी करवाई जाय । अध्यक्ष महोदय, इसमें बडा घोटाला है । इसमें लाख, पौन लाख रुपया खर्च हुआ है और ३ से ४ किलोमीटर सड़क बनी हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष : इसकी भी जानकारी करली जाय ।

श्री आई दानसिंह : इसकी जांच का हुक्म फर्मा दें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है ।

श्री केदारनाथ।

पलाना खान के विकास की योजना

८८७. श्री केदारनाथ (गंगानगर): क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या पलाना खान योजना के विकास की योजना बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि वहां मजदूरों की प्रायः छंटनी हो चुकी है।

(३) पलाना मे ओपन कास्ट खान की योजना समाप्त कर दी गई है या उसे चालू करने का विचार है ?

(४) क्या यह सही है कि ओपन कास्ट माईनिंग के लिए समय समय पर आश्वासन दिये जाते रहे हैं ? यदि हां, तो पलाना खान पर ओपन कास्ट माईनिंग का कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया ?

राजकीय उद्योगमन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) जी नहीं। बल्कि स्थगित की गई है, चूंकि थरमल पावर की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित अभी तक नहीं हो सकी है, अतएव इस योजना के विकास की योजना स्थगित कर दी गई।

(२) जी हां।

(३) चूंकि थरमल पावर की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नहीं ली गई है इसलिए पलाना में ओपन कास्ट खान की योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह योजना थरमल पावर की योजना से सम्बन्धित है।

(४) जी हां। यद्यपि ओपन कास्ट खान के कार्य के लिए योजना आयोग की सहमति तो प्राप्त हो चुकी है पर यह योजना थरमल पावर प्रोजेक्ट के साथ सम्बन्धित है जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री केदारनाथ: जिन मजदूरों की छंटनी की है क्या यह सही है कि उनको रिट्रेन्चमेंट कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया ?

श्री मथुरादास माथुर: जिन मजदूरों की छंटनी की उनको कानून की रुह से जो कुछ सुविधा मिलनी चाहिए वह दी जायगी।

श्री भीमसेन (लूनकरनसर): ओपन कास्ट के लिए जब प्लानिंग कमीशन ने सहमति दे दी है तो इस योजना को चालू क्यों नहीं किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर: आपने कहा वह सही है पर योजना को चालू करने पर जो कोयला निकलेगा वह करीब करीब १ हजार टन तक कोयला निकलेगा रोज उसके लिए जब तक थरमल पावर स्टेशन कायम नहीं होता है उस कोयले का कन्जम्पशन नहीं हो सकता है इसलिए उस कोयले का उपयोग नहीं है। उस कोयले को निकाल कर कोयले को होर्ड भी नहीं कर सकते क्यों कि उसमें आग लग जाती है जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए जब तक थरलम

(श्री मथुरादास माथुर)

पावर स्टेशन की जो ५० मेगावाट की हमारी योजना है वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक ओपन कास्ट माइनिंग को अलग नहीं कर सकते।

श्री भीमसेन : जब तक थरमल पावर स्टेशन की स्वीकृति नहीं आती है तब तक कोयला जो अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग से अभी तक निकल रहा था वह कार्य चालू रखेंगे या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने कहा कि अब तक जो अन्डर ग्राउन्ड माइनिंग होता रहा है वह चलता रहे, लेकिन जो कोयला निकलता है उसका कन्जम्पशन नहीं है तो ऐसी सूरत में इसको बन्द करने का फैसला कर लिया है। जब प्लान के अन्दर योजना चलेगी तो फिर से शुरू कर देंगे।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को कई बार माननीय सदस्य पूछ चुके है और माननीय मन्त्री महोदय प्रकाश डाल चुके हैं।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़े महत्व का है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, श्री भैरोंसिंह शेखावत। ४७।

स्थगित प्रश्न ता० ११-७-६७

अजमेर जिले में अकाल राहत कार्य

७२६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर के भूतपूर्व जिलाधीश श्री तेजकुमार द्वारा श्री जोरावर सिंह झाला, राहत कार्य आयुक्त, जयपुर को लिखे गये पत्र D- O. No. D. R. A. Xi (1) 66.67। 144 dt Ajmer 9th February, 1967 में जिन गांवों का उल्लेख है वह कौन कौन से गांव हैं ?

(२) इस सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा भेजी गई जिन्सवार के अनुसार किस किस गांव में काश्त गिरदावरी के समय अकाल पाया गया और फसल के कितने कितने नुकसान का उल्लेख है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) उपरोक्त गांवों में कब कब किस किस की आज्ञा से अकाल राहत कार्य चालू किये गये ?

(४) यह कार्य कब कब बन्द किये गये और उन पर कितना कितना खर्चा हुआ ?

(५) क्या यह सही है कि इन गांवों में अकाल राहत कार्य चालू करने के सम्बन्ध में तथा इनको अकालग्रस्त घोषित करने में राज्य की सामान्य प्रक्रिया की अवहेलना की गई ? यदि हां, तो क्यों और किसके द्वारा ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) सन्दर्भित पत्र में अंकित गांवों की सूची संलग्न है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(३) इन गांवों में जिला राहत कार्य कमेटी की अनुमति से राहत कार्य शुरू करवाये गये। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) तालिका सदन की मेज पर रखी गई है।

(५) इन गांवों में तकावी घोषणा के बाद राहत कार्य चालू करने में राज्य द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया की अवहेलना नहीं की गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गिरदावरी गलत होने की व फसल खराब होने की शिकायत राज्य सरकार को विकास अधिकारी व प्रधान द्वारा मिली। इन क्षेत्रों में पिछले वर्ष भी अकाल था व आसपास के गांवों में भी अकाल था अतः राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में अकाल की घोषणा की गई। जिलाधीश द्वारा प्रेषित रबी की अंतिम रिपोर्ट में भी इन चालीस गांवों में से ३१ गांव अभावग्रस्त बतलाये गये हैं व इनकी रबी में अलग घोषणा के प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर अजमेर ने जो पत्र लिखा क्या उसके कन्टेन्ट्स सही हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कलेक्टर अजमेर के लेटर के कन्टेन्ट्स को सही मानकर हम चलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर अजमेर के द्वारा अकाल के सम्बन्ध में फाइनल रिपोर्ट कब तक पेश की गई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तारीख ६ को इन्होंने रिपोर्ट भेजी थी उन्होंने इस पत्र के साथ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं फाइनल रिपोर्ट की बात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फाइनल रिपोर्ट रबी की तो कोई नहीं है। फाइनल रिपोर्ट जो रबी की करते है वह अभी आई है।

श्री भैरोंसिंह : जिन फसलों के लिए अकाल घोषित किया गया उस सम्बन्ध में फाइनल रिपोर्ट कब आई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह जानकारी जब कलेक्टर से की तो कलेक्टर ने ये आंकड़े दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : फेमीन कोड के अनुसार जो फाइनल रिपोर्ट आपको ३० नवम्बर को मिल जानी चाहिए, क्या यह माना जाय कि वह फाइनल रिपोर्ट निर्धारित समय पर भेज दी थी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : निर्धारित समय के बाद में भेजी थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने यह फाइनल रिपोर्ट फेमीन कोड में जिस प्रकार की प्रकिया निर्धारित की है उसी आधार पर तैयार की थी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फेमीन कोड की कोई प्रक्रिया नहीं है टेनेन्सी कोड की प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत खतौनी की रिपोर्ट आती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फेमीन कोड की धारा ३३ के अन्दर यह प्रक्रिया निर्धारित की हुई है कि कलेक्टर फाइनल रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कलेक्टर की फाइनल रिपोर्ट तैयार है। वह राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अन्दर जो नियम दिये हुए हैं उसी आधार पर तैयार करता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह रिपोर्ट फेमीन कोड, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, लैण्ड रेवन्यू मैन्युअल के अन्दर जो सरकार ने कानून बना रखे है, जो नियम बना रखे हैं उसी के आधार पर बनाई गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फैमीन कोड पहले का बना हुआ है और राजस्थान टेनेन्सी एक्ट बाद में बना हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : यह मानकर चलते हैं कि फेमीन कोड और राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में कन्ट्राडिक्शन है।

श्री अध्यक्ष : This is a question of law.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कन्ट्राडिक्शन का सवाल उसमें नहीं दिया है क्योंकि एक और दूसरा अधिनियम है वह है राजस्थान प्रभावी क्षेत्र कार्यवाही स्थगन अधिनियम १९५३। इसकी धारा (३) के अन्तर्गत गवर्नमेंट की पावर्स में किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है और सेक्शन (३) के अन्तर्गत अभावग्रस्त घोषित किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : यह नसीराबाद तहसाल के कुल कितने गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नसीराबाद तहसील के कुल गांवों का पता नहीं है. लेकिन जो गांव इसमें दिये गये हैं उनमें से ३१ गांवों में रबी की फसल में अकाल घोषित किया गया।

श्री भैरोंसिंह : मैं रबी की फसल की बात नहीं पूछ रहा हूं। मैं बात पूछ रहा हूं खरीफ की फसल की रबी की फसल का नहीं। आप यह बतायें कि नसीराबाद के जिन गांवों का उल्लेख इस पत्र में है उनमें अकाल घोषित किया गया इसके सम्बन्ध में विकास अधिकारी और प्रधान ने संकेत किया था उसकी जांच करवाई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : विकास अधिकारी और प्रधान पचायत समिति का जो पत्र आया और जो गांव उसमें लिखे हुए थे उसको फिर से वेरीफिकेशन के लिए कलेक्टर के पास भेजा गया और उस पर कलेक्टर का नोट आया वह मेरे पास मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने इस जांच के बाद जिन गांवों

(श्री भैरोंसिंह)

को अकालग्रस्त नहीं बताया सरकार ने उन गांवों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : यह तो प्रेक्टिस ही है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर परिधि में) : इसी वजह से तेजकुमार को तब्दील किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्यों करवाया गया ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : ऐसा मैंने कहा कि दो साल से वहां पर अकाल पड़ रहा था विकास अधिकारी और प्रधान, पंचायत समिति ने लिखा कि वहां पर इस साल जिस वक्त लिखा था बिल्कुल खराब हो चुकी थी, कोई काम नहीं था, लोग भागकर जा रहे थे इसलिए अकाल घोषित किया गया और काम चलाये गये।

(१२ म० प०)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टैनेन्सी एक्ट में बिना कलेक्टर की सिफारिश के, जो आपने प्रासीजर एक बना रखा है उसको फॅलो किये बिना किसी भी गांव को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया जा सकता ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : गवर्नमेंट को सेक्शन ३ में, राजस्थान प्रभावित क्षेत्र कार्यवाही स्थगन अधिनियम में पावर्स हैं वह वास्ट पावर्स हैं, उसमें यह जरूरी नहीं है कि जो उसमें प्रक्रिया है उसके मुताबिक किया जाय। सरकार जरूरत समझती है तो कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अकाल ग्रस्त घोषित करने से पहले रिलीफ कमिश्नर से इस सम्बन्ध में कोई राय नहीं ली गई ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : रिलीफ कमिश्नर का नोटिंग है उस पर ही तो यह ऑर्डर हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि दोनों अधिकारियों, विकास अधिकारी और प्रधान, ने जिन गांवों में अकाल घोषित करने का पत्र लिखा था वह सीधा फाइनेन्स कमिश्नर को लिखा था ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : फाइनेन्स कमिश्नर को सीधा नहीं लिखा गया।

श्री भैरोंसिंह : यह पत्र किसको मिला था ?

श्री वृजसुन्दर शर्मा : यह पत्र लिखा गया था विभाग को।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब, नेक्स्ट कैसे। अध्यक्ष महोदय, अभी तो इसमें मुझे पूछना है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास स्थगित प्रश्न और हैं।

श्री भैरोंसिंह : स्थगित प्रश्न हैं इसलिए ही मैं अर्ज कर रहा हूं। क्या मन्त्री

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय यह बता सकते है कि इस पत्रावलि को, जो विकास अधिकारी और प्रधान ने इन गांवों में अकाल घोषित करने के लिए लिखा था, इस पत्रावलि को सीधा फाइनेन्स कमिश्नर के पास भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने अपने एन्डोर्समेंट के साथ में भेज दिया था, उसमें रिलिफ कमिश्नर और कलेक्टर का कहीं भी रेफरेन्स नहीं आता है और डाइरेक्टली चिट्ठी उसके पास आती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह पत्रावलि मैंने अध्यक्ष महोदय को दिखा दी है ।

श्री भैरोंसिंह : ऐं ? क्या कहा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पत्रावलि अध्यक्ष महोदय को दिखा दी हैं, यह किसी भी प्रक्रिया से हुआ हो, वह पत्रावलि में मौजूद है और अध्यक्ष महोदय को दिखा दी है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि विकास अधिकारी और पंचायत समिति के प्रधान की रिपोर्ट और कलक्टर की जांच जिम्मवारी के आधार इन दोनों में कन्ट्रेडिक्शन था फिर भी उसकी जांच कराये बिना इन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह बाद में आई है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अकाल ग्रस्त घोषित करने के पश्चात् जो राहत के काम खोले गये थे, वह भूल सुधार करने की गरज से बाद में बन्द कर दिये गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आवश्यकता नहीं रहने पर राहत कार्य बन्द कर दिये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री भैरोंसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सारे प्रोसीजर को ताक में रख दिया गया है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि भूतपूर्व वित्त मंत्री के कहने से इन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया गया और काम चालू कर दिये गये । आज तक सरकार यह नहीं मानती थी कि राजनैतिक आधार पर काम चालू किये गये हैं । लेकिन यह स्पष्ट उदाहरण है कि फेमिन कोड में अलग प्रावधान हैं, टैनेन्सी एक्ट में अलग धारायें है और सरकार ने अलग से नियम बना रखे हैं उन सब को ताक में रख कर भूतपूर्व वित्त मंत्री ने लिख दिया और उन गांवों में अकाल घोषित कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : यह आपने रिकार्ड पर कर दिया है । इस पर भाषण नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : भाषण नहीं है, मुझे एक जानकारी और चाहिए....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : रेड टेपिज्म को कम करने के लिए किया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह बता सकती है कि जो इस सम्बन्ध में प्रिलिमिनरी

(श्री भैरोंसिंह)

रिपोर्ट रिलीफ कमिश्नर ने दी है उसमें इन गांवों का उल्लेख नहीं था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन गांवों का उल्लेख नहीं था तभी तो शिकायत आई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने जो फाइनल रिपोर्ट समय पर भेजी है उसमें भी इन गांवों का उल्लेख नहीं था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसका इल्म मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ऐं ? आप रबी की फसल का कह रहे हैं, मैं खरीफ का कह रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें रबी की रिपोर्ट दी है इसलिए कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या कह रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी किसको होगी ? आपने कहा कि फाइनल रिपोर्ट मे इनका उल्लेख है। जो लिखित जवाब आपने सदन के सामने पढ़ कर सुनाया उसमें कहा है कि फाइनल रिपोर्ट में इनका उल्लेख है। मैं फाइनल रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा, मन्त्री महोदय कह दें कि रबी फसल की रिपोर्ट में अकाल ग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में है उसमें इन गांवों का उल्लेख नहीं है ? मन्त्री महोदय कह दें कि जिन गांवों के नाम कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं उनमें यह गांव शामिल नहीं है जिनमें अकाल घोषित किया गया है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जो शामिल नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह कहां कहा गया है ? यह जवाब में लिखा है, जवाब में कहा है........

श्री पी० के० चौधरी : फाइनल रिपोर्ट आपको कहां से मिली ?

श्री भैरोंसिंह : कहीं से मिली हो ! इसमें कहा है— गिरदावरी गलत होने की व फसल खराब होने की शिकायत राज्य सरकार को विकास अधिकारी व प्रधान द्वारा मिली। इन क्षेत्रों में पिछले वर्ष भी अकाल था व आसपास के गांवों में भी अकाल था अत: राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में अकाल की घोषणा की गई। जिलाधीश द्वारा प्रेषित रबी की अन्तिम रिपोर्ट में भी इन चालीस गांवों में से ३१ गांव अभावग्रस्त बतलाये गये हैं।

रबी की अंतिम रिपोर्ट का जिक्र आपकी तरफ से है तो अन्तिम रिपोर्ट होनी चाहिये इसके अलावा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रिलिमिनरी और फाइनल रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट है। कलेक्टर की तरफ से दो रिपोर्ट नहीं हैं।

Page No. 33

श्री भैरोंसिंह : कैसे ? रूल्स में प्रावधान है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कलेक्टर की तरफ से देने का प्रोसीजर है और इसमें है कि फाइनल रिपोर्ट ३१ नवम्बर को दी जायगी। यह फिर आपने फेमिन कोड क्यों बना रखा है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री आलम अली !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ऊपर मैं चाहूंगा, इस सदन के तीन माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाय। कोई विरोधी दल इसकी जांच करे – मैं इस बात का कायल नहीं हूं। श्री पी. के. चौधरी जो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, वह फाइल देख कर यह कह दें कि राजनैतिक आधार पर कानून का उल्लघन करके राज्य सरकार ने इन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया है तो, मैं अध्यक्ष महोदय, इस सदन में खड़े होकर माफी मांगने को तैयार हूं.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री भैरोंसिंह : फाइल देखकर निर्णय दे दें कि मन्त्री के कहने से इन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, वह यह निर्णय दे दें, कि नियमानुसार कार्यवाही हुई है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। इसके अभाव में मेरा आरोप सही है कि राज्य सरकार ने बाल कृष्ण कौल, जो भूतपूर्व वित्त मन्त्री थे, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के पूरे गांवों में अकाल घोषित कराया........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : और अकालग्रस्त घोषित करा कर........

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : राहत काम कराये। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप और यह सदन भविष्य के लिए कम से कम यह व्यवस्था कर दे कि आयन्दा अकाल के कामों में लोगों का राजनैतिक शोषण नहीं किया जायगा। यदि कांग्रेस के लोग मेरी बात में सन्देह करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि वह मेरी इस चुनौती को स्वीकार करें, मैं कोई जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की डिमाण्ड नहीं करता हूं, मैं कोई आफिशियल इन्क्वायरी कराने की डिमाण्ड नहीं करता हूं, कांग्रेस के तीन माननीय सदस्य, पी के चौधरी मूलचन्द डागा और खेतसिंह जी की एक कमेटी बनाई जाय और वह बैठ जायं, और बैठ कर सारे कागजात को देख कर इस हाउस के अन्दर यह कह दें कि नियमानुसार कार्यवाही हुई है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : तो मैं सदन में खड़े होकर खेद प्रकट करने के लिए तैयार हूं। सरकार यह स्वीकार नहीं करती है तो मेरा आरोप है कि बाल कृष्ण कौल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को गुमराह करने के लिए राज्य सरकार से....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

Page No. 34

श्री भैरोंसिंह : गलत ढंग से अकाल घोषित करवा कर रिलीफ के कामों में जनता का पैसा खर्च कराया है, अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित कराने में नियमों का उल्लंघन किया है....

श्री अध्यक्ष : That is all.

श्री भैरोंसिंह : और मौजूदा राजस्व मन्त्री हैं मैं उनको निश्चित रूप से कहता हूं कि आपने कानून की अवहेलना करने का सर्टिफिकेट दिया है और आप ऊपर से हंसते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति को सदन में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए !

एक माननीय सदस्य : शेमफुल !

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कई बार इस सदन में भाषण दिये हैं. जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के कई बार सुने हैं, जिनमें उन्होंने फेमिन कोड में एबसोल्यूटली चेंज करने के लिए कहा है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल ! मैंने कहा है। लेकिन सरकार हमेशा यह कहती है कि जब तक दूसरा फेमिन कोड नहीं बनता है तब तक यह चलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, पी. के. चौधरी वगैरह इस प्रश्न पर क्या कहते हैं, यह मैं उन माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं जो हमेशा ईमानदारी की डींग हांकते हैं वे खड़े होकर कहें। मैं कोई जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं चाहता हूं, मैं पी. के. चौधरी के द्वारा इन्क्वायरी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : इनकी ताकत नहीं है कि यह जांच करायें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बहुत महत्वपूर्ण सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछे गये हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं नहीं जानता कि वास्तविक स्थिति अजमेर जिले की क्या है लेकिन मेरे यहां उदयपुर डिविजन के अन्दर जो हुआ है उसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है और निश्चित रूप से यह मेरी मान्यता है कि यह सरकार कानून को बलाये ताक रख कर के और इस अकाल राहत कार्य के दरपर्दे इस तरह के शिकार खुल कर खेल रही है क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल में बनी हुई है, सीधी-सादी सी बात है, यह मांग की गई है, इस बारे में निश्चित रूप से जांच की जाय। मन्त्री महोदय भी मेरे ख्याल में कुछ कहने को तैयार नहीं हैं लेकिन हमारी यह भी बात नहीं मानी जाती

Page No. 35

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है कि तीन कांग्रेस दल के विधायक मिसल को देखें और मिसल को देखने के पश्चात् सिर्फ यह निर्णय करें कि नियमितता और अनियमितता बरती गई है। इस चीज को भी अगर नहीं माना जाय तो मेरे ख्याल में यह दुर्व्यवस्था और भ्रष्टाचार और कूटनीति की पराकाष्ठा होगी....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने तीन सदस्यों के नाम दिये हैं मैं समझता हूं वे सब कांग्रेस के सदस्य हैं उसकी जांच के लिये मन्त्री महोदय को तैयार हो जाना चाहिये। यह इसलिये भी आवश्यक है कि लोकतन्त्र में जनता की आस्था हो जितने भी मुद्दे राजस्थान सरकार द्वारा अपने हित के लिये अपने राजनैतिक हित के लिये ये सब कदम उठाये गये हैं उसका मन्त्री महोदय ने प्रतिवाद किया है। सरकारी धन का इस प्रकार से दुरूपयोग किया जा सकता है जब इस प्रकार का आरोप सदन में आपके समक्ष लगाया जाता है ...

श्री भगवानदास शास्त्री : तभी श्री तेजकुमार का वहां से तबादला कर दिया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : I have replied to every question separately.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज अध्यक्ष महोदय, इस अकाल सम्बन्धी बातों का जिक्र पहले भी कई बार हुआ है और खास तौर से इस प्रश्न पर सरकार पिन डाउन हुई है और खास तौर से माननीय मन्त्री महोदय ने इस प्रकार का रवैया दिखाया है कि विरोधी दल के इतने आरोप लगाने पर भी उनको चिन्ता नहीं। हम अपने राजनैतिक उद्देश्य के लिये इसी प्रकार सरकारी धन का उपयोग करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पर इस प्रकार से भाषण नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी प्रकार की हरकतें अगर चलती रहीं तो लोकतन्त्र ज्यादा दिन यहां रहने वाला नहीं। इस प्रकार की हरकतें होती रहीं तो लोकतन्त्र बेकार है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज्। प्रश्न पर भाषण नहीं होगा इस पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिये गये हैं मैं आगे का प्रश्न लेता हूं।

(शोरगुल, अश्रव्य, व्यवधान)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हुए यह मांग करते हैं और हमारी यह न्यायोचित मांग है अगर सरकार कान बंद करके इस प्रकार से हमारी अनुचित मांग न होते हुए भी उचित मांग की अवहेलना करती है तो मेरे ख्याल से यह जनतन्त्र और विधान सभा बिल्कुल बेकार है। सरकारी धन को अनाप शनाप और अवैधानिक रूप से खर्च करती रहे और किसी पर आपत्ति उठायी जाय कि यह पैसा कैसे खर्च हुआ उसका सदुपयोग हुआ या दुरूपयोग इस बात की जांच के लिये निवेदन किया जाय और उस मांग पर भी सरकार का यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रुख रहे तो मेरे ख्याल में यह तो हमारे असन्तोष की पराकाष्ठा है। हमको इस प्रश्न पर बहिर्गमन कर देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक सामान्य बात है इस पर जांच हो सकती है-जो फेक्ट्स यहां पर रखे गये हैं इससे जरूर यह प्रतीत होता है कि सामान्य नियमों की अवहेलना करके राजनैतिक दृष्टिकोण को आधार रख कर यदि राहत के कार्य कराये जाते हैं तो माननीय सदस्यों के अनुरोध पर सरकार में यह हिम्मत होनी चाहिये कि वे इस प्रकार की जांच करवाने के लिये तैयार रहें। लेकिन इस साधारण सी बात को गवर्नमेन्ट मानने के लिये तैयार नहीं वह अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी का फायदा उठाकर निर्णय लेना चाहती है मैं समझता हूं यह डेमोक्रेसी का दृष्टिकोण नहीं इसलिये इनसिस्ट करुंगा कि इस बात की इन्क्वायरी को गवर्नमेन्ट स्वीकार करे।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इस पर जो वाद विवाद हुआ हैं उससे एक तो यह बात साफ है कि राज्य सरकार को जो वित्तीय अधिकार हैं उस बारे में यह प्रश्न उठ रहा है उस वित्तीय अधिकारों का उपयोग मानवीय कल्याण के लिये करते हैं या राजनैतिक लाभ के लिये। यह जो प्रश्न है इसका जिस प्रकार से उत्तर आया है उससे यह स्पष्ट है कि इसमें मानवीय कल्याण तो नहीं राजनैतिक लाभ ज्यादा दिखाई देता है। लोकतन्त्र मे स्वस्थ परम्परा की स्थापना के लिये यह उत्तम सरकारों के लिये जरूरी है कि इस संबन्धी जांच का अगर कोई प्रस्ताव आये तो उसको स्वीकार करना चाहिये। अगर लोकतन्त्र में इस प्रकार से कोई गलत परम्परा स्थापित होती है सरकार का गलत रुख रहता है तो उसमें लोकतन्त्र के गलत दिशा में जाने का खतरा रहता है इसलिये मेरी भी यह मांग है कि इस मामले की जरूर जांच होनी चाहिये। चाहे कांग्रेस वालों की कमेटी बिठाकर हो या किस तरह से इस बारे में मंत्री जी प्रक्रिया निश्चित करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे भी इस बारे में कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

मैंने उदारता पूर्वक प्रश्न पूछने का समय दिया। इस प्रश्न को भाषण का रूप दिया फिर भी मैंने रोका नहीं है। अब मेरे पास शेष प्रश्न और हैं आप मुझे सहयोग दें ताकि उन प्रश्नों को लूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम बराबर सहयोग देना चाहते हैं लेकिन जिस प्रकार गवर्नमेंट ने एरोगेन्ट एटीट्यूड अपनाया है इस तरह की हमारी सामान्य मांग को भी स्वीकार न करे तो यह अपोजिशन सहयोग का प्रश्न कहां रहा ?

श्री अध्यक्ष : आप फिर दुबारा उठकर भाषण करने लग गये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : शासन की तरफ से जो जवाब दिया गया है कि कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। लेकिन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जब इसी प्रकार से दूसरी जगहों के लिये सवाल आया वहां भी पंचायत समिति और जिला परिषदों से प्रस्ताव पास करके आये है लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया जैसे सरदार शहर, चूरू, डूंगरगढ के बारे में सारण साहब ने कहा वहां पर तो आपने अकाल डिक्लेअर नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ? माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसे चूरू जिले का सवाल दिया था उन्होंने कहा था इस प्रकार अन्य क्षेत्रों की जिला परिषदों ने प्रस्ताव किया है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक तरफ तो कहते है कलेक्टर की बात मानेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं निवेदन करना चाहता हूं जिन गांवों में अकाल घोषित किया गया है और जहां काम शुरू करवाया गया वहां के आसपास पांच माइल के अन्दर कम से कम चार पांच ऐसे गांव है जहां अकाल घोषित किया हुआ है । जैसे जेठाणा गांव है लीडी, ओकडियावास, कानाखेड़ी इन सारे गांवों में भयंकर अकाल है । लीडी में बताया गया है अमरपुरा डिपलाई इन दो गांवों के आसपास अकाल है । ओकडिया वास, कानाखेड़ी, मांगलियावास, अर्जुनपुरा, वीर इन गांवों में भी अकाल था बनेवारी मंडिया नई लाडथपुरा इन गांवों में भी अकाल था । इन गांवों के आसपास के गांवों में पांच मील के एरिया में भयंकर पानी की की कमी से ऐसी स्थिति खराब थी लोग अपने गांव छोड़ छोड़ कर बाहर जाने लग गये थे। गवर्नमेंन्ट द्वारा जब यह बातें हुई थी पंचायत समिति ने और विकास अधिकारी ने जो रिपोर्ट की उसके आधार पर गवर्नमेंट ने काम शुरू किया । जनहित मे कार्य करना बहुत आवश्यक था ।

श्री दौलतराम सारण : मेरे क्षेत्र में चार वर्षो से अकाल था वहां की पंचायत समिति और जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास करके भेजा फिर भी आपने वहां अकाल राहत कार्य खोलने का आदेश नहीं दिया ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सरकारी पैसे का इस प्रकार दुरूपयोग हुआ अकाल राहत के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है और वह भी एक जिले के लिये लगाया गया ।

एक माननीय सदस्य : यह सरकारी पैसे का दुरूपयोग नहीं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनिट के लिये कहने दीजिये....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : विरोधी दल के नेता बारबार कहते है कि उदयपुर डिवीजन में अकाल के नाम पर पैसे का दुरूपयोग किया गया....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

Page No. 38

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा अब भी यह कहना है कि अकाल राहत के नाम पर जो पैसा खर्च किया गया चुनावों को जीतने के लिये किया गया....

श्री रोशनलाल शर्मा : आप एक तरफ तो कहते हैं कि बन्द क्यों किये गये शुरू करवाये जांय ...

महाराल श्री लक्ष्मणसिंह : अब शुरू करने मे क्या फायदा है ?

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) : आपका एक मेम्बर जीतकर नहीं आया है इसलिये आप कह रहे हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मन्त्री भ्रष्टाचार के गुरूजी और महन्त हैं ।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज् ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुख्य मन्त्री भ्रष्टाचार के गुरूजी और महंत हैं ।

(श्री विजयसिंह (मकराना) : और अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । हाउस इन आॅर्डर । कृपया स्थान ग्रहण करें मैं आपको समय देऊंगा पर पहले उग्रता को शान्त होने दीजिये ।

मैं पूछना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ने जो उनको कहना था वह समाप्त कर दिया ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करने दीजिये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चुनावों के बाद वही राहत कार्य हो रहे हैं, जो नसीराबाद के गांवों में चुनावों के पहले थे....

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं निवेदन करूंगा विरोधी दल के नेता महोदय से कि मैं जवाब देने खड़ा हुआ हूं तो मुझे कहने दें ।

(शोरगुल, अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आर्डर....

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इस प्रकार का सवाल राहत कार्यों के बारे में कई बार उठाया गया है । कभी डूंगरपुर के बारे में सवाल उठाया गया, कभी बांसवाड़ा के बारे में सवाल उठाया गया, कभी अजमेर का सवाल उठाया लेकिन इस तरह की बाद में चीजें आती हैं तो यहां शिकायत उठाते हैं कि काम बन्द कर दिया । अभी विरोधी दल के नेता महोदय ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है, उसमें यह कहा है कि काम बन्द क्यों कर दिया । एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करते हैं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय आपने चुनावों के पहले राहत कार्य शुरू किये....

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे इस तरह इन्टरप्ट करें....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और चुनावों के बाद बन्द किये गये तो हम कहते हैं कि क्यों बन्द किये ...

श्री बृज सुन्दर शर्मा : It is wrong, it is completely wrong and it is not fair.

(शोरगुल)

(श्री रोशनलाल, श्री सतीचन्द्र अग्रवाल, श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री विजयसिंह सिंह (मकराना) एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।....

(शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया : मेंबरों को भी जुकाम हो रहा है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय ये विरोधी दल के लोग चिड़ते हैं बोलने नहीं देते ?

श्री भैरोंसिंह : चिड़ते नहीं हैं....

(शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया : ललकारते हैं, वाजिब बात पर ललकारते हैं....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री जयनारायण सालोदिया : ललकारते हैं, चैलेंज करते हैं ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ।

(शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : शर्म आनी चाहिये ।

चाटुकार हैं ।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह राजस्थान का विरोधी दल है....

(शोरगुल)

जो बर्दाश्त करता है....

और जगह का विरोधी दल हो तो.... जूते लगावे ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दो तरह के जिले आये हैं, एक तो चूरू जिला जहां जिला परिषद ने रिकमण्ड कर दिया, तहसीलदार ने, एस. डी. ओ. ने कर दिया कि वहां अकाल है, पर चूंकि वह विरोधियों का जिला है इसलिये कहें कि कलेक्टर की रिपोर्ट को फाइनल मानेंगे। वहां अकाल है, अकाल होते हुए भी अकाल घोषित नहीं किया, राहत नहीं दी। दूसरा जिला नसीराबाद का आता है, वहां अकाल नहीं, वहां का कलेक्टर रिपोर्ट देता है कि वहां अकाल नहीं है, जिन अथेरिटीज को फाइनल मान कर अकाल सहायता देते हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उन प्रोपेरिटीज की अकाल होने की रिपोर्ट नहीं, बल्कि यह रिपोर्ट है कि वहां अकाल नहीं है, वहां अकाल सहायता देते हैं। अकाल जैसे कार्यों में राजनीति अपनायें। किसी में ज्यादा दे दें तो शिकायत नहीं पर हमारे क्षेत्र में अकाल में लोग भूखों मरते है तो भी मदद नहीं देंगे और दूसरी जगह आपके क्षेत्र में अकाल नहीं है तो भी मदद दें, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सारण साहब ने जब सवाल उठाया तो मन्त्री महोदय ने कहा कि कलेक्टर की रिपोर्ट को फाइनल मानेंगे। और यहां कलेक्टर की रिपोर्ट है कि अकाल नहीं है वहां अकाल घोषित करके अकाल राहत कार्य शुरू कर दिया। एक नियम निर्धारित किया जाय तब जस्टिस होगा। केवल इसलिये कि हमारी गवर्नमेंट है, करोड़ों रुपया अपने हक में चुनाव जीतने के लिये खर्च करते हैं, यह रिप्लाई है तो इस तरह कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनिट....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। आप अगर व्यवधान नहीं डालें, मैं कुछ बिजनैस को रेगुलेट करना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अश्रव्य !

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य !

(श्री आदित्येन्द्र बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री आदित्येन्द्रजी, कृपया स्थान ग्रहण करें, Chair is on its legs. कुर्सी अपने पैरों पर है।

मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जो उग्रता इस प्रश्न पर सदन ने दिखाई है। मैंने भी जहां तक इस प्रश्न के सम्बन्ध में आपको अधिक से अधिक प्रश्न पूछने का जितना अवसर दिया जाना था वह मैंने दिया। आखिर इसका कोई अन्त होना चाहिये। मैं यह समझता हूं, प्रश्नोत्तर काल का समय भी समाप्त हो गया और स्थगित प्रश्न भी अवशेष रह गये और सदन की उग्रता अभी तक मुझको शान्त हुई नहीं दिखती।

एक माननीय सदस्य : नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : इसलिये आपने यह प्रश्न उठाया, मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया आपका प्रश्न था कि इस पर जांच हो, मन्त्री महोदय ने आपको संतुष्ट करने का यथा शक्ति प्रयत्न किया....

एक माननीय सदस्य : संतुष्ट नहीं हुए ....

श्री अध्यक्ष : वह तो मैं जानता हूं, संतुष्ट हुए या नहीं। अब मन्त्री महोदय के पास कोई स्थिति विशेष प्रकार की नहीं। क्या मैं मानूं कि आप इस प्रश्न को बार बार बराबर उठाते रहें और आगे की कार्यवाही बन्द रखेंगे। इस प्रश्न पर आप जितना स्पष्टीकरण करना चाहते थे, उससे अब अधिक होना सम्भव नहीं। माननीय सदस्य पहले बता चुके हैं, उसी को दुबारा तिबारा

Page No. 41

(श्री अध्यक्ष)

कहें तो इसका कोई अन्त नहीं है। इसलिये सदन से आग्रह करूंगा कि उग्रता को शान्त किया जाय। आगे की कार्यवाही को लिया जाय और इस प्रश्न पर मैं चाहता हूं कि अब आगे कोई विवाद नहीं हो।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): प्रश्न यह है कि एक बार नहीं अनेकों बार सदन में यह बात कही गई कि चुनावों में जीतने के लिये राजकीय धन का उधर बैठने वाले लोगों ने दुरुपयोग किया है, यही प्रक्रिया चलती रही तो देश में जनतन्त्र चल नहीं सकता। आज सत्ता आपके हाथ में है, कल किसी दूसरे के हाथ में आ सकती है। राजकीय धन दौलत को अपनी खातिर, अपने चुनाव जीतने के लिये इस तरीके से खर्च किया जाता रहा तो यह जनतन्त्र की हत्या होगी। आप सदन के अध्यक्ष हैं, आपसे हम प्रोटेक्शन सीक करते हैं, संरक्षण चाहते हैं, जनतन्त्र का इस तरह दुरुपयोग, इस तरह नंगा नाच किया गया है, इस तरह की अनेकानेक शिकायतें आई हैं तो इसकी जांच के लिये एक निष्पक्ष आयोग नियुक्त किया जावे ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने से रुक सके, जनतन्त्र नष्ट होने की कगार पर आ चुका है, वह बच सके। नहीं तो यह जनतन्त्र तानाशाही में परिणित हो जायगा।

भरतपुर का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वहां के तहसीलदार ने रिपोर्ट की, वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पास किया.......

श्री अध्यक्ष : अगर इस तरह जिलों के उदाहरण लिये जाने लगेंगे तो इसका मतलब होगा कि बजट सेशन हो गया। मैं इसी प्रश्न पर सीमित रखना चाहता हूं....

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : बस ठीक है....

श्री अध्यक्ष : पूरा नहीं कहा है। आगे मेरी व्यवस्था है कि सीमित रहते हुए आप आगे नहीं बोलेंगे। यह भी मेरी व्यवस्था है। बार-बार सदन के आसन को सदन का कस्टोडियन कहते हैं, और आग्रह करते हैं कि मैं निर्णय दे सकता हूं, आदेश दे सकता हूं....

श्री लादूराम सुलानिया : हम पर ही देते हैं, उन पर नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कान्स्टीट्यूशन का प्रश्न है, मुझे कुछ कह लेने दीजिये।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने यह प्रश्न उठाया, उग्रता से उठाया, शान्ति से उठाया, मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया। अब आसन को कहा जाता है कि आप आदेश दें। आपको भ्रांति हो तो उसको दूर करना चाहता हूं...

'Asan' is the last servant of the House.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें छूट दे दीजिये....

श्री अध्यक्ष : छूट देने का मतलब है मैं यहां से चला जाऊं, मैं विथड्रा कर लूं और आप चलायें ?

श्री हीराभाई : यह प्रश्न जिम्मेदारी का है, जांच कराने का है, भ्रष्टाचार हो....

श्री अध्यक्ष । आॅर्डर । स्थान ग्रहण करिये ।

मुझको इस दुविधा में, व्यवधान में नहीं डालें कि तरीका नहीं निकाला और जहां तक आसन का प्रश्न है, वह रेगुलेट कर सकता है बिजनैस को । सुपरिन्टेन्डेन्ट की पावर हो सकती है, जूडिशियल पावर हो सकती है, पुलिस की पावर हो सकती है, रेजिड्युएरी पावर हो सकती है, पुलिस और जूडिशियरी की वह पावर नहीं समझ लें Within the precincts of the house-

ऐसी स्थिति में यह आसन आपकी मान्यताओं और भावनाओं का एक प्रति-विम्ब मात्र है, उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है पर जज बन कर जजमेंट नहीं दे सकता यह मेरी मान्यता नहीं संसदीय मान्यताए हैं । ऐसी स्थिति में मन्त्री महोदय ने आपकी मान्यताओं को समझ लिया है, वे जांच के लिये तैयार नहीं हैं । आप चाहते हैं कि यह प्रश्न चलता रहे, हाउस का और कार्य बन्द रहे....

विरोधी दल के नेता ने भाषण में बत-लाया कि वाकआउट करना चाहते हैं । अगर इस प्रक्रिया से यह चीज समाप्त होती हो तो आगे के कार्यक्रम में सुविधा हो सकती है ।

(व्यवधान)

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : वाक-आऊट करने का कोई अर्थ है । जब सरकार के बहरे कानों पर कोई असर न हो तो क्या फायदा ? ये तो दुपहर में मजदूरों को इक-ट्ठा करके कांग्रेस का झंडा लगाना, कांग्रेस की जय बुलवाना और कांग्रेस ही अन्नदाता है, सरकार का पैसा है, और इस तरह से अगर आप चुनाव जीतेंगे तो मेरे खयाल से जनतंत्र के ऊपर बलात्कार है, जनतंत्र की हत्या है और जनतंत्र में विश्वास नहीं रहेगा और वाकआऊट या नोवाकआऊट, मत्री महोदय विराजमान हैं और सरकार की भावना क्या है, बिल्कुल स्पष्ट दीख रही है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल : क्या प्रस्ताव आप इस बात के लिए रखते हैं कि जनधन नाश होता है, टैक्सिज के प्रस्ताव इसलिए लाते हैं कि कांग्रेस बराबर बनी रहे । अगर यही प्रक्रिया चली तो संस-दीय प्रणाली का देश में नाम नहीं रह सकता ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : इसमें धन का दुरुपयोग किया गया है । इस सारे घोटाले की जांच करानी चाहिए । भारत सरकार द्वारा या किसी हाईकोर्ट के जज

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

द्वारा या किसी उच्चाधिकार आयोग द्वारा, वे निर्णय करें जो दोषी लोग हैं उनको सजा दे देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में बदल जायगी। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का चीफ मिनिस्टर वह वरचूअली डिक्टेटर हो जायगा हम इस तरह की बातें बरदाश्त नहीं करेंगे और....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : आपने नियमों का हवाला दिया। मैं सर झुकाकर उस चीज को स्वीकार करता हूं परन्तु मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इतने बड़े सदन के ऊंचे आसन पर अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, वह बेवसी जाहिर करें, ऐसी बात आप करें, हम लोगों को ऐसी बातें....

(व्यवधान)

श्रीअध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैं समझता हूं कि जनतंत्र का गला घोंटना है। इस तरह की चीजें कभी बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। बेवसी का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं शायद कान्सट्यूशनल लायर हैं। यह संविधान और नियमों की बेवसी है, आप उसमें से निकाल दीजिए। न्यायाधीश बना दीजिए आसन को।

(शोरगुल)

श्री रामानंद अग्रवाल : आप आदेश दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सीमाओं के अंतर्गत हूं संविधान और यहां की प्रकियाओं के। माननीय श्री केदारनाथ।

श्री केदार नाथ : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १५ वर्ष की पार्लियामेंटरी हिस्टरी में इससे बढ़कर कोई डेमोक्रेटिक सवाल नहीं है। उसको भी सरकार नहीं मानें तो रोजमर्रा की डिबेट रेग्यूलर फीचर बन जायेगी, फिर आपको रोजमर्रा इन्टर-वीन करना पड़ेगा। यह मांग अगर रेग्यूलर फीचर बन गई तो आपको इन्टरवीन करना पड़ेगा। तो आपके फायदे की बात है। आपको डेमोक्रेसी पर चलना चाहिए। रूल्स को मानेंगे नहीं, आपने अंडरमाइन किया, इसकी जांच कराएं। इससे हम्बुल सजेस्शन कोई मेरा नहीं हो सकता। आप अपने फायदे के लिए, सरकार के फायदे के लिए और सदन की इच्छा का आदर करते हुए, यह निवेदन जरूर मानें।

श्री मूलचंद डागा : तारीख २० को एक सकंल्प रखा गया है और उसकी मन्शा यह है कि राज्य के अकाल राहत कार्यों पर हुए सार्वजनिक धन के व्यय की जांच हेतु

(श्री मूलचन्द डागा)

एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्ति की जाय। ता० २० के लिए ५ माननीय सदस्यों ने यह संकल्प आपके यहां रखा है और तारीख २० को इस संकल्प पर विचार करने का मौका दिया जायगा। अगर संकल्प पास हो जाता है तो सारी बातें समाप्त हो जाती हैं, तारीख २० आने वाली है।

श्री अध्यक्ष : श्री आदित्येन्द्र ।

श्री आदित्येन्द्र : ठाकुर भैरोंसिहजी ने जो मांग रखी है वह छोटी सी मांग है और न्यायोचित भी है। याने इस प्रश्न पर जितनी बहस हुई, बहस की बात बिल्कुल साफ है कि राजनैतिक आधार पर अक्सर फैसले होते हैं। इस फैसले के बारे में ठीक इस बात को सिद्ध करने के लिए कि राजनैतिक आधार पर होते हैं या नहीं, निष्पक्षता बरती जाती है या पक्षपात किया जाता है, इसके लिए आपसे छोटी सी मांग है और मैं समझता हूं कि संबंधित मंत्री महोदय, राजस्व मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि अपने साथियों से बात करके, इस संबंध में वह इस मांग को मान लें क्योंकि जब वह तीनों व्यक्ति जो उनके साथी सदस्य हैं जो कांग्रेस पार्टी के है उनके ऊपर जब वह इतना विश्वास करते हैं तो इससे आपका भी ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आप भी सिद्ध कर सकेंगे कि आप राजनैतिक आधार पर फैसले नहीं करते बल्कि निष्पक्षता के साथ काम करते हैं और अगर यह बात सिद्ध हो जाती है और तीनों यह कह दें कि यह जो कुछ बात उठाई है माननीय भैरोंसिहजी ने यह बात ठीक है तो भी मैं समझता हूं कि इससे यहां जनतंत्र की सुरक्षा होगी और कांग्रेस पार्टी भी बलशाली होगी, कमजोर नहीं होगी। इस चीज को स्वीकार कर लें इन तीनों की नियुक्ति कर दें और तीनों जो कुछ फैसला दें, वह मान्य होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : विरोधी दल के सदस्यों ने जो सरकारी नीतियों के विरोध में....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इन प्रश्न पर नहीं बोलना है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बोल नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप आगे भाषण देंगे जनतंत्र वगैरह पर, उसका महत्व क्या है, सिर्फ प्रश्न यह रह गया है आपके और इनके बीच में कि क्या जानकारी समाप्त हो गई। आप जांच के प्रश्न पर चल रहे है, जांच का प्रश्न मत्री महोदय को स्वीकार नहीं है। इसलिए....

श्री हीराभाई : आपके आदेश हो जायं तो होगा।

श्री अध्यक्ष : अब मैं इसको समाप्त करता हूं और आगे का प्रश्न लेता हूं।

श्री श्रवणलाल : जांच स्वीकार नहीं है तो इसका मतलब घोटाला है, इसलिए इन्क्वायरी नहीं करना चाहते, इसलिए पक्षपात करना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : अन्याय करते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब मंत्री महोदय स्वीकार नहीं करते हैं और अध्यक्ष महोदय इनको उचित समझते हैं तो आसन को अधिकार है कि ...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आप रिफ्लेक्शन मत करें। अध्यक्ष औचित्य और अनौचित्य से परे है, मैं इस मसले पर कोई मान्यता और राय नहीं रखता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अकाल के १२ करोड़ रुपये खर्च हो जायं, अकाल राहत का काम नहीं हो, कोटा जिले में बारां तहसील में २८ गांवों में ४ महीने में कोई काम नहीं हुआ, लोगों को खाने पीने के लिए नहीं मिला और नसीराबाद में भूतपूर्व वित्त मंत्री इस प्रकार धन का दुरुपयोग करें और अध्यक्ष जांच नहीं करा सकते. आपको अधिकार है कि मंत्री महोदय को आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : मेरे अधिकार सीमित हैं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : अभी नसीराबाद में जो अकाल के सबंध में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया, उस संबंध में यहां पर चर्चा हुई।

अध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री महोदय ने इस सदन में इस बात को स्वीकार किया।

(एक सदस्य के बीच में बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर। आॅर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कि जिलाधीश अजमेर ने जो एक पत्र...

(फिर किसी माननीय सदस्य के कुछ बोलने पर)

हालत तो कुछ ऐसी पैदा हो रही है।

यह तो आप इस बात के लिए शुक्रिया अदा कीजिये कि राजस्थान में विरोधी दल कितनी जिम्मेदारी के साथ वाद विवाद करता है। आप अपना देखिये कि बिहार में विरोधी दल की जगह बैठकर किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी करती है।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात जारी रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां बातें छोड़ी जावेंगी तो इसका जवाब तो मिलेगा ही। यह, अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस को यह नहीं भूल जाना चाहिये और आपको भी ध्यान में रखना चाहिये कि कांग्रेस पार्टी के लोग अपने स्वार्थ के लिये किस हद तक जाते हैं किस तरह आसन पर पहुंच कर माइक पकड लेते हैं, किताबों को फेंकते हैं, कुर्सियां और चप्पलें फेंकते हैं। इस बदतमीजी के साथ ये पेश आते हैं।

श्री अध्यक्ष : यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। (एक सदस्य के कुछ कहने पर : अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक बात रख रहा हूं। आपको पता नहीं है हमने विजयसिंहजी को किस प्रकार रोक रक्खा है। (बीच बीच में शोरगुल : अश्रव्य)

तो अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। यह जिलाधीश अजमेर का एक पत्र जिसका हवाला राजस्व मन्त्री ने दिया और यह कहा कि उस पत्र में सारी बातें सही है तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे और सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब पत्र में लिखी हुई सारी बातें सही हैं तो जो आपने उत्तर दिया वह सारा का सारा गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए, आपने तो सदन में वह पत्र प्रस्तुत नहीं किया पर मैं कर देता हूं। उसमें लिखा है :-

"My dear Shri Jhala,

This is with reference to your D. O. No. 65/P A/F. C./67 and subsequent letter No. 2996 dated 31st January 1967 from Assistant Secretary (Relief).

I have gone through the Jinswar statement of these villages and find that in many cases even those villages where loss is less than four annas, have been declared as scarcity affected villages on the recommendation of pradhan or Vikas Adhikari."

चार आने से कम जहां नुकसान है वहां अकाल घोषित कर दिया। यह कलेक्टर महोदय कहते हैं।

"At the time of Girdawari, panchas and Sarpanchas of the villages had accompanied the Patwaries..."

(श्री सारण के एक दूसरे सदस्य के साथ बोलने और कुछ कहने पर : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री सारण। Should I name the hon. Member ?

मुझ को डाइरेक्शन देने की जरूरत नहीं।

आप प्रारम्भ रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "At the time of Girdawari panchas and Sarpanchas of the villages had accompanied the patwaries. No question of personal inspection arises at this stage as the crops have been removed from the fields as back as November, 1966. Attestation of the kharaba by village Panchas shows that by and large the kharaba was properly assessed. I fail to understand how the pradhan assesses the kharaba after the removal of crops from the fields."

(शेम शेम की ध्वनि)

"I am enclosing herewith Jinswar statement of these villages along with the name of person who remained with the patwari during the crop inspection.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

I do not find any fault with the assessment of loss in Kharif crops."

अध्यक्ष महोदय, यह पत्र जिलाधीश महोदय ने लिखा।

इस पत्र के बारे में राजस्व मन्त्री महोदय ने कहा कि पत्र में जो लिखा है सही है। इसका अर्थ यह हुआ कि फसल का नुकसान तो चार आने से भी कम का था और चार आने से कम था तो जिन गांवों को आपने स्केअरसिटी इफेक्टेड एरिया डिक्लेअर किया तो वह तो नियमानुसार फेमीन स्ट्रिकन एरिया हो नहीं सकता। इसलिये जो रिजेक्टमेन्ट विरोधी दल का है जो चार्ज सरकार पर उसके हैं कि इस प्रकार से राजनैतिक आधारों पर वित्त मन्त्री महोदय, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, गम्भीरता इसलिये भी ज्यादा बढ जाती है कि उस समय वहां पर चुनाव हो रहे थे, वह चुनावों का समय था और उन चुनावों को जीतने के लिये कांग्रेस के भूतपूर्व वित्त मन्त्री के लिये लाखों रुपया इस तरह से अकाल के नाम पर खर्च किये जावें जहां कि चार आने से कम का खराबा हो, गिरदावर पटवारी ने रिपोर्ट की है, पटवारी के खिलाफ गिरदावर के खिलाफ एक्शन लिया नहीं। लैंड रेकार्ड आफिस में क्राप के फेल्योर का जिन्सवार स्टेटमेन्ट है। लैंड रेकार्ड रूल्स में प्रोवीजन है कि क्राप फेल्योर इस एक्सटेन्ड तक होगी जिन्सवार फेमीन की रिपोर्ट जावेगी पटवारी की रिपोर्ट जावेगी पटवारी की रिपोर्ट का हवाला होगा, पटवारी ने रिपोर्ट भेजी कलेक्टर तक वह तहसीलदार और एस. डी. ओ. के मार्फत होती हुई पहुँची। उस पर कलेक्टर कहता है कि चार आने से कम का खराबा है, पर प्रधान की आड़ लेकर, बी. डी. ओ. की आड़ लेकर, जब कि इस प्रकार विकास अधिकारी को प्रधान को लैंड रेवेन्यू में और टीनेन्सी एक्ट में गिरदावरी के काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये गिरदावरी गलत गिरदावरी का स्टेटमेन्ट खराबा के बारे में गलत दर्ज हुआ इस बारे में न विकास अधिकारी और न प्रधान कह सकता है कुछ। पटवारी कह सकता है, आपका इन्सपेक्टर तहसीलदार और एस० डी० ओ० और कलेक्टर कह सकते हैं। इस पर जिलाधीश की रिपोर्ट स्पष्ट है। अब उसकी रिपोर्ट की परवाह न की जाकर केवल प्रधान और बी० डी० ओ० की आड़ लेकर सरकारी धन का इस तरह से दुरुपयोग किया जाय, यह इससे ज्यादा इस डेमोक्रेसी का कोई मखौल नहीं हो सकता। गृहमन्त्री कह रहे थे मन्त्री पैसा खा जावें, किसी को किसी तरह से प्रोमोशन दे दिया जावे, मंत्री भ्रष्टाचार करे, कोई जांच नहीं हो सकती। राजनैतिक आधारों पर सार्वजनिक धन का क्रूरतापूर्वक दुरुपयोग किया जावे, अपने इलेक्शन को जीतने के लिये उस धन का दुरुपयोग किया जावे, इसे आप छिपावें। इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : पेट्रोल पम्प लगाते है ये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पत्नी ने लगाया है, पेट्रोल पम्प का मामला छोड़िये। यह तो श्रीमतीजी ने लगाया है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पिछली बार ऐसे अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने ऐसे गम्भीर मसलों पर खुद ने सारी फाइलें और सम्बन्धित कागजात मंगाये हैं, उनकी सारी की जांच की है और इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने उस पर अपनी सम्मति दी है। तो अध्यक्ष महोदय में हमारा सबका विश्वास है। हरिदेवजी जोशी का जमीन का मामला आया, बड़े बड़े ऐसे और मसले आये। तो उसी तरह से इस मामले में भूतपूर्व मन्त्री ने क्या क्या किया, इस पर हाउस एजीटेटेड़ है और जब तक उसको सन्तुष्ट नहीं किया जावेगा वह एजीटेटेड रहेगा, तो उसको सन्तोष दिलाने के लिये अध्यक्ष महोदय स्वयं इस सम्बन्ध के सारे कागजात, कलेक्टर की रिपोर्ट फेमीन के सम्बन्ध में पटवारी, तहसीलदार गिरदावर इन्सपेक्टर वगैरह की रिपोर्ट सारे गांवों का डिक्लेरेशन, खरावा की रिपोर्ट ये सारे चार्जेज ये सारे मसले और इन सारे मसलों से सम्बन्धित सारी फाइलें इस सदन को सन्तुष्ट करने के लिये आप मंगाइये और उनको देखकर अपनी राय व्यक्त कीजिये अगर आप इस एक्सटेण्ड तक हमें प्रोटेक्शन देने के लिये सन्तोष दिलाने के लिये तैयार हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो फिर हम क्या करेंगे हम आप से कैसे रेगूलेट होंगे इन सारी सदन की परम्पराओं की बातें गलत हो जाती है। विरोधी पक्ष की इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्धी सारे कागजात, तत्सम्बन्धी सारी फाइलें, कागज आप अपने कब्जे में लें और इसके बाद इस सम्बन्ध में आवश्यक हो तो सम्बन्धित पक्ष को बुलाकर पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर इस सदन को सारी जानकारी दें। जो कुछ भी हुआ आप निष्पक्षता से देंगे ऐसा हमें विश्वास है।

हमने तो इसकी जांच के मामले में कांग्रेस की इन्क्वायरी कमेटी को स्वीकार किया है। इतना तो स्वीकार कर लें करप्शन के केसों में तो झट से स्वीकार कर लेना चाहिये। ऐसे सुबूत और कागज पहले तो ये मिलने देते नहीं। संयोग से मिलते हैं तो उनको भ्रष्टाचार उन्मूलन में सख्ती से काम लेना चाहिये। ये घबराते क्यों हैं। आप अपने पेट्रोल पम्प की इन्क्वायरी के लिये भी उदारता से किसी का नाम लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप कर दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तैयार हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह अगर साबित हो जावे तो मैं उसके परिणाम भुगतने को तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले पेट्रोल पम्प की तो जांच करवा लें।

श्री भैरोंसिंह : यह विरोधी दल को जांचने का काम सौंपा है। इसे आप किसी को सौंप दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कौनसा मसला ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेट्रोल पम्प का मसला।

श्री अध्यक्ष : मैं अनभिज्ञ हूं।

Page No. 49

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप आदेश दें तो मैं इसकी जांच करना स्वीकार कर सकता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्षजी खुद जांच कर लें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : परसनल एलीगेशन लगाना बहुत आसान होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने तो सदस्यों को उल्टा कहा है कि यह आपकी पत्नी का मसला है। आप काहे को उठाते हो कोई गड़बड़ घोटाला किया हो, इससे आपका क्या सम्बन्ध।

श्री अध्यक्ष : Order please. No allegations without prior intimation to the Speaker.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सारे मामले में हमें सन्तोष तभी होगा जब आप तत्सम्बन्धी कागजात मंगाकर कोई निष्कर्ष न निकाल लें। नहीं तो इसके अन्दर कोई कोर्ट में स्यूट नहीं हो सकता, हाईकोर्ट में रिट नहीं जा सकती। अगर हमें आप सन्तोष नहीं दिला पावेंगे तो यह मामला बारबार सदन में उठेगा। सदन की डीसेन्सी और डेकोरम का सवाल खड़ा होगा। सारी फाइलें आप मंगाकर सदन को सूचित कर दें यही ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस से सम्बन्ध रखता है।

श्री अध्यक्ष : यह तो कानूनी मसला आ गया है।

श्री हीराभाई : यह कानूनी मसला नहीं, भूख का सवाल है। माननीय मन्त्री ने स्वीकार, भी कर लिया कलेक्टर का लेटर भी मान लिया और फिर....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बहस लम्बी बढ रही है।

श्री हीराभाई : पर कुछ सत्ताधारियों ने अपने स्वार्थ के खातिर इसे इनडाइरेक्ट तौर पर फेमिन एरिया मान लिया। अगर यह मान लें तो फिर क्या कलेक्टर ने उधर ध्यान नहीं दिया। अगर कलेक्टर गलत था तो नुमाइन्दा लोग राज सरकार से निवेदन कर सकते थे और वहां पर जाकर फसल की जांच करने के लिये वहां कमीशन कायम कर सकते थे।

कलेक्टर अगर जनता की भावना को नहीं मानता है तो उसको बरखास्त कर सकते हैं, सजा दिला सकते हैं। डाइरेक्ट फेमीन एरिया को सीज कर लिया और सरकार ने मान लिया। या तो कलेक्टर और प्रशासन की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है। विधान सभा और पंचायत समिति जो कहेगी वह यहां मान्य करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी हो चुका है स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : नसीराबाद के मसले में कमीशन कायम कराके जांच करायें और जनता के धन का दुरुपयोग किया है यह

(श्री हीराभाई)

कांग्रेस का धन नहीं है ग्राम जनता का धन है।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : हमारा फर्ज है....

श्री अध्यक्ष : बैठिये कृपा कर।

ऑर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : अयोग्य काम हैं उनकी जांच करायी जाय। बेईमानी की है उसको सजा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

मुझ को इस प्रश्न पर यह खतरा जरुर है, जैसा माननीय सदस्य श्री केदारनाथजी ने कहा कि यह प्रश्न बार बार एजीटेट होता रहेगा यदि इसका अन्त न होगा तो और अन्त कैसे किया जाय इस प्रश्न का यह भी एक विषम विषय है, विवादग्रस्त विषय है।

श्री भगवानदास शास्त्री : बहुत आसान है जांच करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

यदि राजस्व मंत्री इसमें कुछ अपना सुझाव देते तो इसका सम्भवत: अन्त हो सकता था।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सुझाव दे दें। ये मानें या न मानें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

मैं सदन की व्यग्रता देखते हुए यह तो सुझाव देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ऐसा कोई तरीका निकालें कि भविष्य में यह प्रश्न बार बार यहां न आकर विधान सभा के समय का उपयोग या दुरुपयोग जैसा भी हो, न करे।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : मंत्री महोदय उसका उपयोग करें।

श्री अध्यक्ष : यदि मन्त्री महोदय ऐसा कोई तरीका सुझायें तो आगे की डिबेट आसान हो सकती है। यह मामला कुछ विलक्षण है, विलक्षण आधार पर है और तथ्यों पर है। उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक रूप से हो जाय तो सदन की व्यग्रता शान्त हो सकती है।

जहां तक मेरा प्रश्न है, माननीय सदस्यों ने इस आसन पर विश्वास रखा है, विश्वास रख कर चलते हैं यह तो यहां की स्वस्थ परम्परा के अनुरूप सहयोग देना मात्र है। लेकिन मैं सदन की भाषा ही बोल सकता हूं, सदन की भावना को व्यक्त कर सकता हूं। अपनी भाषा और भावना

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

पर निर्णय लेकर आदेश और संदेश नहीं दे सकता। माननीय सदस्यों ने यह बार बार कहा कि मैं कुछ इस तरह अपने अधिकार रख सकता हूँ, इसके सम्बन्ध में

Page No. 51

(श्री अध्यक्ष)

हमारी संसद् और अन्य विधान सभाओं की व्यवस्थायें हमारे सम्मुख हैं । मैं उनमें से एक उद्धृत करके यहां रखना चाहूंगा ।

"On the 23rd November, 1959, speaking on clause 3 of Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Bill, a Member criticised the Government plan on the basis of which as many as 120 villages had been included in the Madras State although they ought to have remained in the territory of Andhra State. In support of his argument when the member sought to produce certain maps for the perusal of the Chair, the Deputy Speaker observed:—

'I may state here that last time too when the Hon. Member wanted to show map to convince me, I stated that this is really a practice in court where the lawyers certainly can take their documents to the presiding officer and convince him, but there is this difference that the presiding officer there has to arrive at a decision and give a judgment in the court, but here I have not to give a judgment. I have only to pronounce the judgment of the House whatever be the decision taken by the members.

Sitting here I should not entrust myself with those documents and other things. I differentiated my position from that of the presiding officer of a court and said that this would be no job of the presiding officer here as he was only to listen, regulate the debate and then pronounce the decision of the House'."

इसलिये यदि हाउस का कोई डिसिजन होता तो मैं हाउस का माध्यम होने के आधार पर, स्पोक्समेन होने के आधार पर मैं मैन्डेट अथवा आदेश दे सकता हूं । लेकिन स्वयं अपने आधार पर किसी उन परम्पराओं के सन्दर्भ में मैं कोई आदेश देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : हाउस २० तारीख तक कर सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है और जो भावना प्रकट की है उसमें मंत्रीजी की क्या प्रतिक्रिया है यह जरूर सुनने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आप (बृजसुन्दर शर्मा) कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझ से उन्होंने निवेदन किया है इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहूंगा कि कई बार प्रश्न आये हैं और २० तारीख को यह प्रश्न आने वाला है तो इस पर २० तारीख को भी निर्णय हो सकता है । उसके अलावा सदन की कमेटीज होती हैं । वे हरएक बात पर जाती हैं । सदन में जिनकी सारी रिपोर्ट्स पेश होती हैं । पी० ए० सी० के सामने भी यह मसला पेश हो सकता है । वहां पर

Page No. 52

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

विचार हो सकता है । इसके लिये कौनसी ऐसी बात हो गयी है कि उसके लिये अलग से कमेटी अपोइन्ट की जाय । मैं उसकी आवश्यकता नहीं समझता । सदन में कई बार मसले आते हैं । पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में डिटेल्स में जाते हैं और सदन में उसकी रिपोर्ट पेश होती है और विचार करते हैं । मैं समझता हूं उन प्रक्रियाओं में इसका समाधान होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : एक और जानकारी देना चाहता हूं । सद्भाग्य से तारीख २० को एक संकल्प और आ रहा है जो बड़ा स्पष्ट संकल्प है "राज्य के अकाल राहत कार्यों पर हुए सार्वजनिक धन के व्यय की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्ति की जाय ।" इस प्रश्न को इसमें आप दुबारा उठा सकेंगे और राज्य सरकार को बाध्य कर सकेंगे · इसमें अधिक से अधिक तथ्य देकर । इन्हीं प्रश्नों पर दूसरा संकल्प आ रहा है तो इसको यहां ड्राप किया जाय ।

श्री दौलतराम सारण : एक सूचना पूछना चाहता हूं । हम यह जानना चाहते हैं कि अकाल के सम्बन्ध में घोषणा करने के बारे में इस शासन की क्या नीति है ? आया यह आज बने नियम और कानून का पालन करना चाहती है या जिला परिषद् पंचायत समितियों के प्रस्ताव का पालन करना चाहती है ? या सरकार की मर्जी आये जहां अकाल घोषित कर दे और जहां चाहे काम करे और जहां नहीं चाहें वहां काम न करे ? यह स्पष्ट घोषणा करके बताने का कष्ट करें ।

श्री भीखाभाई : १० वर्ष तक ज्ञान नहीं हुआ ?

श्री विजयसिंह रावत : इस बारे में एक सुझाव देना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : अब मैं ऐसा नहीं करूंगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इनको बोलने दिया जाय ।

(अश्रव्य)

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत से : Well, you have a very big recommendation which I cannot ignore.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : It is no recommendation, but it is only fair play.

श्री अध्यक्ष : Question of right and assertion of right, अधिकार का प्रश्न तो कभी समाप्त हुआ प्रश्नों के साथ ।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : व्यवस्था का सवाल है ।

व्यवस्था का सवाल यह है कि हम इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य चाहे वे

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

इधर के हों या उधर के हों कम से कम इस बात का अधिकार रखते हैं कि जिस जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसके धन जन का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।

(१ म० प०)

और अगर अपने तर्कों पर यह चीज आती है कि जन धन का दुरुपयोग हुआ है तो यह हमारा प्रिविलेज है कि हम उसकी जांच करा सकें और आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रिविलेज को असर्ट करना चाहेंगे कि सदन के माननीय सदस्य अगर इस बात की मांग करें कि इस घोटाले की जांच की जावे तो शासन इस बात के लिए बाध्य होगा जनता के प्रति, सदस्यों के प्रिविलेजेज के प्रति और इस हाउस के प्रिविलेजेज को मेंटेन करने की गरज से भी कम से कम यह हम चाहेंगे कि आप इस तरह का ओब्जर्वेशन दें कि कोई भी इस तरह की जन भावना प्रतिध्वनित हो। जनता की इस प्रकार की भावना हो तो सदन का यह अधिकार है, हमारा यह प्रिविलेज है कि हम यह कह सकें कि इसकी जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर आर्डर। It may be a question of privilege, but it is not a point of order.

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नसीराबाद के मामले में जो बात हो रही है, उसका प्रश्न है, मैं सभी सम्माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं कि बजट के दौरान में भी इस बात पर एक बात कही थी और इस बात का ध्यान आकर्षित किया था यह जो लेटर लिखा गया है कलेक्टर की तरफ से, अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को जान करके इस बात का ताज्जुब होगा कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने पैसे का दुरुपयोग ही नहीं किया बल्कि उस क्षेत्र की जनता का ईमान भी खरीदा है और हमने खरीदने का एक प्रमाण तो यह दिया है कि जिन ५४ गांवों को अकाल राहत घोषित किया है और यह कलेक्टर, एस. डी. ओ. और तहसीलदार के रिकार्ड तक में लिखा हुआ है और लिखने के बावजूद ११,८१,८०० रु० खर्च किया है १४ दिनों के अन्दर। इसके अलावा लगभग तीन लाख रुपया इस राजस्थान गवर्नमेंट ने नसीराबाद से रामसर तक बिजली पहुंचाने में खर्च किया है और लाड़पुरा से श्रीनगर तक बिजली पहुंचाने के अन्दर खर्च किया है। अभी बहुत थोड़ी सी बारिश हुई है और उसमें वह बिजली के खम्भे गिर गये हैं। मैं वहां से अभी-अभी लौट कर आया हूं और मैंने वहां पर देखा वे खम्भे लोगों के खेतों में पड़े हैं, किसान अपनी जमीन बोने से वंचित हो रहे हैं।....

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। यहां पर यह प्रश्न नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : इसी तरह से १५ लाख रुपया बालकृष्ण कौल ने चुनावों के दौरान........

श्री अध्यक्ष : श्री बालकृष्ण कौल।

श्री विजयसिंह रावत : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री विजयसिंह रावत)

इस प्रकार से अगर १४ दिनों के अन्दर १४ लाख रुपया खर्च करे एक मंत्री तो वह राजस्थान की गरीब जनता के प्रति न्यायोचित नहीं कहा जा सकता और उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होगी तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि उसमें ये सारे घोटाले निकलेंगे और उसमें घोटाले नहीं निकलें तो मैं सदन से त्यागपत्र देने को तैयार हूँ।

यह जांच भले ही कांग्रेस के लोगों से करवाई जाय, खेतसिंहजी, पी० के० चौधरी और डागाजी से जांच करवाई जाय और वह पायेंगे कि इसके अन्दर १५ लाख की जगह ७ लाख भी खर्च नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री विजयसिंह रावत : और उस सारे पैसे का भारी दुरुपयोग किया गया है। इसका ठेका जिस ठेकेदार को दिया गया था वह केवल उसको जिताना चाहता था और जनता का ईमान खरीदना चाहता था लेकिन जनता ने अपना ईमान नहीं बेचा अध्यक्ष महोदय, और इसका प्रमाण आपके सामने इस सदन में मैं मौजूद हूँ।

श्री अध्यक्ष : कोई जनता पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। कभी इधर पल्टा होता है तो कभी उधर पल्टा होता है।

(शोरगुल), (व्यवधान), (अश्रव्य)

श्री विजयसिंह रावत : इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था दें कि इसकी जांच की जाय और पैसा जहां जहां पर खर्च किया गया है....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। आर्डर आर्डर।

(विराम)

काफी हो चुका है, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री कृष्ण कमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : बात तो सब समाप्त हो चुकी है। मैं अब आगे प्रश्न नहीं बढने दूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा यह निवेदन है कि........

श्री अध्यक्ष : मेरा भी कोई कर्त्तव्य है इस मूल्यवान सदन के प्रति। मैंने प्रश्नों को समाप्त किया है। मैं आगे के प्रश्न लेना चाहूंगा। (विराम) प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : आप आगे का प्रश्न लें उसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा और मैं बहुत दुख के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक इस विधान सभा के इतिहास में विरोधी दल के माननीय सदस्यों

(श्री भैरोंसिंह)

ने कभी भी शासन के आदेशों की अवहेलना नहीं की और न आज ही करना चाहते हैं। आपने जैसा अभी फरमाया कि मेरा भी कुछ कर्त्तव्य है, तो उसी तरह से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है। उस कर्त्तव्य के निर्वहन के लिए हमारी भी कुछ व्यवस्थायें रूल्स के आधार पर बनी हुई हैं। इन रूल्स के आधार पर हमने प्रश्न पूछे और इस मामले को एक बार नहीं, दो-तीन बार सदन में प्रस्तुत किया गया है। सदन में सरकारी रिकार्डों से सिद्ध कर दिया गया है कि अकालग्रस्त घोषित करने के मसले पर राज्य सरकार ने राजनैतिक दृष्टिकोण से आज्ञायें जारी की हैं। आज तक राज्य सरकार की मान्यतायें थीं, नियम बने हुए थे उस सम्बन्ध में जो सरकार के पब्लिकेशन्स हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने सब चीजों की अवहेलना की। इस प्रकार की स्थिति दूसरे क्षेत्रों में आई थी। सरकार ने न प्रधान का कहा माना, न बी० डी० ग्रो० का माना और न जिला परिषद के प्रमुख का कहना माना। अब केवल प्रश्न आता है कि एक वित्तमंत्रीजी के मामले के अन्दर सरकार ने यह उदारता क्यों बर्ती है। इस उदारता की जांच करने के लिए सरकार क्यों मंजूर नहीं कर रही है। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है। कल हमारे राजस्थान के गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि मैं हर व्यक्ति की इन्क्वायरी कराने को तैयार हूँ जिसने भी रूल्स का वायलेशन किया हो। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से और उप मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि वे पी०के० चौधरी की जांच को छोड़ दें, वे इस बात को अध्यक्ष महोदय पर नहीं छोड़ना चाहें तो उसको भी छोड़ दें। माननीय गृह मंत्री जिनको राजस्व सम्बन्धी मामलों का बहुत ज्ञान है, जिन्होंने राज्य सरकार के काश्तकारी कानूनों को बनाया है, उनके हवस के ऊपर यह सारी चीज मौजूद है, वे खड़े होकर सदन में कह दें कि अकाल ग्रस्त घोषित करने में नियमों की अवहेलना नहीं हुई और सारी चीज कानून के अनुसार हुई है, यह राजस्व मंत्री जी सदन में खड़े होकर कह दें। मैं जानता हूँ कि एक मंत्री की ताईद निश्चित रूप से दूसरा मंत्री करेगा लेकिन मैं विश्वासपूर्वक उन्हीं पर छोड़ता हूँ कि वे माननीय गृह मंत्रीजी खडे होकर कह दें कि जो कुछ भी प्रक्रिया अपनाई गई वह बिल्कुल वाजिब थी। यदि वे नहीं कहते हैं तो अध्यक्ष महोदय, खेद के साथ कहना पड़ेगा कि इसका निष्कर्ष आज सदन में होगा, किस प्रकार से होता है यह सदन देखता जाय।

श्री विजयसिंह (मकराना): (पानी का गिलास हाथ में लेकर दिखाते हुए) यह जवाब देने में यदि राजस्व मंत्रीजी का गला थका हुआ हो और जवाब नहीं दे सकते हों तो एक गिलास पानी पी सकते हैं और अगर इन्क्वायरी नहीं करा सकते तो चुल्लू भर पानी में........

(भयंकर शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर। (तीव्र शब्दों में) आॅर्डर आॅर्डर।

(श्री अध्यक्ष)

I take exception to the disorderly conduct of the hon. Member.

यह अनुचित है । यह कहां की परम्परा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें क्या गलत है ।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की बात सदन में न करें ।

(शोलगुल) (अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस तरह लाखों रुपयों का घोटाला हो जाय और उसके लिए सदन में मांग की जाय और उसको भी इस तरह से टाला जाय........

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : what a point of order ?

श्री पी० के० चौधरी : इस तरह से सदन में गिलास लाना और चुल्लू भर पानी में डूबने की बात कहना........

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर वे व्यवस्था नहीं रहने देना चाहते तो इस तरह से व्यवस्था नहीं रह सकती ।

(अनवरत शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । अगर यह गवर्नमेंट राज्य के अन्दर व्यवस्था नहीं रख सकती तो इस हालत में भी व्यवस्था नहीं रह सकती । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : रूल्स के अनुसार इस प्रकार सदन में गिलास लाना मना है ।

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई गलत नहीं है । कहां लिखा है कि गिलास नहीं ला सकते ।

श्री पी० के० चौधरी : कहां लिखा हुआ है कि इस तरह से गिलास ला सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां लिखा हुआ है कि गिलास नहीं ला सकते ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा एक किताब श्री चौधरी की ओर फेंकी गई)

बताओ, इसमें कहां लिखा है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब यह प्रश्न केवल अकाल राहत तक ही सीमित नहीं रह गया है। नसीराबाद क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों में कोई गड़बड़ हुई और उस पर ही जांच का सवाल नहीं है। अब तो यह प्रश्न यह बन गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेंड लिया जाता है, चाहे एक मामले में कितनी भी गलती हो, सारे विधान सभा के विरोधी पक्ष के सभी सदस्य मिल कर उसकी केवल जांच की मांग भी करें और गवर्नमेंट इम्प्यूनिटि के साथ इन्कार कर सकती है और सारा विरोधी पक्ष देखता रहे। इस मामले में भी रिलेक्स कर सकते हैं और हम अगर इसमें रिलेक्स कर दें तो हर मामले में गवर्नमेंट इसी तरह का एटीट्यूड ले सकती है।

अध्यक्ष महोदय, अगर इस बात पर गत्यावरोध न हो और गवर्नमेंट को यह लेटीट्यूड दिया जाय, यह अधिकार दिया जाय कि वह इम्प्यूनिटी के साथ तमाम विरोधी पक्ष से एक बड़े सिम्पल इस प्रकार के प्रपोजीशन पर एग्री नहीं करें तो मैं यह कहना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष, बड़े अदब के साथ कि अगर उनको यह अधिकार है कि इस मेजोरिटी के साथ, वह अपनी मेजोरिटी के होते हुए जांच की बात को नहीं मानेंगे, दो और दो को चार कहने को तैयार नहीं हैं तो हमें भी अधिकार है कि इस सदन से आपको अपने बिल पास कराने हैं, आपको टेक्सेशन लॉज़ पास कराने हैं.......

पूर्ण विरोधी पक्ष : नहीं कराने देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई लॉ पास नहीं करने देंगे और आपका काम नहीं होगा और इस विधान सभा में इस प्रश्न का फैसला करें तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। आप पुलिस को बुलवा लें, आप हमें पकड़कर बाहर निकलवा दें, जो तरीका अपनाना चाहें अपना लें....

श्री अध्यक्ष : Why do you have such apprehensions against the Chair ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई काम नहीं चलेगा। पहले इस बात का निर्णय होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, बड़ी सीरियस बात है कि हरेक चीज में इस प्रकार से प्रिज्यूम करें कि यह कर लिया जाय, वह कर लिया जाय।

श्री विजयसिंह (मकराना) : इन्क्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं? जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे के दुरुपयोग का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय वित्त मंत्री महोदय !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक घंटे से इस हाउस में यह विवाद हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : गलत बातें कहते हैं तो कौन सुनेगा ?

श्री विजयसिंह रावत : मैंने चैलेन्ज दिया है........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मि० शाह, मि० रावत, ऑर्डर प्लीज। माननीय बुजुर्ग सदस्य, ऑर्डर प्लीज। There appears to be some solution.

वित्त मन्त्री महोदय !

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर सदन में जो चर्चा हुई है और जिस तरह से माननीय सदस्यों में इस प्रश्न पर उत्तेजना आई है उसको राज्य सरकार भली भांति समझती है। सदन में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। १५–१६ वर्षों में मेरे ख्याल से सदन के माननीय सदस्यों ने इस सदन की ऐसी ही परम्परा रखी है कि जिसकी वजह से सदन अपना सिर ऊंचा उठाकर चल सकता है। इसी भावना से इस और बैठने वाले माननीय सदस्यों ने और राज्य सरकार ने हमेशा विरोधी दल में बैठने वाले माननीय सदस्यों की भावनाओं की इज्जत की है और इस बात की बराबर कोशिश की है कि उनकी भावनाओं को और स्वस्थ प्रजातन्त्र की परम्पराएं चलें उसके लिए उन्होंने सहयोग दिया है और हमने भी पूरी कोशिश करके उनके सुझावों को आपस में बैठकर, मिलजुल कर, विचार कर किसी समस्या को हल किया है। मेरे खयाल से माननीय विरोधी दल के सदस्य भी इस बात को मानेगें कि जब जब भी ऐसे मुद्दे आये हैं हम, हमेशा विरोधी दल को साथ में लेकर आगे बढ़े हैं। आज भी इस प्रश्न पर मैंने शुरू में ऐसा नहीं समझा कि यह प्रश्न इतनी तूल पकड़ लेगा और विरोधी दल में बैठने वाले करीब करीब सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का इस पर इतना वजन है। राजस्व मन्त्री ने इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है और यह भी बताने की कोशिश की है कि राज्य सरकार जो कि प्रक्रिया हमारे यहां पर बनी हुई है चाहे वह फेमीन कोड हो, चाहे दूसरा कानून हो उसके आधार पर फैसला करने का अन्तिम अधिकार रखती है। अन्तिम अधिकार होते हुए भी कुछ परिस्थितियों पर फैसला करती है। इस मामले में पूरे तौर से प्रक्रिया की जांच की गई या नहीं जांच में इस प्रक्रिया में कमी रही या नहीं यह सवाल यहां पर उठाया गया और जो कुछ भी दस्तावेजात को पढ़कर सुनाया इन सब को सुनने के बाद माननीय सदस्यों की ऐसी धारणा बनती जा रही है खास तौर से विरोधी दल में बैठने वालों की कि इसके अन्दर राज्य सरकार ने कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के अलावा किन्हीं कारणों पर वजन देकर यह कदम उठाया है। इस वक्त सब कागजात मेरे सामने नहीं हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि २० तारीख

(श्री मथुरादास माथुर)

को जब हम अपने एजेन्डे में भी आलरेडी फेमीन का यह सवाल है उस पर राज्य सरकार अपना चिन्तन करेगी, विचार करेगी और जो कुछ इसमें मुनासिब कार्यवाही समझेगी वह २० तारीख को सदन के सामने रख देगी। प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार.से यह आशा नहीं रखें कि कोई भी इन्क्वायरी या कोई भी मांग रखी जाय तो उसको उसी वक्त मंजूर कर ले जब तक उसके अन्य पहलू न देख लिये जायं, इसके डिटेल्स देख न लिये जायं, कॉरसपोन्डेन्स आदि सब को समझ नहीं लिया जाय, तब तक राज्य सरकार के लिए आफ हैंड फैसला करना आॅन दी स्पाट मुनासिब नहीं होगा। जो कुछ बहस यहां हाउस में हुई है उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार २० तारीख को जब इसी मसले को लेकर वाद-विवाद होने वाला है तो राज्य सरकार का जो कुछ भी फैसला होगा वह आपके सामने रख देगी।

मैं समझता हूं कि इस एनाउन्समेंट के बाद माननीय सदस्यों को संतोष होगा और परसों २० तारीख है और आज १८ है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो होना ही था।

श्री श्रवण लाल : रात भर रोये और नतीजा क्या कि एक मरा और सुबह होते ही वह भी उठकर चला गया।

श्री मथुरादास माथुर : उत्तेजना में लिया हुआ निर्णय सही नहीं होगा। मेरा यही निवेदन है कि उत्तेजना में कोई निर्णय नहीं लिया जाय।

इस प्रजातन्त्र में सदन को चलाने को आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि हम पर है और आप और हम मिल कर इस परम्परा को चलायेंगे। यह उत्तेजना का विषय नहीं है। जांच करवाना चाहते हैं तो मेरिट्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर हो इसके ऊपर पूरी इस बात को आप देखें कि क्या जांच हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या कॉरपोन्डेन्स हुई है, इन सब को देखकर जो कुछ तथ्य होंगे सदन के सामने रखेंगे। या तो ऐसा निर्णय हो कि सबको देखकर पूरा निर्णय लिया जाय और अगर आज की इस उत्तेजना में कोई कदम इधर से उठाया जाता है और आप कहें कि आज का आज फैसला करो तो आफ हैंड आॅन दी स्पाट निर्णय नहीं लिया जा सकता है। २० तारीख को इस पर बहस करेंगे और राज्य सरकार अपनी बात कहेगी। इतना ही मेरा निवेदन है। मैं जयपुर से आने वाले दोनों माननीय सदस्यों से, विरोधी दल के नेता से और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य तथा सभी पार्टी व दल वालों से निवेदन करूंगा कि अपने इस सदन की परम्परा को कायम रखेंगे और अपने जो सहपाठी हैं, साथी हैं और पार्टी के सदस्य हैं उनसे निवेदन करूंगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जांच करवाना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : सदन की परम्पराओं को रखते हुए समस्या का हल करें। हमने बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया है

(श्री मथुरादास माथुर)

अगर इस वक्त भी ओन दी स्पाट क्वेश्चन पूछा गया है और उस पर सरकार को बाध्य किया जाय कि इस पर निर्णय लेकर जांच कराना मंजूर करा लें, यह उचित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर विचार करके फैसला कर सकेगी और २० तारीख को सदन में बहस होगी इस पर तो उस वक्त रखेगी।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : मन्त्रियों द्वारा पैसे का दुरुपयोग किया गया। नसीराबाद में भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने जनता के रुपये का दुरुपयोग किया है उसी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय हीराभाई स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : माननीय वित्तमन्त्रीजी ने जिन परम्पराओं की दुहाई दी है, मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र में सबसे बड़ी परम्परा यह है कि जहां संविधान के प्रति हमने शपथ ग्रहण की है कि हम सत्य बोलें। उस संविधान के अनुसार आज जो हम पर जिम्मेदारी है उसको ठीक प्रकार से निभायें। तो दोनों परम्पराओं का जब सवाल आता है तब सरकार उसमें गुरेज करती है, तब हमको यह कहकर टालना चाहती है कि प्रश्न के उत्तर के समय इस प्रकार की जांच के बारे में घोषणा नहीं कर सकती है। आपके पास गृहमन्त्री जी बैठे हुए हैं, निर्माण मन्त्रीजी आज हैं नहीं इन्होने पिछले दिनों जो प्रश्न इस सदन में पूछे गये और माननीय वित्तमन्त्रीजी ने जहां कोई शेबी मेटर देखा स्वयं ने घोषणा की कि इसकी जांच करायेंगे। माननीय निर्माण मन्त्रीजी ने कई मसलों पर कहा, प्रश्नकाल में कहा है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं उस आधार पर जांच कराऊंगा।

तो आप यह कह कर चलें कि इस प्रश्न आवर के अवसर के ऊपर सरकार किसी प्रश्न की जांच कराये या न कराये–इस बात की घोषणा नहीं कर सकती। मैं समझता हूं, यह तथ्यों से बिल्कुल परे है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रश्न के पीछे कारण यह नहीं है। यह सरकार और माननीय मंत्री अप्रत्यक्ष रूप से यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि इस सम्बन्ध में रूल्स की अवहेलना की गई है और इस सम्बन्ध में कानूनों के अन्दर जो व्यवस्था की गई है उन व्यवस्थाओं की अवहेलना की गई है। और माननीय मंत्री जांच का प्रश्न इस लिए टालना चाहते हैं कि जो सरकारी अधिकारी, रूल्स की अवहेलना न कराई जाय, इसके लिए जिम्मेदार हैं, रूल्स के खिलाफ फाइनेन्स कमिश्नर और मुख्य सचिव–इन दोनों के आदेशों से रिलीफ वर्क्स खोले गये है, इन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है–मैं मानता हूं कि राजस्व मंत्री जी ऐसे मंत्री हैं जो सबोर्डिनेट हैं चीफ सेक्रेटरी के और फाइनेन्स कमिश्नर के सबोर्डिनेट हैं और इसलिए सबोर्डिनेट होने के नाते इनमें इतना दम नहीं हो सकता है कि इस मामले की इन्क्वायरी के लिए इस बात को स्वीकार कर लें। लेकिन फाइ-

(श्री भैरोंसिंह)

नेन्स मिनिस्टर महोदय तो योग्य हैं, और राजस्थान के उप मुख्य मंत्री है, वह खड़े होकर यहां यह कहें कि जांच करने की घोषणा प्रश्न के साथ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि ईमानदारी का तकाजा तो यह है कि जब बेईमानी डिटेक्ट हो, जब बेईमानी की बात जानकारी में आये तो आप तुरन्त यह घोषणा करें कि आपको जानकारी मिल गई है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री यदि वित्त के मामलों में ईमानदार हैं तो वह यह कभी नहीं कह सकते है कि इन मामले में रूल्स की अवहेलना नहीं की गई है, राजनैतिक आधार पर अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं, और रिलीफ के नाम पर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने के लिए लाखों रुपया खर्च नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्य इस प्रश्न को अपना पूरा समर्थन न देने की स्थिति में हों, और अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रश्न पर जांच करने की बात को स्वीकार नहीं किया जाता है तो यह संविधान का अपमान है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय की भावनाओं के बारे में माननीय राजस्व मंत्री ने कुछ नहीं कहा है, माननीय वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा है. इसलिए यह आसन का भी अपमान है और विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो वाजिब बात रखी है उस बात को न मानें तो यह विरोधी दल के माननीय सदस्यों का अपमान है। अब हमारे समक्ष उत्तरदायित्व आता है, अध्यक्ष महोदय की भावनाओं के अपमान का, और उस पर हम चुपचाप बैठे रहें....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय को कृपया इसमें ड्रेग न करें।

श्री भैरोंसिंह : हमारे समक्ष उत्तरदायित्व आता है, संविधान का अपमान....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय को न खींचे इसमें।

श्री भैरोंसिंह : और हम मौन बैठे रहें। अध्यक्ष महोदय, में विश्वास दिलाता हूं, या तो राजस्थान सरकार आपकी भावनाओं के अनुरूप आचरण करेगी नहीं तो हम राज्य सरकार को हर प्रकार से इस बात के लिए मजबूर करेंगे। इस प्रकार संविधान के प्रति जिन लोगों ने शपथ खाई है, उस संविधान के ऊपर यह सरकार आघात नहीं कर सकती है, अध्यक्ष महोदय की भावनाओं के ऊपर आघात नहीं कर सकती है, और विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनके ऊपर आघात नहीं कर सकती है और जो सत्य है, जो तथ्य है उनको इस प्रकार छुपाया नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न पर सजीदगी से विचार करे, सदन की परम्पराओं को इस प्रकार से खराब न किया जाय और संविधान, अध्यक्ष और विरोधी दल की भावनाओं का इस तरह अपमान न करें। यह एक छोटा सा मसला है, इसको यदि जान बूझ कर बड़ा बनाया गया तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन इस मसले को जान बूझ कर बड़ा बनाया गया है, जब कि माननीय मुख्य मंत्री इस सदन में बराबर कहते आये हैं कि अकाल के बारे में कुछ भी घोटाला हमने किया है तो भारत

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार जो कर्ज हमको देती है वह कर्ज हमको नहीं मिलेगा । मैं समझता हूं राजस्व मंत्री ने इस बात को स्वीकार नहीं करके इस सदन के अन्दर एक एजीटेशन की स्थिति बनाई है इस सबकी जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है। उनकी राज्य सरकार को घाटा पहुंचाने की नीयत थी और इस नीयत से यह हथ कण्डे किये हैं । इसलिए मैं फिर माननीय मंत्री को निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, वह सद्‌बुद्धि से काम लेकर, इस प्रश्न पर जांच कराई जाय इस बात को स्वीकार कर लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैं पहले स्वयं का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा....

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : एक सैकिंड !

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय की इस सम्बन्ध में कोई भावनाओं का होना···

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : आप हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं ।

श्री अध्यक्ष : कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता । अध्यक्ष महोदय तटस्थ हैं, उनकी कोई भावनाएं और मान्यतायें नहीं है । अध्यक्ष महोदय ने दोनों ओर के वक्तव्य और तथ्यों को देखा है और समझा है और इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय की भावनाओं का अपमान या असम्मान होने का प्रश्न इस मामले में कोई नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं का आदर हो इस बात की जिम्मेदारी हमारी है ।

श्री अध्यक्ष : सारे सदन की जिम्मेदारी है । आर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल में इसका अन्त नहीं होने वाला है ।

श्री रामकिशन : समस्या का निराकरण होने की बात है ।

श्री भैरों सिंह : डिसीजन होगा !

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री खड़े हुए थे तो मेरे मन में आशा जागी थी कि वह कोई अच्छी घोषणा करेंगे । लेकिन उन्होंने उसी बात को दोहरा दिया कि बीस तारीख को यह प्रश्न आ रहा है । यह आसन की ओर से भी बताया गया कि बीस तारीख को यह प्रश्न आ रहा है और माननीय सदस्यों ने भी बता दिया कि बीस तारीख को यह प्रश्न आ रहा है । लेकिन उसका कन्टेन्ट और है और इसका कन्टेन्ट और है । इसमें नसीराबाद में गैर कानूनी ढंग से अकाल घोषित करने का प्रश्न है । उसमें अकाल कार्यों में धन के दुरुपयोग का प्रश्न है और इसमें अकाल ग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया को भंग करने का प्रश्न है, यह उस सम्बन्ध में है । मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन सरकार को सहयोग दे । इस सदन के सहयोग देने का जहां तक प्रश्न है, क्या कभी प्रश्न आवर में ऐसी

(श्री रामकिशन)

स्थिति पैदा हुई है जैसी कि आज है। फिर आप यह कैसे कहते हैं जब कि यह सदन पूरा सहयोग देता है। आपने देखा है, लोक सभा में और दूसरी विधान सभाओं में सब जगह झगड़े होते रहते हैं लेकिन राजस्थान की विधान सभा में कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया, प्रश्न के घण्टे में, क्वेश्चन आवर में जिस पर विवाद खड़ा हुआ हो। इसलिए जहां तक सहयोग देने का सवाल है, हमारी दृष्टि से श्रीमान् जी हम सहयोग देते आये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न जिद् का नहीं है, इसलिए इस प्रश्न पर जिद् करके सरकार अपनी बात पर अड़ी रहना चाहती है तो न तो सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था चला सकती है और न कोपरेशन ही मिल सकता है। मैं एक लोक कथा के रूप में मंत्री महोदय को और समझा दूं, वैसे बाल्मीकी जैसा न तो आपका अध्ययन है, न ज्ञान है और न ध्यान है, फिर भी दूसरे किसी व्यक्ति ने पाप किया है उसका आप दण्ड क्यों भुगत रहे है और क्यों आप अनडेमाक्रेटिक और अलोकतांत्रिक बन रहे हैं। इस मामले में इतनी चर्चा की जा रही है फिर भी पाप तो और किसी ने किया लेकिन आप दण्ड भुगत रहे हैं। इस सदन में काफी चर्चा हुई है और चर्चा में दर्शन ज्ञान, व्यवहारिक सैद्धान्तिक सब तरह की बातें आपको समझा दी हैं। तो अब जैसी वाल्मीकि कि बुद्धि हो गई थी, उसी तरह आप भी ईमानदारी के साथ कहें कि अब मुझे ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं दूसरे के पाप का दण्ड नहीं भोगूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, हम ऐसे मामलों के लिए अपना भी रुख रखते हैं, जो रुख रखते हैं वह संविधान और संसदीय परम्पराओं के अनुकूल रखते हैं और मर्यादित रखते हैं, लेकिन आगे चल कर अमर्यादित बन जाय तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं सरकार से चाहूंगा, इस पर केवल आपने बचने की बात कह दी है कि यह जरूरी नहीं है कि कमेटी बनाये बाहर के आदमियों की और उसको जांच करने का आदेश दें। मैं समझता हूं कि जिन तीन कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा जांच करने की बात कही है। वह जांच करलें और उनके जो जांच परिणाम होंगे वह सदन को स्वीकार होंगे। लेकिन इसके लिए हां नहीं कह रहे हैं कि इस प्रश्न पर जांच करावें। इसलिए मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं उससे न तो समस्या का निराकरण निकलेगा और न सदन को संतोष होगा।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर जो मांग की गई है, कि इस पर जांच कराबी जाय और यहां तक जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस तरफ बैठने वाले तीन माननीय सदस्य हैं उनसे जांच कराई जाय....

एक माननीय सदस्य : इनको छोड़िये।

श्री माथुरा दास माथुर : इसके बाद मे गृह मंत्री का नाम लिया। मैंने कहा कि आप जांच कराना चाहते हैं, वह सरकार करेगी, जांच करेगी। लेकिन यहां पर जो फेक्टस आये हैं वह सुने गये है लेकिन आगे इस पर जांच कर बीस तारीख को जो डिबेट होगी, उस समय बता देगी कि इसमे राजी-

(श्री मथुरादास माथुर)

शन यह है। (व्यवधान) मैं यह कहता हूं कि आप मेरा मतलब समझे नहीं हैं, बीस तारीख को, यानि परसों डिबेट होगी। (व्यवधान) सुनिये! सुनिये। मेरा मतलब यह था, जब एक मिनिस्टर के ऊपर, गृह मन्त्री के ऊपर छोड़ने को तैयार हैं, जब इधर के तीन माननीय सदस्यों पर छोड़ने को तैयार हैं कि यह सारी बातों को देख लें और पूरी बात पर फैसला कर दें, तो मैंने कहा है कि राज्य सरकार की पूरी केबिनेट इस मामले को देख कर, इस मामले के बारे में परसों बीस तारीख को बता देगी।

श्री भैरोंसिंह : केबिनेट ने इस मसले को कई बार देख लिया है।

श्री मथुरादास माथुर : केबिनेट के सामने नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : सब मंत्रियों ने देख लिया है।

श्री मथुरादास माथुर : आप एक मन्त्री गृह मन्त्री और तीन मंत्रियों की बात कह रहे हैं मैं पूरी केबिनेट की बात कह रहा हूं, पूरी केबिनेट इस मामले को देखकर बीस तारीख को पोजीशन बता देगी और उस रोज इस मसले पर बहस होगी उस समय इसका गवर्नमेंट रिप्लाई दे देगी। आप एक मन्त्री द्वारा जांच की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, कलेक्टिव, पूरा मंत्रि-मण्डल इसको देख लेगा, पूरा रिकार्ड देख लेगा और इसके बारे में बता देंगे, यदि फरदर जांच की जरूरत हुई तो उसके लिए आर्डर कर देंगे। इससे आपका प्रश्न है वह पूरा हो जाता है। मैं निवेदन करूं, सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैंने यह अनाउन्समेंट किया है। इसमें पूरे कागजात को देखने की जरूरत है, पूरी फाइल और पूरे आर्डर्स आदि में डिटेल में जाने की जरूरत है, आपने तो केवल तीन मंत्रियों का नाम लिया है, गृह मंत्री का नाम लिया है, तीन आदमियों और एक मन्त्री की जगह मैं कह रहा हूं कि पूरा मंत्रिमण्डल इसे देख कर....

श्री भैरोंसिंह : अभी के लिए कहा है। मैंने कहा है, वह मंत्री के लिए कह रहा हूं। वह बोले नहीं हैं। वह बोलेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : अभी कोई नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : अभी आप बोल रहे हैं, वह भी बोलेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कह रहा हूं कि फाईल देखे बिना कैसे कह सकते हैं, जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो कुछ विवाद हो गया है वह सुना गया है। बीस तारीख को सब रिकार्ड वगैरह देख कर बता देंगे।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, आज डेढ़ घण्टे इस पर बहस हो चुकी है, जो नसीराबाद में अकाल राहत कार्य हुआ है, आप चाहते हैं कि बीस तारीख को जो जनरल डिबेट होने वाली है, उसमें

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जो राहत कार्य हुए हैं उसके बारे में बहस होगी, आप यह चाहते हैं कि उसमें यह सब रिपीट हो और बीस तारीख को....

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा है, उसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है

Government will make a statement on this subject.

श्री अध्यक्ष : वह रिपीट होगा, इस संकल्प के आधार पर निश्चित रूप से रिपीट होगा।

श्री मथुरादास माथुर : बहस की जरूरत इस पर नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सरकार यदि घोषणा कर देती है कि जांच करना निश्चित कर देती है और यह बता देती है कि अमुक अमुक व्यक्तियों को तय किया है तो बीस तारीख को केवल इतना रेफरेन्स करेंगे और कलेक्टर, एस. डी. ओ. और प्रधान आदि का सवाल आने का सवाल नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपका यह कहना है कि इस प्रकार जल्दबाजी के अन्दर नहीं कर सकते, तो आज मांग के द्वारा यह नहीं कहा जा रहा है कि आज फाइनेंस कमिश्नर को सस्पेन्ड किया जाय और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाये जायं। मांग केवल इतनी है कि जो इस प्रश्न पर चर्चा चली है और चर्चा के द्वारा प्राइमा फेसी केस बनाया गया है कि रूल्स का उल्लंघन किया गया है, जान-बूझ कर भूतपूर्व वित्त मन्त्री को फायदा पहुंचाने के लिए इस कार्य को किया गया है, मैं समझता हूं इसमें सरकार को जांच करने की घोषणा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी तक सरकार का रवैया सरकारी धन की चोरी करने का रहा है....

श्री अध्यक्ष : उस प्रश्न को आप छोड़िये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अब सरकार जिस प्रकार का उत्तर देती चली जा रही है उससे स्पष्ट हो गया है कि सरकारी धन की चोरी को छोड़ कर सरकारी खजाने के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर !

क्या मैं यह मानूं कि सदन की कार्यवाही आगे नहीं चलेगी ?

श्री श्रवणलाल : अगर यही पोजीशन रही तो नहीं।

श्री रामकिशन : आप किससे जांच करवायेंगे और उसका परिणाम कब तक आयगा ? और जांच का तरीका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब उन्होंने दे दिया।

श्री रामकिशन : वित्त मन्त्री जी किस माध्यम से जांच करायेंगे वे डेफीनेटली बतलायेंगे जैसी कि उन्होंने घोषणा की है वे

(श्री रामकिशन)

हाई पावर कमेटी नहीं बनाना चाहते और जांच का परिणाम भी एक दिन में नहीं निकल सकता।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है जो कुछ कार्यवाही यहां इस सम्बन्ध में हुई है जो कुछ सवाल रेकार्ड पर आये हैं उनको देखते हुए गवर्नमेन्ट अपना स्टेटमेन्ट देगी। **Government will make a statement on the 20th.** इसके अलावा मेरा निवेदन है माननीय सदस्य कुछ सब्र रखें तो इसका कोई रास्ता निकल सकता है The Government will go through all the necessary records, papers, correspondence collectively as Cabinet.

उस आधार पर हम यह निर्णय लेंगे कि क्या इसके लिये कोई इन्क्वायरी आफीसर मुकर्रर करना है उसके बाद इसके ऊपर जो भी पोजीशन होगी वह आपके सामने बीस तारीख को स्टेटमेन्ट के रूप में पेश कर देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी जो वित्त मन्त्री महोदय ने इस प्रकार की भावनायें प्रदर्शित की हैं उसमें जिस तरीके का सुझाव दिया गया है उससे कुछ सन्देह उत्पन्न होता है। बहुत सीधी सी बात है आपोजिशन का काम आपके ध्यान में लाने का था और उसको स्वीकृत करने का काम आपका है कि हम इस बारे में इन्क्वायरी करेंगे। अगर आप प्रीन्सिपली इन्क्वायरी को प्राइमाफेसी के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप अन इक्वी वोकल डिक्लेअर करते आप इसको किस प्रकार रेगुलेट करेंगे यह भी बता दीजिये उसके बाद जो रिजल्ट हो वह आप बता दीजिये। मैटर खत्म हो गया। आखिर आपकी मेजोरिटी है आप १०५ सदस्य हैं हम इधर ८० हैं आप हमारा सहयोग चाहते हैं। आपको मेजोरिटी द्वारा जो काम करवाने हो वह करवा लीजिये जो आपकी नीति सम्बन्धी प्रश्न हो वह आप करते रहिये। अगर आप सम्पूर्ण विरोधी दल द्वारा रखी हुई बात को स्वीकार न करें और आप यह चाहते हैं कि हम पूर्णतया आपको सरेन्डर कर दें यह तो हो नहीं सकता। आपको इस बारे में आगे बढ़ कर इस बात को स्वीकार करना चाहिये ताकि आगे का बिजनेस चले।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा था उसमें कोई फर्क नहीं मैंने कहा था कि जांच से आपको संतोष हो इसलिये मैंने कहा था कि राज्य सरकार इस मामले को जांच करके बोस तारीख को स्टेटमेन्ट दे देगी। जांच के बाद में अगर फरदर इन्क्वायरी की जरूरत है तो वह भी आपको बीस तारीख को बता दिया जायगा। इसके बाद भी आप मेरे से यहीं पर इसी समय यह कहलवाना चाहें कि इन्क्वायरी आफिसर मुकर्रर कर दूं यह कतई मुमकिन नहीं होगा। राज्य सरकार के सामने जो तथ्य आये हैं और जो माननीय सदस्यों की भावना है उस पर विचार करके जो कुछ कदम उठाना हम आवश्यक समझेंगे उसके बारे में रेकर्ड देख कर राज्य सरकार इस सारे मामले को केबीनेट में जांच करके जो

(श्री मथुरादास माथुर)

भी निर्णय होगा उससे सदन को बीस तारीख को अवगत करा देगी।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : इस तरह से इसका कोई अन्त नहीं होगा इसलिए कार्यवाही को आधा घन्टे के लिए स्थगित कर दिया जाय तो कोई हल निकल सकता है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर यह सब हो जायगा आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं जो गवर्नमेंट कहती है कि इस सम्बन्ध में परसों स्टेटमेन्ट हो जायेगा तो मेरा निवेदन है मिनिस्टर कोई जवाब देता है वह सब गवर्नमेन्ट का ही तो स्टेटमेन्ट होता है?

श्री मथुरादास माथुर : वह जो स्टेटमेन्ट आपके सामने आया है उस पर क्वैश्चन्स, मोशन्स, इमोशन्स रेकर्ड पर आये हैं और उसके लिए परटीकुलर मांग भी रखी गई है उस सारी बातों की राज्य सरकार जांच करेगी और उस सम्बन्ध में बीस तारीख को स्टेटमेन्ट दे देगी। इस पर भी विरोधी सदस्य राज्य सरकार को एकमोडेट नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं इसमें बहुत बड़ी डेमोक्रेसी इनवोल्व्ड है यह इससे भी जाहिर होता है कि आप निक आॅफ दी आवर और आॅन दी पाइन्ट आॅफ पिस्टल आप इन्डिसीप्लीन का रवैया अख्तियार करते हैं तो यह आपको शोभा नहीं देता। राज्य सरकार इस सदन के अधीन है सदन से जो कुछ आदेश मिलता है वह हमें स्वीकार करना है। मैं समझता हूं जो आपकी मन्शा है वह मेरे इस कथन से अमल में आ सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मामला आज नया नहीं उठाया गया है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी वाद-विवाद के समय यह प्रश्न उठा था। उसके बाद भी उठा है। यह मामला इसी समय आया हो यह बात नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण पर यह विवाद उठा था आज उसको ढाई महिने से अधिक का समय हो गया।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि वित्त मन्त्री महोदय ने सदन में निवेदन किया इस प्रश्न पर सारी जानकारी इन्क्वायरी के रूप में कराई जाकर वे तारीख २० को जब इस प्रकार का संकल्प सदन में है उस पर भी जो तथ्य होंगे उनको भी ध्यान में रख कर वक्तव्य देंगे। उस वक्त माननीय सदस्य और कोई स्पष्टीकरण चाहें, और कदम उठाना चाहें तो उस वक्त लेकर आगे चल सकते हैं। आज इस समय सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध करना उचित नहीं होगा।

श्री रामकिशन : अवरुद्ध नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह मैं उचित समय समझता हूं प्रश्न समाप्त हो चुके हैं अन्य कार्य लेना चाहता हूं। फिर भी मैं समझता हूं अभी भी माननीय सदस्यों में कुछ उद्विग्नता है और कुछ सुझाव इधर

(श्री अध्यक्ष)

से आये हैं उनमें वित्त मन्त्री महोदय का सुझाव भी है और विरोधी दल के सदस्यों का भी सुझाव है। उससे मैं समझता हूं विरोधी दल की तरफ से उदारता दिखाने की सम्भावना नजर आती है। ऐसी स्थिति में इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर दो बजे फिर मिलेंगे ताकि इस समय में मैं भी इस विषय पर चिन्तन कर लूंगा यह माननीय सदस्य भी चाहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट को भी यह आदेश दे दिया जाय कि वे भी इस बारे में बातचीत करें।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(१.३८ पर सदन दो बजे तक के लिए स्थगित हुआ)

(सदन की कार्यवाही पुनः मध्याह्न पश्चात् २ बज कर ४७ मिनिट पर प्रारम्भ हुई)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री।

श्री मथुरादास माथुर : (वित्त मन्त्री) माननीय अध्यक्ष, सदन में जिस प्रश्न को लेकर इतनी चर्चा और बहस हुई उस सिलसिले में विरोधी दल के माननीय नेताओं से परामर्श करने के बाद में मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप स्वयं इस सिलसिले में जितना रिकार्ड गवर्नमेंट के पास में है, उसको मंगा कर स्वयं देखें और देखने के बाद में जो सलाह, जो एडवाइस आप राज्य सरकार को दें, उस पर राज्य सरकार अमल करेगी। मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और सदन में इस प्रश्न को लेकर जो कुछ भी वाद-विवाद उत्पन्न हुआ है, मुझे आशा है कि इससे सैटल हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : यह गुरुतर दायित्व है और साधारणतया अध्यक्ष को ऐसा दायित्व को वहन नहीं करना चाहिए किन्तु जो उद्विग्नता सदन में उत्पन्न हुई, उसके संदर्भ में वित्त मन्त्री ने जो कुछ भी अपनी भावनायें व्यक्त कीं, इनको मैं सदन की भावनायें मान कर इस दायित्व को लेता हूं (करतल ध्वनि) जो भी स्थिति है मैं उस पर अवलोकन करूंगा।

प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि कार्यों के लिए ऋण

८९९. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भविष्य में कृषकों को कृषि कार्यों के लिए ऋण भूमि बन्धक बैंकों के द्वारा ही दिया जावेगा ?

(श्री मूलचंद कटेवा)

(२) पंचायत समितियों द्वारा जो कृषि कार्यों के लिए ऋण दिया जाता था उसकी ब्याज शरह क्या थी ?

(३) भूमि बन्धक बैंक द्वारा कृषि कार्यो के लिए दिए जाने वाले ऋण की ब्याज शरह क्या है ?

(४) क्या भूमि बन्धक बैंक की ब्याज शरह पंचायत समिति द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ब्याज शरह से अधिक है ?

(५) क्या राज्य सरकार इस बात की जानकारी रखती है कि भूमि बन्धक बैंक के ब्याज का किसान पर अधिक भार पड़ेगा जिसे वह वहन करने की स्थिति में नहीं है।

(६) क्या राज्य सरकार भूमि बन्धक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण का ब्याज पंचायत समिति द्वारा दिए जाने वाले ऋण के ब्याज के समान ही करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) १ अप्रेल १९६७ से पहिले ब्याज की दर ६½% थी। परन्तु उसके बाद ९ प्रतिशत हो गई है।

(३) ११½ प्रतिशत किन्तु समय पर ऋण चुकाने पर २½% ब्याज में कटोती कर दी जावेगी।

(४) जी नहीं। समय पर ऋण चुकाने वाले कृषकों के लिये कोई अन्तर नहीं है।

(५) भूमि बंधक बैंक द्वारा किसान से लिया जाने वाला ब्याज इतना अधिक नहीं है कि उस पर उसका अधिक भार पड़े जिसे वह वहन न कर सके।

(६) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि दोनों का ब्याज दर समान ही है।

ग्राम मातासरा एवं थाह का खेड़ा में लगान की वसूली

८७७. श्री हरीसिह (बैंगू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम मातासरा एवं थाह का खेड़ा आदि डूब में आये हैं ?

(२) क्या ऐसे डूब में आये हुए लोगों को उनकी ही डूब में आने वाली भूमि को बोने की इजाजत दी गई जब तक कि उस पर वास्तव में पानी न आ जावे और क्या ऐसी भूमि का प्रथम वर्ष यानि कि संवत् २०२१ के भू-राजस्व की छूट किये जाने के लिए मुख्य मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया ?

(३) ऐसे कुल कृषक कितने हैं जो इस छूट के अधिकारी हैं ? कितने व्यक्तियों से संवत् २०२१ का भू-राजस्व वसूल कर लिया गया है और कितने लोगों में अब बकाया रकम रहती है ?

(४) यदि इस आश्वासन के बावजूद भी भू-राजस्व संवत् २०२१ का वसूल किया

(श्री हरिसिंह)

गया तो इस स्थिति में क्या सरकार इस रकम को वापस लौटाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) श्री मुख्य मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन डूब में आने वाली भूमि को बोने तथा लगान बन्दोबस्त की दर से वसूल करने के बारे में था जो भूमि डूब में आने वाली थी वह डूब में नहीं आने के कारण उस भूमि को बोने तथा उसका बन्दोवस्त दर से लगान वसूल करने के बारे में अवश्य बात थीं। लगान में छूट देने का कोई आश्वासन देना मालुम नहीं होता।

(३) सं० २०२१ की भू-राजस्व की बकाया रकम रुपया २६८१०.७४ थी जिसमें से रुपया १५७७०.९३ वसूल होकर सिर्फ रुपया ११०३८.८१ ही अब वसूल होने बाकी रहते हैं। ऐसे कितने व्यक्तियों से भू-राजस्व वसूल कर लिया है और कितने लोगों से बकाया रहती है, उनकी संख्या एकत्रित की जा रही है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सुपर बाजार, जयपुर

८७८. **श्री गोरधन सोनी :** (मेडता) क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जयपुर के सुपर बाजार के निर्माण में सरकार ने कितनी रकम खर्च की है ? क्या इसके अग्रेतर विकास के लिये भी कोई निर्माण योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें कितना खर्चा लगेगा ?

(२) निर्माण की राशि के अलावा मदद व ऋण के रूप में सरकार ने अब तक कितनी रकम इस पर लगा रखी है ? अलग अलग राशि बताने की कृपा करें तथा दिनांक १-५-६७ तक सुपर बाजार कितने नफे या नुकसान में रहा ?

उत्तर

जयपुर के सुपर बाजार के लिये कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है और न अभी कोई योजना ही विचाराधीन है।

निर्माण कार्य कोई नहीं कराया गया है। ऋण व मदद के रूप में विभिन्न मदों में निम्नानुसार धन राशि जयपुर के सुपर बाजार (सहकारी बाजार) के निमित्त योजनानुसार जयपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि० को उपलब्ध करायी गयी है :—

हिस्साराशि अंशदान रु० ३.०० लाख
फर्नीचर, फिक्सचर्स एवं

फिटिंग के लिये-

(अ)	ऋण	रु०	१.८७५	लाख
(ब)	अनुदान	रु०	०.६२५	लाख
व्यवस्थापन हेतु अनुदान-		रु०	०.१५	लाख
			रु० ५.६५	लाख

(सहकारिता मंत्री)

३१ मार्च, ६७ तक के संतुलन के अनुसार भण्डार को रु० ३७१०२) ६५ पैसे का लाभ रहा है।

परबतसर में पशु मेले के कारण फसल का नुकसान तथा उसका मुआवजा

८८०. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्ष १९६६ में परबतसर पशु मेले के कारण कितने किसानों की फसल नष्ट हुई और कितना नुकसान हुआ ?

(२) क्या सम्बन्धित किसानों ने फसल नष्ट होने का मुआवजा देने की दरख्वास्तें जिलाधीश, नागौर से की है ? यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं और मुआवजा कब और कितना दिया जायेगा ?

उत्तर

सन् १९६६ में कुछ काश्तकारों ने मेले लगने के मैदान में सावणू फसल बोई थी मेले के प्रारम्भ होने पर काश्तकारों ने स्वयम् ने अपनी फसलों को उठा लिया और केवल एक काश्तकार को छोड़कर किसी ने हानि के बावत कोई रिपोर्ट नहीं की।

पशु मेला सैंकड़ों वर्षों से लगता आया है और जो किसान मेले के मैदान में फसल बोता है वह अपनी रिस्क पर बोता है। अतः ऐसी हानि का मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

रिटायर होने वाले अधिकारियों को ग्रेचुटी का भुगतान

८८३. श्री पुखराज कालानी (सोजत): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष रिटायरमेन्ट की उम्र जो ५५ वर्ष की की गई है इसके कारण ३१ मार्च, ६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किस-किस विभाग के किस किस ग्रेड के कितने आफीसर रिटायर होंगे ?

(२) इस वर्ष रिटायर होने वाले अफसरों को दी जाने वाली ग्रेचुएटी (Gratuity) व दूसरे प्रावधानों के अन्तर्गत दी जाने वाली रकम करीब कितनी होगी व इसके पेमेन्ट का इस वर्ष में क्या प्रावधान रखा गया है व इसके पेमेन्ट का क्या तरीका सोचा है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जालोर जिले की नल कूप योजना

६२३. श्री आईदानसिंह (भीनमाल): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जालोर जिले के २०० नल कूप (Tube well) योजना के अन्तर्गत अब तक कितने नल कूप (ट्यूब वैल) खोदे जा चुके हैं ?

(२) उपरोक्त नल कूपों की खुदाई कब की गई थी ?

(श्री आईदानसिंह)

(३) क्या यह सही है कि खोदने के बाद उपरोक्त नल कूपों से अभी कोई पानी नहीं दिया जा रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि इन नल कूपों के लिये १९६६-६७ में कोई लक्ष्य रखा गया था ? अगर हां, तो क्या लक्ष्य पूर्ति हुई ?

(५) क्या यह सही है कि इन नल कूपों के लिये १९६७-६८ में भी कोई लक्ष्य रखा गया है ? अगर हां, तो उस पर काम कब तक शुरू होगा ?

उत्तर

(१) कोई नहीं।

(२, ३, ४, ५) योजना भारत सरकार के विचाराधीन है और अभी चालू नहीं हुई है।

बोरिंग मशीनें

६२४. श्री मदनसिंह (सिरोही) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में बोरिंग मशीनें कितनी हैं ?

(२) कुए में कम से कम कितने फुट बोरिंग करवाना अनिवार्य है ?

(३) एडवान्स कितने रुपये जमा करवाने पड़ते हैं ?

(४) बोरिंग करने व पाइप फिटिंग की पर फुट दर क्या है ?

(५) एडवांस धनराशि जमा कराने के कितने दिन बाद बोरिंग मशीन एडवांस-कर्त्ता के कुए पर चली जाती है ?

उत्तर

(१) ३ बोरिंग मशीनें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में और २२ बोरिंग मशीनें राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड में है।

(२) ५० फुट बोरिंग करवाना अनिवार्य है।

(३) कुओं के बोरिंग के लिये ५० बाई ३८ यानी १९००) रु० और काश्तकारों को ५० बाई ३० यानी १५००) जमा कराने पड़ते है।

(४) खाली बोरिंग करने की दर ३८) रु० प्रति फुट है और काश्तकारों के लिये ३०) रु० प्रति फुट है पाइप फिटिंग की दर ३७) रु० प्रति फुट हैं और काश्तकारों के लिये २८) रु० प्रति फुट है।

(५) मशीन भेजने के बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती क्यों कि उस मशीन पर उसके पहिले जितने एडवांस जमा है उनके ऊपर मशीन का एडवांसकर्त्ता के कुए पर जाना निर्भर होता है।

कोटा जिले में कृषि कालेज की मांग

६२५. श्री देवी दत्त गाड़िया

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कोटा जिला कृषि क्षेत्र है ?

(२) क्या सरकार कोटा में कृषि कालेज खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जावेगा ?

(३) क्या कोटा जिला की जनता एवं राजनैतिक पार्टियां सरकार से समय समय पर यह मांग करती रही है कि कोटा जिला राजस्थान में कृषि प्रधान क्षेत्र है ? अतः कोटा में कृषि कालेज खोला जाय ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) कृषि महाविद्यालय खोलने का आधार कृषि स्नातकों की आवश्यकता पर ही निर्भर करता है न कि प्रत्येक कृषि क्षेत्र के आधार पर। इस समय राज्य में चल रहे कृषि महाविद्यालय कृषि स्नातकों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हैं।

पंचायत समिति के अध्यापकों को सेकन्ड ग्रेड

६२६. श्री गंगा सहाय (कठूमर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, नगर, पहाड़ी नगर में कार्य कर रहे अध्यापकों में से कुछ, जो कि सन् १९५९ से पहले के मेट्रिक ट्रेन्ड हैं, उनको मेट्रिक ट्रेन्ड का ग्रेड दिया गया है, जब कि बहुत से और अध्यापकों को मैट्रिक ट्रेन्ड का ग्रेड आजतक भी नहीं दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में सेकन्ड ग्रेड टीचर्स की कोई पोस्ट नहीं है, जबकि पंचायत समितियों में ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, अनट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स बहुत बड़ी संख्या में है जिसको कि सेकन्ड ग्रेड मिलना चाहिये ?

उत्तर

(१) जी नहीं। जो अध्यापक मैट्रिक व ट्रेन्ड हैं उनको ट्रेन्ड मैट्रिक का ग्रेड मिल चुका है।

(२) जी हां। कुछ अध्यापक ग्रेजुएट हैं।

पंचायत समिति में ट्रेक्टर्स

६२७. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रायः प्रत्येक पंचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा ट्रेक्टर रखे जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो वे किस प्रयोग में आते हैं ?

(२) क्या छबड़ा पंचायत समिति जिला कोटा को भी ट्रेक्टर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा अब तक उससे कितना कार्य

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

हुआ है ? कृपया उसके द्वारा हुई आय व खर्चो के अब तक का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि प्रत्येक पंचायत समिति में ट्रेक्टर रखे जावें। पंचायत समिति चाहे तो अपनी निजी आय एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान से ट्रेक्टर खरीद सकती है। ट्रेक्टर पड़त व बंजड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने, रासायनिक खाद एवं बीज वितरण करने तथा निर्माण कार्यों के लिए सामान ढोने के काम में लिया जाता है।

(२) पंचायत समिति द्वारा अप्रेल, १९६४ में एक ट्रेक्टर खरीदा गया है। ट्रेक्टर पर उसकी कीमत सहित आज तक कुल ४०,६५८.४० पैं० खर्चा हुआ है तथा १५,३७१.४० पैं० की आय हुई है। ट्रेक्टर का पंचायत समिति क्षेत्र में पड़त व बंजड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने, रासायनिक खाद व बीज तथा निर्माण कार्यों के लिए सामान ढोने के कार्य में उपयोग किया गया।

पंचायत समितियों के अध्यापकों की नियुक्ति एवं उनका पोस्टिंग

६२८. श्री फतेह सिंह (ब्यावर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या ऐसा कोई नियम है जिसके अन्तर्गत जिला परिषद द्वारा किसी अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक की होम पंचायत समिति की पाठशालाओं में नहीं की जा सकती ?

(२) क्या यह बात सही है कि जिला परिषद, अजमेर द्वारा ऐसा आदेश निकाला गया है जिसके अन्तर्गत सन् १९६४ के बाद भर्ती किये गये अध्यापकों की नियुक्ति अथवा तबादला उस व्यक्ति की होम पंचायत समिति में करने पर प्रतिबन्ध है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। जिला कर्मचारी वर्ग समिति ने ऐसा प्रस्ताव किया है।

ग्राम पंचायत कैथून में राशन कार्ड व्यवस्था

६२९. श्री वृज वल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, कैथून में गल्ला, शक्कर आदि के वितरण हेतु राशन कार्ड की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि पंचायत ने राशन कार्ड की अवधि सिर्फ ६ मास तक रक्खी है ?

Page No. 75

(श्री बृज वल्लभ बोहरा)

(३) क्या यह भी सही है कि राशन कार्ड की फीस हर ६ मास में १) प्रति राशन कार्ड रखी है ?

(४) क्या यह भी सही है कि राशन कार्ड की दर बढ़ाने की आज्ञा किसी उच्च विभाग से प्राप्त नहीं की गई ?

(५) क्या यह भी सही है कि राशन कार्ड से जो रकम प्राप्त की जाती है उसकी रसीद नहीं दी जाती ?

(६) राशन कार्डों के उक्त प्रकार के वितरण से कितनी आमदनी हुई ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

निवाई में भेड़ फार्म के लिये तकावी व सहायता के रूप में दी गई धनराशि

६३०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, निवाई ने गत ३ साल में किस-किस व्यक्ति को भेड़ फार्म के लिये तकावी व सहायता के रूप में कितनी २ धन राशि दी ? नामवार सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(२) क्या यह भी सच है कि अधिकतर लोगों ने अपनी पुरानी भेड़ों को दिखाकर ही यह अनुदान व तकावी लेकर अन्य कामों में खर्च कर दी है ? यदि हां, तो ऐसे कितनी आदमी हैं ? नामवार सूची समन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) जिन लोगों ने भेड़-पालन के लिये तकावी व सहायता ली है, उन्होंने इस क्षेत्र में क्या प्रगति की है ? आंकड़े देने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। केवल ४ व्यक्तियों ने ऋण का उपयोग नहीं किया है।

(३) (i) ४४२ उन्नत नस्ल की भेड़ें खरीदीं।

(ii) २२३ मैंढे व मैमनों की वृद्धि हुई।

(३) २२,८८२) रु० की आय हुई।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

झुंझुनूं जिले को अल्प बचत योजना से प्राप्त धनराशि

६३१. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनूं जिले को पिछले २ वर्षों में अल्प बचत योजना से कितने रुपये जिले के विकास कार्यों के लिए दिए गये ?

(श्री रामनारायण चौधरी)

(२) क्या राज्य सरकार ने इन रुपयों को खर्च करने के लिए दो व्यक्तियों की एक समिति बना रखी है ?

(३) इस समिति की कितनी बैठकें हुई हैं तथा उन बैठकों में किस-किस कार्य के लिए कितने रुपये स्वीकार किए गये ?

(४) इस रकम में से कितने रुपये अभी खर्च करने बाकी हैं ?

(५) इन रुपयों को खर्च करने के लिए जो यह कमेटी बनी हुई है वह किस आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृतियां देती हैं ?

उत्तर

(१) ६, ६१,६२०) रुपए दिये गये ।

(२) कोई समिति राज्य सरकार ने नहीं बनाई है परन्तु जिलाधीश को निर्देश दिये गये हैं कि वे जिला प्रमुख के परामर्श से इस रकम का आवंटन करें ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) रुपये ४,०४, १४३)५६ पैसे शेष हैं ।

(५) राज्य सरकार ने कोई समिति नहीं बनाई है परन्तु आदेश दिये गये हैं कि जिले के जिलाधीश जिला प्रमुख के परामर्श से अपने क्षेत्र की पंचायत समितियों में अल्पबचत योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य को ध्यान में रखते हुए राशि का आवंटन करेंगे । यह आवंटन करते समय विकास संबंधी उन विशिष्ठ योजनाओं का भी ध्यान रखेंगे जिन पर पूंजीगत खर्च किया जाना है जैसे ग्रामीण सड़क, स्कूल भवन और ग्रामीणविद्युतीकरण आदि ।

ग्राम भारनी में पानी की व्यवस्था

६३२. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या विकास मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम भारनी तहसील श्री माधोपुर की आबादी कितनी है और उसमें पीने के पानी के कुए कितने हैं व कितने गहरे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि मौजूदा कुओं में ग्राम के लिए या तो पर्याप्त पानी नहीं है, या पानी खारा है व गांव की हालत पानी बगैर बहुत ही खराब है ?

(३) क्या यह सही है इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने हेतु विकास अधिकारी, श्री माधोपुर ने जिलाधीश सीकर को मौके की रिपोर्ट तीन साल पहले की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(४) क्या यह सही है कि ग्राम के कुओं में नीचे पत्थर हैं जिससे ग्राम वालों से खुदाई नहीं हो सकती ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त पत्थर तोड़ने या बोरिंग करवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

(५) क्या सरकार को इस साल भी प्रधान द्वारा इस बाबत तुरन्त कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(१) आबादी लगभग १,००० की है। दो सार्वजनिक कुए हैं जो लगभग सौ-सवासो फुट गहरे हैं।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) जांच करने पर यदि आवश्यक हुआ तो बोरिंग करवाने की कार्यवाही करवाई जाएगी।

(५) जी हां। जिलाधीश महोदय को प्रधान का पत्र दिनांक १५-५-६७ को प्राप्त होने पर सहायक अभियन्ता सीकर से तखमीना मंगवाया गया है।

ग्राम नाथूसर में कुओं का निर्माण कार्य

६३३. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम नाथूसर तहसील नोखा, जिला बीकानेर में कुओं का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो कब तक पूरा कराया जायगा ?

उत्तर

जी हां। अधूरे कुओं के कार्यों को पूरा कराने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

पंचायत घर व ग्राम सेवक क्वार्टर सादड़ी (जि० पाली)

६३४. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सादड़ी (जिला पाली) में आदारियों का भूंपा (कालोनी) में एक पंचायत घर और एक ग्राम सेवक क्वार्टर बना हुआ है ?

(२) इन दोनों भवनों को किस-किसने कब-कब बनवाया है और कितनी-कितनी रकम इन दोनों भवनों पर खर्च (पृथक पृथक रकम बतावें प्रत्येक की) हुई है ?

(३) इनके निर्माण में सरकार की कितनी-कितनी रकम लगी है और जनता की कितनी-कितनी रकम लगी है ?

(४) इन दोनों पर जन-सहयोग-किस-किस रूप में (श्रम या पैसा) मिला है ?

(५) क्या यह सही है कि इस पंचायत घर के बनने के पश्चात् से अब तक किसी भी पंचायत का कोई भी कार्यालय उसमें नहीं लगा है और न किसी पंचायत की कोई बैठक ही हुई है ?

(श्री फूलचन्द बाफना)

(६) क्या यह सही है कि इस ग्राम सेवक क्वार्टर में (जब से बना तब से) आज दिन तक कोई ग्राम सेवक नहीं रहा है ?

(७) क्या यह सही है कि इस क्वार्टर के दरवाजे कभी के टूट चुके हैं व इस क्वार्टर में फर्श इसके निर्माण के प्रारम्भ से ही नहीं बनाया गया था ?

(८) क्या यह सही है कि इस क्वार्टर में इधर उधर से जानवर घुस जाते हैं ?

(९) इन दोनों को बनाने की मांगें किस–किस ने किस-किस प्रस्ताव या मांग द्वारा की थी ?

(१०) इन दोनों के निर्माण के ठेके किस–किस को दिये गये थे और किन–किन शर्तों पर ?

(११) क्या उन शर्तों का पालन ठेकेदार द्वारा किया गया था ? यदि नहीं, तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई व क्या फल निकला ?

(१२) क्या यह सही है कि इन दोनों का निर्माण, बिना किसी की मांग के केवल सम्बन्धित ठेकेदार को ठेके देने हेतु ही करवाया गया था ?

(१३) इन दोनों भवनों का अब क्या क्या उपयोग किया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) दोनों भवन सन् १९५८ में विकास खण्ड के समय बनवाये गये। इन पर क्रमश: ६,०००) रु० व २९९८)०३ पैसे खर्च हुए।

(३) पंचायत घर पर केवल सरकारी रकम६०००) रु० खर्च हुए। जनता की रकम नहीं लगी। ग्राम सेवक भवन पर सरकार के २७००) रु० व जनता के २९८)०३ पैसे (श्रमदान के रूप में) खर्च हुए।

(४) पंचायत घर के लिए नकद व श्रमदान के रूप में कोई जन-सहयोग प्राप्त नहीं हुवा। ग्राम सेवक भवन के लिए श्रमदान के रूप में २९८)०३ पैसे प्राप्त हुए।

(५) जी हां।

(६) जी हां।

(७) जी हां।

(८) किवाड़ टूट जाने के कारण जानवर घुस सकते हैं।

(९) पंचायत घर कौलोनी के साथ समाज विभाग द्वारा बनवाया गया तथा ग्राम सेवक भवन ग्राम सेवक केन्द्र पर निर्माण करना आवश्यक समझा गया।

(१०) इन दोनों भवनों का ठेका भवन निर्माण सहकारी समिति, राजसमन्द को

विकास मन्त्री)

बी. एण्ड. आर. की शिडयूल्ड रेट पर दिया गया।

(११) शिडयूल्ड रेट पर ठेका दिया गया था व कार्य समय पर पूरा कर दिया गया था। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुवा।

(१२) जी नहीं।

(१३) पंचायत घर का उपयोग बीज भंडार के रूप में तथा ग्राम सेवक भवन का बीज भंडार व चौकीदार के निवास हेतु उपयोग किया जा रहा है।

झुंझुनूं जिले का अनाज का कोटा

६३५. श्री मूलचंद कटेवा (पिलानी): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) झुंझुनूं जिले के कितने ग्रामों में इस वर्ष अकाल है ?

(२) अकाल से कितनी जन संख्या प्रभावित है ?

(३) प्रभावित जन संख्या के लिए प्रति माह राज्य सरकार को कितना अनाज देना चाहिए ?

(४) माह दिसम्बर, १९६६ से माह मई, १९६७ तक हर माह कांटे का कितना गल्ला प्रभावित क्षेत्र की जनता को दिया गया ?

(५) क्या यह निर्धारित मात्रा से कम नहीं था ? अगर था, तो क्यों ?

उत्तर

(१) झुन्झुनू जिले के १७५ ग्रामों में अकाल है।

(२) अकाल से १६५६२२ जनसंख्या प्रभावित है।

(३) लगभग ९९४ टन अनाज देना चाहिये।

(४)

दिसम्बर,	६६	१६६	क्वी०
जनवरी,	६७	२१६	,,
फरवरी,	६७	६९७	,,
मार्च,	६७	२२१९	,,
अप्रेल,	६७	१७००	,,
मई,	६७	२२२२	,,

अनाज प्रभावग्रस्त क्षेत्र में बांटा गया।

(५) निर्धारित मात्रा से कम हुआ। क्योंकि माईलों जनता नहीं खरीदना चाहती थी।

पाली शहर में शक्कर का वितरण

६३६. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) पाली शहर में मई, १९६७ में

(श्री मूलचन्द डागा)

शक्कर का वितरण कब शुरु हुआ, और कितनी कितनी शक्कर किस हिसाब से वितरण की गई ? क्या यह सत्य है कि शक्कर का वितरण समय पर न होने से काले बाजार में शक्कर का भाव ५ रुपये किलो तक पहुंच गया था ? यदि हां, तो यह कसूर किसका है ?

(२) माह फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, १९६७ में किन किन शख्सों को शक्कर के स्पेशल परमिट दिये गये और किस आधार पर दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सत्य है कि स्पेशल परमिट के कारण जनता में भारी असन्तोष फैला और शादियों के समय शक्कर काले बाजार में ऊंचे भाव से मिली ? यदि हां, तो यह गलती किसकी है ? सरकार ने उस गलती के निराकरण के लिये किस व्यक्ति को दंडित किया ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) लेव्स कोटे का शक्कर का माल कुल कितना था और उसका वितरण किस आधार पर किसने किया और किसको किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राशन सामग्री भाव निर्धारण में फरक के पैसे

६३७. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चूरू नगर में अनाज, चीनी व जो अन्य खाद्य सामग्री राशन में वितरण के लिये आती है उनके भाव निर्धारित करने में जो भाव फरक के पैसे बचते हैं वे कहां जमा होते हैं ? और सन् ६५–६६ व ६६–६७ में कितनी रकम जमा हुई है ? और उसका क्या उपयोग हुआ ?

उत्तर

(१) चूरू नगर में चीनी व अन्य खाद्य सामग्री के भाव निर्धारित करने में जो भाव फरक के पैसे बचते है वह लाईसेन्स्ड कमोडिटीज चैरिटी फंड के परसनल डिपोजिट्स अकाउन्ट (Licensed Commodities Charity Fund के P. D. Account) कलेक्टर (सप्लाई) के नाम ट्रेजरी में जमा कराये जाते हैं।

सन् ६५-६६ में २०७२/६८ पैसे व ६६-६७ में १३२१/३७ पैसे जमा हुए थे इस पैसे का उपयोग नॉन रेकरिंग चेरिटेबल परपज (Non-recurring charitable purpose) व अन्य public utility के काम हेतु किया जाता है।

कस्बा छापर में आयातित गेहूं का वितरण

६३८. श्री रावत राम (छापर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कस्बा छापर (चूरू) की कितनी आबादी है और इस कस्बे को जनवरी, ६७

(श्री रावत राम)

से मई, १९६७ तक प्रति माह कितना आयातित गेहूं भेजा गया है ?

(२) जितना आयातित गेहूं भेजा गया है वह छापर की आबादी के अनुपात से प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना है ? और क्या यह पर्याप्त है ?

(३) आयातित गेहूं छापर में किसके द्वारा सप्लाई होता हैं ? क्या सरकार छापर में गेहूं वितरण व्यवस्था का समय समय पर अधिकारियों से चैंकिंग करवाती है ? यदि हों, तो किन अधिकारियों ने चैंकिग की और उनकी रिपोर्ट क्या है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में छापर में आयातित गेहूं पर्याप्त नहीं मिलने से लोगों को बड़ी परेशानी है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

(५) क्या यह सही है कि जो गेहूं सप्लाई किये जाते हैं वे सड़े हुये हैं और उनमें गेहूं के बराबर ही कूड़ा मिला हुआ है ? यदि हां, तो इस क्या कारण है ?

उत्तर

(१) कस्बा छापर (चूरू) की आबादी जनगणना १९६१ के अनुसार ७२५५ है। माह जनवरी, ६७ से मई, ६७ तक इस कस्बे को जो अनाज वितरण किया गया है वह निम्न प्रकार है:—

आयातित गेहूं

जनवरी, ६७	२४० क्विन्टल
मार्च, ६७	२६० ,,

(२) खाद्य विभाग के आदेशानुसार आयातित गेहूँ का वितरण केवल ५०,००० आबादी वाले कस्बों, जिला मुख्यालयों व अभावग्रस्त क्षेत्रों में ही होता है। चूंकि कस्बा छापर उक्त तीनों क्षेणीयों में नहीं आता है अतः माह जनवरी, व मार्च, ६७ में आयातित गेहूं का वितरण स्टाक में गेहूं के भविष्य में खराब हो जाने की आशंका से किया गया। यह वितरण माह जनवरी, ६७ में २ किलो व मार्च, ६७ में ३ किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से किया गया। मात्रा पर्याप्त होने या न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) आयातित गेहूं का वितरण तहसीलदार द्वारा नियुक्त सस्ते गल्ले की दुकान द्वारा किया जाता है। सरकार चैंकिग प्रवर्तन अधिकारी सुजानगढ़ द्वारा कराती है। प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार छापर में वितरण व्यवस्था ठीक है।

(४) प्रश्न के भाग २ में उत्तर दिया गया है।

(५) यह सही नहीं है।

कोटा जिले की सहकारी समितियां

६३६ श्री नन्दलाल (किशन गंज) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री नन्दलाल)

(१) कोटा जिले में कितनी सहकारी समितियां है ?

(२) कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं और कितनी कार्य नहीं कर रही हैं ?

उत्तर

(१) कोटा जिले में दिनांक ३०-६-६६ को कुल १३४७ सहकारी समितियां थीं।

(२) १३४७ समितियों में से ८१०. समितियां कार्य कर रही हैं, तथा ३९४ समितियां कार्य नहीं कर रहीं तथा १४३ समितियां अवसायन में है।

पंचायत क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समिति

६४०. श्री हरि वल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि एक पंचायत-क्षेत्र में केवल एक ही प्राथमिक सहकारी समिति का गठन होना चाहिये ?

(२) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) अब उक्त निर्णय पर सक्रिय व्यवहार किए जाने के लिए राज्य सरकार क्या उपाय सोचती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(४) प्रश्न ही नही उठता है।

सहकारी समिति, ग्राम गुहाला

६४१. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गुहाला ग्राम सहकारी समिति को अभी तक ऋण नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि गुहाला ग्राम सहकारी समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष ने आज तक सारा रिकार्ड नये अध्यक्ष को नहीं संभलाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) सरकार द्वारा भूतपूर्व अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और मुकम्मिल चार्ज कब तक दिलवा दिया जावेगा।

उत्तर

(१) जी नहीं। इस समिति को रजिस्ट्रेशन के बाद निम्न प्रकार अल्पकालीन ऋण मिल चुका है:—

१. दिनांक १८-१२-५८ को ४५,२७०) रु.

२. ,, २४-३-६१ को ३१,२५०) रु.

(२) जी हां।

(३) भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा मौजूदा अध्यक्ष को चार्ज उन्हें सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर द्वारा लिए जाने पर भी नहीं सम्भलवाने पर उप-जिलाधीश, नीम का थाना को राजस्थान सहकारी अधिनियम १९६५ की धारा ३७ के अन्तर्गत लिखा गया। उप–जिलाधीश द्वारा मौजूदा अध्यक्ष की उपस्थिति में भूतपूर्व अध्यक्ष के घर की तलाशी ली गई लेकिन रेकार्ड नहीं मिल सका। उप जिलाधीश द्वारा रेकार्ड प्राप्त करने के लिए कार्यवाही जारी है। सम्पूर्ण चार्ज कब तक दिलवाया जा सकेगा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है।

पशुधन का विकास

६४२. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितनी गायें हैं और उनमें से कितनी दुधारू है ?

(२) राजस्थान की गायें औसतन कितना दूध देती हैं ?

(३) क्या सरकार यह महसूस करती है कि राज्य की गायों का दूध बहुत कम होता है और इसका कारण चरागाहों की कमी है ? यदि हां, तो चरागाहों की उन्नति के लिए सरकार क्या कदम उठावेगी ?

(४) राजस्थान में पशुधन के विकास के लिए किन-किन साधनों की आवश्यकता है, और सरकार ने उनमें से कौन-कौन से साधन अपना लिए हैं और कौन-कौन से नहीं ?

(५) क्या यह सत्य है कि अच्छे चरागाहों को कमी के कारण राजस्थान का पशुधन गिरता जा रहा है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में ४८,००,१९८ गायें हैं जिनमें से १८,२५,३४३ दुधारू गायें हैं।

(२) प्रति गाय राजस्थान में १.९२ किलो दूध प्रति दिन देती है।

(३) जी हां, गोचर भूमि सुधार हेतु प्रदर्शन क्षेत्र, पशु प्रजनन केन्द्रों पर चरागाह विकास कार्य तथा उन्नत किस्म के बीजों के वितरण का कार्य राज्य–सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(४) पशुधन विकास के लिए राजस्थान में निम्न साधनों की आवश्यकता है:–

१. नस्ल सुधार।

(पशुपालन मन्त्री)

२. चारा-दाना व्यवस्था।

३. बिमारियों से रोकथाम।

४. विपणन।

उपरोक्त सभी साधन राज्य सरकार ने अपना लिये हैं। नस्ल सुधार हेतु ग्रामावार योजना, बधियाकरण योजना, बीमारियों की रोकथाम के लिए माता उन्मूलन योजना, चल-पशु चिकित्सालय, एक्सरे-ईकाई तथा विभिन्न पशु अनुसंधान योजनायें कार्य कर रही हैं।

तथा विपणन हेतु कई पशु मेले भी लगाये जाते हैं।

(५) जी नहीं, किन्तु अगर चारागाहों के लिए और भी अधिक भूमि उपलब्ध हो तो पशुधन के विकास में और भी अधिक प्रगति हो सकती है।

देवगढ़ तहसील के तालाबों में मछली पालन

६४३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि देवगढ़ तहसील में तीन तालाब रणजीत सागर, संग्राम सागर, और सूकई का बांध ऐसे हैं जिनमें मछली-पालन किया जा सकता है?

(२) यदि हां, तो क्या इनमें मछली-पालन की व्यवस्था करने का विचार है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) राज्य-सरकार का अभी छोटे-छोटे तालाबों में मछली पालन की व्यवस्था करने का विचार नहीं है, चूंकि फिलहाल सरकार प्रोजेक्ट आधार पर ही मत्स्य-पालन का कार्य कर रही है।

ऊन का क्रय-विक्रय

६४४. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) राज्य सरकार द्वारा ऊन की खरीद फरोख्त का व्यापार कब से आरम्भ किया गया?

(ख) किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी कीमत की ऊन खरीदी गई और उसकी बिक्री से कितनी-कितनी कीमत वसूल हुई?

(ग) ऊन के इस क्रय-विक्रय में एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्च किस वर्ष में कितना २ आया?

(घ) इस खरीद फरोख्त में किस-किस वर्ष में हानि अथवा लाभ कितना २ रहा?

उत्तर

(१) यह व्यापार सितम्बर, १९६४ में आरम्भ किया गया।

(पशुपालन मन्त्री)

(२) ऊन की खरीद का जिलेवार तथा प्रति वर्ष का ब्योरा संलग्न किया जा रहा है, इसी प्रकार ऊन के विक्रय का ब्योरा भी सलग्न किया जा रहा है।

(३) विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी प्रसार कार्य तथा क्रय करने का कार्य साथ साथ ही करते हैं अतः यह कठिन है कि केवल क्रय करने पर एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा किस-किस वर्ष में कितना-कितना हुआ है।

(४) प्रोफार्मा एकाउन्ट्स अभी तैयार नही हो सके हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पशु मेलों में जानवरों की बिक्री से आय

६४५. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९६५-६६ में परबतसर व ग्राम मकरी के पशु मेलो में कितने जानवरों की बिक्री से कितनी आमदनी सरकार को हुई ? और सरकार का कितना खर्चा हुआ तथा सरकार को कितनी बचत हुई ?

(२) इन मेलों से हुई बचत में से क्या सम्बन्धित क्षेत्रों में सुधार के लिये कोई रकम दी गई है ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

(३) क्या परबतसर पशु मेले के लिये कोई कमेटी बनी हुई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन हैं ?

उत्तर

(१) ग्राम मकरी में विभाग द्वारा कोई पशु मेला नहीं लगाया जाता है। परबतसर पशु मेले में ६०१३८ जानवरों की बिक्री से २,६०,८७२ रुपयों की आमदनी हुई। इस मेले के लगाने में १,०१,७०८. २२ रुपये की धनराशि खर्च की गई एवं सरकार को १,८६,१६३. ७८ रुपये की बचत हुई।

(२) बचत की रकम सरकार के नियमानुसार राज्य के कोष में जमा करादी जाती हैं अतः उसमें से खर्च किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी हां, सदस्यों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ठ ५ देखिये)

श्री रंगनाथजी की डोल यात्रा की सवारी पर पुलिस बैण्ड का खर्चा

६४६. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी में श्री रंगनाथजी की डोल यात्रा की सवारी में पुलिस का मशक का बैण्ड सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है ?

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका द्वारा जो काजलिया तीज की सवारी निकाली जाती है उसमें पुलिस बूंदी का मशक का बैण्ड निःशुल्क दो दिन के लिये दिया जाता रहा है ?

(३) जब सारा बजट श्री रंगनाथजी का देवस्थान उठाता है तो पुलिस का मशक का बैण्ड निःशुल्क डोल यात्रा की सवारी में क्यों नहीं दिया जाता है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सहायता अथवा पेंशन की राशि

६४७. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें देवस्थान विभाग से मिलने वाली सहायता अथवा पेंशन की मासिक राशि १०) रु० माहवार या इससे भी कम है ?

(२) इस महंगाई को देखते हुए क्या सरकार का इरादा इस राशि को बढ़ाने का है ?

(३) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) १० रुपया मासिक या उससे कम पाने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है क्योंकि बहुत से व्यक्ति भूतपूर्व रियासतों के समय से ही स्वीकृत सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(२) जी नहीं।

(३) अर्थाभाव के कारण।

लिफ्ट एरिया में आरजी काश्त भूमि का अलाटमेन्ट

६४८. श्री भीमसेन (लूनकरणसर): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वर्तमान में राजस्थान नहर के लिफ्ट एरिया में आरजी काश्त की भूमि तीन वर्ष के लिए अलॉट की जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि काश्तकारों को इस प्रकार अलोटमेन्ट के कारण काफी खर्चा एवं परेशानी भुगतनी पड़ती है ?

(३) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि काश्तकारों की सहूलियत एवं खाद्यान्न उत्पादन में बाधा न हो इस बात को ध्यान में रख कर तीन साल के बजाय पांच साल के लिए अलॉट करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

जिला बूंदी में अकाल राहत कार्य

६४९. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अकाल सहायता मन्त्री)

(१) जिला बूंदी में अकाल सहायता के लिये जो राशि मंजूर की गई वह तहसीलवार कैसे वितरित की गई ?

(२) जिला बूंदी में कौन कौन सी जगह कार्य शुरू कराये गये ? तहसीलवार बतलावें।

(३) मजदूरी किस दर पर दी गई ?

(४) अलग अलग कामों पर कितने कितने मजदूर लगे ?

उत्तर

(१) जिला बूंदी में अकाल सहायता कार्य निम्न चार ऐजेन्सीज द्वारा करवाये गये हैं, तथा इनके द्वारा निम्न प्रकार से तहसीलवार राशि वितरण की गई है :-

ना० एजेन्सी	नाम त०	राशि जो वितरण की गई
१. राजस्व एजे०	नैनवा	८०,०००)
	हिन्डोली	१५,०००)
	के. पाटन	५,०००)
		१००,०००)
२. पी. डब्लू. डी.	हिण्डोली	१५,०००)
	नैनवा	२,२०,०००)
		२,३५,०००)
३. सिंचाई ,,	नैनवा	८०,०००)
	हिन्डोली	२०,०००)
		१,००,०००)
४. भू-संरक्षण	नैनवा	८१,१५०)
	के० पाटन	४९,६७८)
		१,३०,८२८

(२) अ-राजस्व एजेन्सी द्वारा तहसीलवार कार्य:—

तहसील नैनवा में

१. बम्बूली।

२. खण्डोला।

३. नाहर गंज

४. बरकोदा।

५. खजूरी।

६. पांडूला ।

७. विजलवा ।

८. सुरगली ।

९. वाछोला ।

१०. सीसोला ।

११. देई ।

१२. गुढ़ा देवजी ।

१३. डलपुरा ।

१४. रेठोदा ।

१५. करवर ।

तहसील हिण्डोली

१. विजयगढ़ ।

२. मेड़ी ।

३. सुखपुरा ।

४. दवा का खेड़ा ।

५. थाना ।

६. थारपड़ी ।

७. बसोला ।

८. ताकला ।

तहसील केशवराय पाटन

१. खाखेरी ।

ब—पी० डब्लू० डी० एजेन्सी द्वारा तहसीलवार कार्य:—

तहसील नैनवा

१. देई नैनवा मार्ग मील ३७ से ४२ तक

२. नैनवा से नगर मार्ग का निर्माण

३. नैनवा से जजावर मार्ग का निर्माण

४. समिधी से करवर मार्ग

५. नैनवा से समिधि मार्ग.

६. गम्भीरा से गलवा नदी मार्ग

तहसील हिण्डोली

१. सथूर से बसोली मार्ग

स—सिंचाई एजेन्सी द्वारा तहसीलवार कार्य

तहसील नैनवा

१. खानपुरा

२. बरसादा

३. पाई बालापुरा

४. ढाढोणा

५. दुगारी

तहसील हिण्डोली

१. गुढ़ा गोकुलपुरा

२. टोंकड़ा

द-भू-संरक्षण एजेन्सी द्वारा तहसील-वार कार्य:—

तहसील नैनवा

१. भैंसों का नया गांव

२. पानगांव

३. सवान्या

४. नैनवा

५. बाछोला

तहसील के० पाटन

१. खरायता

२. बाड़ला

३. खेड़ली

४. उतराना

(३) अकाल राहत संहिता नियमानुसार मजदूरी निम्न दर से दी गई:—

१.	Digger	१-१२ पै०
२.	Carrier	०-८७ पै०
३.	बच्चा	०-७५ पै०

इनके अलावा अन्य तकनिकी व्यक्तियों को अन्य अप्रूव्ड रेट से दी गई।

(४) भिन्न भिन्न एजेन्सीज के निम्न कार्यों पर इनके सामने अंकित मजदूरों ने कार्य किया:—

अ-राजस्व एजेन्सी द्वारा

कार्य	औसत दैनिक मजदूर सं०
त० नेनवा	
१. बम्बली तालाब	२६
२. सडीला	२४
३. नाहरगंज	१०४
४. जरखोदा	८४
५. खजूरी	६६
६. पांडूला	२१
७. बिजलवा	२६
८. सरगली	६
९. बाछोला	४२
१०. सीसोला	३५
११. देई	५
१२. ढेलपुरा	८
१३. गुढा देवजी	११
१४. रठोदा	१४
१५. करवर	४४
त० हिन्डोली	
१६. विजयगढ	२६
१७. मेडी (कंचनारिया)	२२

१८.	मुखपुरा	१२
१९.	देवा का खेड़ा	७
२०.	थाना	४
२१.	बसोली	३
२२.	ताकला	४
२३.	विजयगढ़	५
२४.	धारबड़ी	७

त० के० पाटन

२५.	लाखेरी कलां	२४

इनमें कुओं के गहरे कराने का कार्य भी सम्मिलित है।

ब-निर्माण विभाग द्वारा

१.	देई से नेनवा मार्ग मील ३७ से ४२	१०० मजदूर
२.	नेनवा से नगर मार्ग	४०० ,,
३.	नेनवा से जजावर	७५० ,,
४.	समिधि से नेनवा	७५० ,,
५.	समिति से करवर	२५० ,,
६.	गलवा से गम्भीरा	१८० ,,
७.	सधूर वसोली मार्ग	१६० ,,

स-सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गये मजदूरों की प्रतिदिन की सं०

१.	खानपुरा तालाब	३७ ,,
२.	बरखोदा	१४६ ,,
३.	पाई बालापुरा	६२ ,,
४.	ढाढांण	११ ,,
५.	दुगारी	८ ,,
६.	टोकड़ा का तालाब	१८ ,,
७.	गुढा गोकुलपुरा	६६ ,,

द. संरक्षण विभाग द्वारा लगाए गये दि० १५-३-६७ तक कुल सं० (मजदूरों व दिनों की सं० जितने दिन काम किया)

१.	मेसों का नया गांव	८२३८
२.	भानुगांव	१९९१७
३.	सवान्या	१९०९०
४.	नेनवा	२२९१२
५.	बाछोला	१३३००
६.	खेरली	८९७५
७.	खेरायता	२०३९५
८.	बारला	१०२४१
९.	उतराजा	३१११

जिला सवाई माधोपुर में अकाल राहत कार्य

६५० श्री श्रवण लाल (हिण्डोन): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री श्रवणलाल)

(१) जिला सवाई माधोपुर में अकाल सहायता के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

(२) अकाल सहायता कार्य को कब से चालू किया गया था और कितने व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया व उन्हें किस हिसाब से मजदूरी दी गई है ?

(३) उपरोक्त अकाल सहायता कार्यों पर अब तक जिला सवाई माधोपुर की किस किस तहसील में कितना २ खर्च किस किस मद में किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) क्या यह सच है कि अकाल सहायता कार्य अब सब बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो कहां कहां पर अब तक चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील नैनवां के अकाल ग्रस्त ग्राम

६५१. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जिला बूंदी की तहसील नैनवां के कितने ग्राम तहसीलदार द्वारा अकालग्रस्त घोषित किये जाने की सिफारिश की गई थी ?

(२) जिला बूंदी की तहसील हिन्डोली के कितने ग्राम तहसीलदार द्वारा अकाल ग्रस्त घोषित किये जाने की सिफारिश की गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि नैनवां का ग्राम रेठोदा अकाल राहत से बाहर कर दिया है और जो काम गत आम चुनाव के दौरान में तालाब पर मिट्टी डालने का चलाया गया था वह बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि तहसील हिन्डोली का ग्राम टहला क्या गुठा कमान्ड एरिया में है ?

(५) क्या यह भी सरकार द्वारा अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है ?

(६) अकाल सहायता में कार्य करने वालों की किस दर से मजदूरी चुकाई जाती है और चुकारा कितने दिनों में किया जाता है ?

(७) सरकार मजदूरी नकद न देकर अनाज में क्यों नहीं देती ?

उत्तर

(१) तहसील नैनवां में तहसीलदार द्वारा १४५ ग्रामों को खरीफ सं० २०२३ के लिये अकालग्रस्त घोषित किये जाने की सिफारिश की गई थी ।

(२) तहसील, हिण्डोली में तहसीलदार द्वारा खरीफ सं० २०२३ के लिये ८० ग्रामों को अकाल ग्रस्त घोषित किये जाने की सिफारिश की गई थी ।

(अकाल सहायता मन्त्री)

(३) ग्राम रेठोदा अब भी अकाल ग्रस्त है, और यहां पर अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत तालाब का कार्य चालू है।

(४) ग्राम टहला का केवल २० बीघा क्षेत्र कमाण्ड एरिया में है।

(५) जी हां।

(६) अकाल सहायता कार्यों पर खोदने वाले १) रु० १२ पैसे ढ़ोने वाले को ८७ पै०, व बच्चे को ७५ पै० प्रतिदिन की दर से मजदूरी चुकाई जाती है। एवं चुकारा पाक्षिक किया जाता है।

(७) राज्य सरकार की नीति के अनुसार अभावग्रस्त क्षेत्रों में मजदूरी का चुकारा नकद के रुप में किया जाता है। मजदूरों के लिये सस्ते अनाज की व्यवस्था अलग से की जाती है।

जिला टोंक में अकाल राहत कार्य

६५२. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला टोंक में वर्ष १९६६-६७ में रबी में कितने ग्राम अकाल ग्रस्त घोषित किए गए हैं ? कृपया उनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(२) जिला टोंक के लिए कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है ?

(३) जिला टोंक में इस वर्ष कौन–कौन से कार्य अकाल राहत के लिए स्वीकृत किए गए हैं व क्या उनका कार्य चालू कर दिया गया है ? कृपया तहसीलवार व विभागवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सत्य है कि उक्त अकाल राहत कार्यों पर जो सहायता नियमों के तहत सुविधा दी जानी चाहिए नहीं दी जाती है ?

(५) क्या यह सत्य है कि मजदूरी का भुगतान एक महीने से भी अधिक समय बाद किया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) अभी तक इस जिले का कोई गांव रबी सं० २०२३ के अन्तर्गत अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। अभाव ग्रस्त घोषित किए जाने के प्रस्ताव सहायता विभाग के विचाराधीन हैं।

(२) अभी तक इस जिले के लिए १५ लाख रु० भवन एवं पथ निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा चलाये जाने वाले सहायता कार्यों के लिए, ३ लाख रु० भू–संरक्षण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले कार्यों के लिए एवं १ लाख रु० वन विभाग द्वारा चलाये जाने वाले कार्यों के लिए स्वीकृत हुए हैं।

Page No. 93

(अकाल सहायता मन्त्री)

३) इस जिले के लिए जो अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनका विवरण संलग्न सूची 'क' में दिया गया है जो सदन की मेज पर रखी गई, चालू कार्यों का विवरण संलग्न सूची 'ख' में दिया गया है, जिसे भी सदन की मेज पर रखा गया।

(४) नियमानुसार पूर्ण सुविधा दी गई है।

(५) जी नहीं, पाक्षिक भुगतान किये जाने के आदेश हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील पाली में अकाल पीड़ित लोगों को सहायता

६५३. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पाली तहसील में अकाल पीड़ित गांव कौन २ से हैं और उनमें क्या-क्या कार्य अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए किये गये हैं? उन गांवों व कामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

पाली जिले में खरीफ सं० २०२३ में अभाव ग्रस्त घोषित गांवों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

पाली जिले में अभाव ग्रस्त क्षेत्र में निम्न लिखित २ भूसंरक्षण कार्य कृषि विभाग अभिकरण से चलाया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र० सं०	नाम प्रोजेक्ट	प्रोजेक्ट का क्षेत्र	कार्य जो किया गया	व्यय राशि
१	खुटानी	१९६९ एकड़	५२४.४० एकड़	२१११९)५१
२	पीपलिया की ढाणी भीतड़ा गांव के पास	६०३ ,,	४८३ ,,	२१३५९)४०

इस क्षेत्र में अन्य विभागीय एजेन्सियों के माध्यम से कोई कार्य नहीं चल रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

जिला नागौर में अकाल राहत कार्य

६५४. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जिलाधीश नागौर ने सम्वत् २०२३ की सावणु फसल में वर्षा के अभाव में हुये नुकसान को देखने के लिये फेमिन एरिया, जो घोषित हो चुका है, उसमें से मौके पर जाकर कौन–कौन से गांव की फसलें देखी और मौके पर क्या-क्या आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) ऊपर वर्णित वर्ष की फसल को नुकसान होने के कारण फेमिन एरिया में जो सहायता कार्य चालू किये थे उनका कब-कब कौन-कौन से कार्यों का निरीक्षण जिलाधीश ने किया और मौके पर क्या क्या खामियां पाई जिनको किस प्रकार कब-२ ठीक करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) गांवों को अभाव ग्रस्त घोषित किए जाने के पश्चात् उन गांवों में फसल के निरीक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने से पहले माह सितम्बर व अक्तूबर में जिलाधीश नागौर द्वारा जिन-जिन गांवों की फसल का निरीक्षण किया गया एवं उस समय पाई गई फसल की स्थिति का पूर्ण विवरण तहसील वाइज साथ में संलग्न है। जो सदन की मेज पर रखा गया।

(२) जिलाधीश नागौर द्वारा किए गये सहायता कार्यों के निरीक्षण का पूर्ण विवरण साथ संलग्न है जो सदन की मेज पर रखा गया।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

मेड़ता क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

६५५. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मेड़ता क्षेत्र के अकालग्रस्त सभी ग्रामों में राहत देने के लिये सरकार ने राहत कार्य खोल रखे हैं ?

(२) क्या मेड़ता शहर भी सरकार ने अकालग्रस्त में माना है ? यदि हां, तो वहां क्या कार्य चल रहे हैं ?

(३) मेड़ता शहर में एक विशाल पशु मेला भी लगता है जिसमें स्थानीय तालाबों का उपयोग होता है ? क्या सरकार अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इन तालावों की खुदाई करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) मेड़ता तहसील के सभी अकाल ग्रस्त गांवों में राहत कार्य नहीं खोल रखे हैं।

(२) जी हां। वहां पर मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड़ सड़क निर्माण का कार्य राहत कार्यों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

Page No. 95

(अकाल सहायता मन्त्री)

(३) अब वर्षा हो चुकी है, तालाब खुदाने की अब आवश्यकता नहीं है।

बनास नदी में बाढ़ से खरबूजे की फसल को नुकसान

६५६. श्री श्रवण लाल (हिन्डोन): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि बे मौसम बरसात के कारण बनास नदी में बाढ़ आ जाने से लोगों की खरबूजे की फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो कितनी हानि का अनुमान है?

(२) इन बाढ़से प्रभावित लोगों को सरकार की तरफ से क्या २ राहत दी गई है?

उत्तर

(१) यह सही है कि असामयिक वर्षा से बनास में बाढ़ आ जाने के कारण नदी के पेटे में बोई खरबूजे की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई जिससे इस जिले में अनुमानत: ७५ लाख रुपये की हानि हुई है।

(२) बाढ़पीड़ितों को सहायतार्थ रूपये १५०००) अनुदान के रुप में व ६६,०००) ऋण के रुप में वितरण किए गए।

पाली तहसील की काबिल काश्त भूमि

६५७. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) पाली तहसील में कुल कितनी काश्त की जमीन काश्तकारों के कब्जे में है?

(२) कितनी–कितनी भूमि काबिल काश्त किस किस गांव में आज भी सरकार के पास उपलब्ध है और वह किन – किन खसरों में है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) पाली तहसील में कुल काबिल काश्त भूमि ५६१४५० एकड़ है जिसमें से ५६६०५७ एकड़ भूमि काश्तकारों के कब्जे में है।

(२) कितनी–कितनी भूमि काबिल काश्त किस - किस गांव में सरकार के पास उपलब्ध है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिवाय चक व चारागाह भूमि बिचून

६५८. श्री सुवालाल चोधरी (दूदू) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) ग्राम पंचायत बिचून, तहसील दूदू में कितनी जमीन सिवाय चक है और कितनी चारागाह भूमि है?

(श्री सुवालाल चौधरी)

(२) अगर सिवाय चक भूमि है तो क्या भूमिहीनों को अलॉट की जा सकती है ?

उत्तर

(१) ग्राम पंचायत विचून में सिवाय चक भूमि १२२६ बीघा १५ बिस्वा है तथा चारागाह भूमि ३०४६)४ है ।

(२) इस सिवाय चक भूमि में से १०२४।।।) चारागाह के लिये तथा ४४।।३ बिस्वा आबादी के लिए प्रस्तावित होकर इसके पत्रादि वास्ते स्वीकृति चल रहे हैं । शेष रकवा १६०)४ पड़त सिवाय चक है । जो बहुत छोटे छोटे व पृथक पृथक स्थान पर है । जिनको आवेदन प्राप्त होने पर अलॉट किया जावेगा ।

कोलायत निर्वाचन क्षेत्र में लगान की माफी

६५६. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या विधान सभा के कोलायत निर्वाचन क्षेत्र के निवासी किसान परिवारों को पिछले पांच वर्षों में लगान वसूली से माफी दी गई है ? यदि हां, तो किस-२ वर्ष में ?

(२) इस छूट से सरकार को कितनी हानि पहुंची ?

(३) उक्त लगान छूट से कितने किसान परिवारों को लाभ पहुंचा ?

उत्तर

(१) जी हां, तहसील कोलायत में सं० २०१८ से २०२२ तक, तथा तहसील बीकानेर में सं० २०१६, २०२० व २०२२ में लगान की माफी की गई है ।

(२) सरकार ने कुल ६०४,१४,५५६.४२ को छूट दी है ।

(३) इस छूट से १२,५५२ किसानों को लाभ हुआ ।

तहसील निवाई में लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के अधीन मुकदमें

६६०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लेन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत निवाई तहसील में कितने मुकदमें चल रहे हैं ?

(२) उक्त मुकदमों का फैसला एडवाइजरी कमेटी की राय से किया जाता है या तहसीलदार के द्वारा ?

(३) यदि एडवाइजरी कमेटी की राय के अनुसार किया जाता है तो उसकी इस प्रयोजन के लिये बैठकें कब कब हुई ?

उत्तर

उत्तर

(१) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ६१ के तहत निवाई तहसील में ३२४३ मामले विचाराधीन हैं।

(२) जिन मामलों में रेगुलराईजेशन (Regularisation) करना होता है उनके फैसले एडवाइजरी कमेटी की राय से किये जाते हैं। बाकी मामले तहसीलदार फैसल करता है।

(३) एडवाइजरी कमेटी की बैठकें निम्न तिथियों को बुलाई गई थीं :—

दिनांक १-८-६६, २-८-६६
१०-८-६६, ११-८-६६
१२-८-६६, १३-८-६६
२३-८-६६, २४-८-६६
२५-८-६६, २८-८-६६.
२९-८-६६

तहसील निवाई क्षेत्र में एलॉट की गई भूमि का पट्टा व कब्जा

६६१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील निवाई क्षेत्र में ऐसे कितने किसान हैं जिनको जमीन एलॉट हो गई लेकिन अभी तक पट्टा व कब्जा नहीं दिया तथा कब से व क्यों ?

उत्तर

(१) तहसील निवाई में सन् १९६२ से अब तक ७५५ व्यक्ति ऐसे है जिन्होंने जमीन पर कब्जा तो प्राप्त कर लिया लेकिन पट्टे की फीस मुताबिक कानून जमा नहीं कराई इस कारण पट्टा जारी नहीं किया गया।

भूमिहीन काश्तकार

६६२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में कितने भूमिहीन काश्तकार हैं ?

(२) राज्य में आवंटन के लिए कितनी भूमि उपलब्ध है ?

(३) अभी तक भी इस भूमि का आवंटन नहीं किया जाने का क्या कारण है ?

(४) सन् १९५१ से सन् १९६६ तक कितनी भूमि कितने परिवारों को आवंटन की गई ?

उत्तर

(१) राज्य में १,७०,७१५ भूमि-हीन काश्तकार हैं।

(२) राज्य में आवंटन के लिये ३९,१४,७९४.६४ एकड़ भूमि उपलब्ध है।

(राजस्व मन्त्री)

(३) इस भूमि का आवंटन का कार्य जारी है और इस आशय का परिपत्र भी सभी जिलाधीशों को भेज दिया गया है कि समस्त काश्त काबिल भूमि दिनांक १७ जून, सन् १९६७ तक आवंटन करदी जावें।

(४) सन् १९५१ से १९६६ तक ४९९१३३ परिवारों को ३५,७३,४९६.४३ एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

लेवी की वसूली, ग्राम कैरवाड़ा

६६३. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री श्योनारायण पुत्र श्री रामल्या मीणा, ग्राम कैरवाड़ा, जिला अलवर ने अपनी जमीन खसरा नं० १५३ (३ बीघा ६ बिस्वा) बहुत पहले ही बेच दी थी और उसकी लेवी सरकार मांग रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इसी व्यक्ति ने अपनी जमीन खसरा नं० १४९ और २१९ में इस वर्ष चने की फसल उगाई थी और उससे सरकार गेहूं की लेवी मांग रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। आराजी खसरा नम्बर १५३ (३ बीघा ६ बिस्वा) ग्राम कैरवाड़ा नारायन व श्योल्या पि० रामला मीणा के खाते में है और इन्हीं के नाम लेवी कायम हुई है। श्योनारायण पुत्र रामल्या मीना के नाम न कोई खाता है न ग्राम में इस नाम का आबाद है।

(२) खसरा नम्बर १४९-२१९ इन्हीं दोनों उपरोक्त व्यक्तियों (नारायन व श्योल्या) का खाता है और यह सही नहीं है कि इनमें चना इस वर्ष काश्त हुआ। इनमें गेहूं हुये हैं और लेवी दोनों के नाम है।

कृषि योग्य भूमि

६६४. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कुल कृषि योग्य भूमि जिलेवार कितनी है ?

(२) कृषि योग्य भूमि में से कितनी भूमि पर जिलेवार कृषि होती है ?

(३) कृषि योग्य भूमि जिस पर कृषि होती है उसमे से जिलेवार सिंचित भूमि कितनी है ?

(४) असिंचित भूमि जिलेवार कितनी है ?

(५) कृषि योग्य भूमि में से जिलेवार कितनी भूमि ऐसी है जिसमें खेती नहीं होती ?

(६) प्रश्न के भाग ५ की भूमि को आज तक एलॉट क्यों नहीं किया गया अब सरकार कब तक एलॉट करावेगी ?

उत्तर

(१) राजस्थान में कृषि जिलेवार भूमि संलग्न स्टेटमेन्ट के कालम (क) में दी गई है। (जिसमें वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल, जोत रहित एवं जोत शून्य भूमि सम्मिलित है)।

(२) राजस्थान में जिस क्षेत्र मे कृषि होती है उसकी जिलेवार सूचना संलग्न स्टेटमेन्ट के कालम (ख) में दी गई है। (जो वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल है)।

(३) जिलेवार सिंचित भूमि के क्षेत्रफल की सूचना संलग्न स्टेटमेन्ट के कालम (घ) में दी गई है।

(४) असिंचित भूमि की सूचना जिलेवार संलग्न स्टेटमेन्ट के कालम (द) पर दी गई है।

(५) कृषि योग्य भूमि में से जिस भूमि में खेती नहीं की गई है उसकी जिलेवार सूचना कालम (ग) पर दी गई है।

(६) प्रश्न ५ के उत्तर में वर्णित जिस भूमि में खेती नहीं की गई है, उसमें आवंटित भूमि भी शामिल है। शेष भूमि जो आवंटित नहीं की गई थी जिसके लिये सरकार द्वारा दिनांक ३०-६-६७ तक आवंटन करने के आदेश प्रचलित कर दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

तहसील फुलेरा में कुओं की मरम्मत हेतु अनुदान

६६५. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील फुलेरा को पीने के पानी के कुओं की मरम्मत कराये जाने हेतु सन् ६६-६७ में अनुदान दिया गया है?

(२) अगर हां, तो कितना और उसका उपयोग कौन-कौन से ग्राम में किस-किस कुए पर कितना-कितना धन खर्च करके किया गया?

उत्तर

(१) जी हां, यह सत्य है कि पीने के कुओं को गहरा कराने हेतु ६६-६७ में अनुदान दिया गया है।

(२) पीने के पानी के कुओं को गहरा कराने के लिए ४०००) रुपया दिया गया इसका उपयोग जिन ग्रामों व कुओं पर किया गया उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र०	नाम ग्राम	स्वीकृत रकम	कुए का नाम
(१)	मिलकपुर	१००)	पनघट का कुआ

(राजस्व मन्त्री)

(२)	मन्डा	५००)	पनघट का कुआ
(३)	माखा व मैसखाना	६००)	,,
(४)	थोरसीना	२००)	,,
(५)	हुवसपुरा-रिणगी	४००)	,,
(६)	कालख	१००)	,,
(७)	सनोदिया	२००)	,,
(८)	तैज्या का वास	१००)	,,
(९)	जगमालपुरा	१००)	,,
(१०)	जयसिहपुरा	१००)	,,
(११)	सिहपुरा	१००)	,,
(१२)	जैतपुरा	१००)	,,
(१३)	माजीपुरा माण्यावास	१००)	,,
(१४)	स्योलावास	१५०)	,,
(१५)	ग्राकोदा	१५०)	,,
(१६)	त्योन्द	१००)	,,
(१७)	त्योन्दा	२००)	,,
(१८)	सापुलपुरा	१००)	,,
(१९)	प्रतापपुरा	२००)	,,
(२०)	डूंगरी कलां	१००)	,,
(२१)	बागावास	३००)	,,
		योग, ४०००)	

भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान चले गये व्यक्तियों पर बकाया तथा उसकी वसूली

६६६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६५ में भारत–पाक संघर्ष के दौरान प्रवेश की सीमा से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये उनमें किस-किस में सरकार के किस-किस विभाग की कितनी कितनी धनराशि की वसूली बाकी है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(२) इस धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सेल्स टेक्स कार्यालय बारां में फार्म्स की व्यवस्था

६६७. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि उपायुक्त, कर विभाग, कोटा ने गत दिनांक २७ फरवरी एवं ७ मार्च को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में यह लिखा है कि बारां सेलटैक्स कार्यालय में व्यापारियों को देने के लिये 'सी' व 'डी' फार्म होने चाहिये ?

(२) क्या यह सही है कि उपायुक्त के आदेश हो जाने के बाद अभी तक बारां सेल्स टैक्स कार्यालय में 'सी' व 'डी' फार्म नहीं भेजे गए हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

वृद्ध व्यक्तियों के पेंशन के मामले

६६८. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर जिला में ओल्ड एज पेंशन के लिये कुल कितनी दरख्वास्तें प्रस्तुत हुई और उनमें से कितनी दरख्वास्तों पर स्वीकृति हो चुकी है ?

(२) जयपुर जिले की इन कुल दरख्वास्तों में से शहर की कितनी हैं और अन्य कितनी ?

(३) कितनी दरख्वास्तें ऐसी पेंडिंग हैं कि जो अब से ६ माह पूर्व प्रस्तुत की गई थी और इनके पेंडिंग रहने का क्या कारण है ?

(४) क्या ओल्ड एज पेंशन के कोई नियम हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या इन नियमों के अन्तर्गत वृद्ध व्यक्तियों को अपनी आयु का प्रमाण पत्र

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

मेडिकल जुरिस्ट से प्राप्त करना आवश्यक है ? हां, तो क्या राज्य सरकार अशिक्षित, असहाय, एवं अपंग वृद्धों के लिए इस प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की संख्या ११९३ है जिनमें से ५४२ स्वीकार किये जा चुके हैं।

(२) जयपुर शहर से ९८३ प्रार्थना पत्र तथा अन्य स्थानों से २१० प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

(३) १८७ प्रार्थना पत्र ६ माह से पूर्व के पेंन्डिग है क्योंकि उनकी नियमानुसार पूर्ति नहीं हुई है।

(४) जी हां। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफीसर्स के विरुद्ध शिकायतें

६९९. श्री रिद्धीचन्द पालीवाल (गंगापुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस समय कितने वाणिज्य एवं कर विभाग के कॉमर्शियल टैक्सेशन ऑफिसर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के व्यक्ति नहीं हैं ? ऐसे कौन-कौन हैं और उनकी सर्विस कितने वर्षों की हो चुकी है ?

(२) क्या ये लोग परमानेन्ट सी० टी० ओ० हैं ? इनमें से किन किन के विरुद्ध शिकायतें सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं ?

उत्तर

(१) इस समय १० (दस) कॉमर्शियल टैक्सेज ऑफिसर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में व्यक्ति नहीं हैं। जिनके नाम निम्नलिखित हैं व जितने वर्ष की सर्विस है वह उनके नाम के सामने अंकित हैं:—

१. श्री गोपीचन्द टाक	२३ वर्ष की
२. श्री शोभाराम चौधरी	११ वर्ष की
३. श्री जगजीवनलाल	११ वर्ष की
४. श्री के० पी० गोस्वामी	२० वर्ष की
५. श्री के० एल० रैगर	१०½ वर्ष की

६. श्री एस० एम० शर्मा	१५ वर्ष की
७. श्री एस० पी० गुप्ता	२२ वर्ष की
८. श्री अर्जुन कोटवानी	१७ वर्ष की
९. श्री दौलतचन्द जैन	१२½ वर्ष की
१०. श्री एन० डी० भंगी	२२½ वर्ष की

(२) यह परमानेंट सी० टी० ओ० नहीं हैं इनमें से निम्नलिखित के विरुद्ध शिकायतें सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं जो विचारा-धीन हैं।

१. श्री शोभाराम चौधरी

२. श्री के० एल० रैंगर

३. श्री एन० डी० भंगी

(२.४५ मं० प०)

वित्तीय समितियों से नाम वापिस लेने संबंधी

श्री अध्यक्ष : पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी से जो सदस्य अपने नामीनेशन फार्म्स विथड्रा करना चाहें कृपया वह अपने नाम दें दे इस संदर्भ में।

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय........

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसका समय एक्सटेंड कर दें तो अच्छा रहे क्योंकि दो तीन सदस्य आये नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से अपना नाम विथड्रा करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति से अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना नाम जनलेखा समिति से वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : नाम भी कृपया साथ ही बतलाते जाइये।

श्री हरलाल सिंह : मैं हरलाल सिंह अपना नाम प्राक्कलन समिति से विथड्रा करता हूं।

श्री देवीदत्त : मैं देवीदत्त गाडिया अपना नाम एस्टीमेट्स कमेटी से वापिस लेता हूं।

श्री नन्दलाल : मैं नन्दलाल अपना नाम प्रक्कलन समिति से वापिस लेता हूं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मुझे नत्थीसिंह जी लिखित में अधिकार दे गये हैं........

श्री अध्यक्ष : मैं आज्ञा देता हूं।

श्री रामकिशन : पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी हिन्दी में क्या है....

एक माननीय सदस्य : जनलेखा समिति !

श्री रामकिशन : जनलेखा समिति से नत्थीसिंह जी अपना वापिस लेने का अधिकार मुझे दे गये हैं, भरतपुर वाले !

श्री अध्यक्ष : इसके अतिरिक्त और कोई माननीय सदस्य !

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज वाला कल हो जाय।

श्री अध्यक्ष : इसके अतिरिक्त मेरे पास जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति में से नाम वापिस लेने के दो तीन सदस्यों के आये हैं। प्राक्कलन समिति से शीशराम ने अपना नाम वापिस ले लिया है, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से भी श्री शीशराम ने अपना नाम वापिस ले लिया है। श्री हंसराज आर्य ने अपना नाम जनलेखा समिति से वापिस ले लिया है और श्री रावत राम ने भी जन लेखा समिति से अपना नाम वापिस ले लिया है।

श्री रामकिशन : नत्थीसिंह जी का, भरतपुर वाले का !

श्री अध्यक्ष : नत्थीसिंह का स्वीकार करता हूं, उन्होंने अपना नाम वापिस ले लिया है।

श्री रामकिशन : मैं उनका नाम वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी ! सादुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड !

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसको पेश करने से पहले मेरा निवेदन यह है कि विथड्राअल का टाइम और बढ़ा दिया जाय।

श्री रामकिशन : कोई रह गये हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : कई नहीं आये हैं, दो तीन नहीं आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : इसका चुनाव बीस को रख लिया जाय और कल ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनाव होने की नौबत नहीं आयेगी।

श्री हरिदेव जोशी : कानून के अनुसार रखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : विथड्राअल का समय कल तक रख दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : कल हाउस एडजोर्न हो जाय तब तक।

श्री अध्यक्ष : हाउस के एडजोर्न होने तक।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : नाम विथड्रा करने का समय कल तक रख रहे हैं........

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार मन्थर गति से बोल रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : चुनाव की तिथि यदि बाइस तारीख तक बढ़ा दी जाय तो मैं समझता हूं बहुत उत्तम होगा ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्यों की राय लेकर जो भी तिथि नियत करेंगे—मुझे उसमें एतराज नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बहुत से माननीय सदस्य....

श्री हरिदेव जोशी : चुनाव के लिए जो कुछ भी कर देंगे, हमें मंजूर है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय आज बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी उस समय विथड्राअल और इलेक्शन के लिए तिथि तय कर दें ।

श्री अध्यक्ष : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कल होगी ।

श्री हरिदेव जोशी : कल होगी ।

सादुल टैक्सटाइल्स लि० के वार्षिक प्रतिवेदन का उपस्थापन

मैं सादुल टैक्सटाइल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर की ३१ दिसम्बर, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा । श्री जुझार सिंह !

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडजोर्नमेंट पर स्टेटमेंट ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, चम्बल क्षेत्र में भूमि के बेचान के प्रश्न को देखते हुए ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज के एडजोर्नमेंट मोशन के स्टेटमेंट थे वह पहले डिस्पोज आफ हो जायं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कुछ स्थगन प्रस्ताव कल के पेश किये हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद में ले लेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेजिस्लेटिव बिजिनेस शुरू हो जायगा तो यह नहीं ले सकेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज के तीन एडजोर्नमेंट मोशन के स्टेटमेंट हैं, आपकी आज्ञा हो तो २० तारीख को ले लिये जायं ।

श्री अध्यक्ष : कौनसे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेडिकल कालेज, और मेडिकल कालेज जोधपुर के एडमीशन आदि के बारे में है !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब देना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २० को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बीस को कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड, बीस तक।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेडिकल कालेजों में एडमिशन के बारे में मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया है और एक श्री रामानन्दजी ने भी दिया है क्या दोनों का स्टेटमेंट २० तारीख को देंगे ?

श्री अध्यक्ष : बीस तारीख को हो जायगा।

(२.५० म० प०)

चम्बल क्षेत्र में भूमि के कटाव के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए कटाव के सम्बन्ध में दिनांक ८.७.६७ को एक प्रश्न उपस्थित किया था जिसमें यह पूछा गया था कि चम्बल क्षेत्र में जमीन की उपयोगिता और उसके प्रॉपर यूज़ को बताते हुए चम्बल क्षेत्र के किसानों के नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी और क्या वह पुस्तक उस क्षेत्र में पंचायतों में और सब जगह बांटी गई थी। दूसरा प्रश्न मैंने यह पूछा था कि क्या

(२.५० म० प०)

(श्री पूनमचन्द निश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन,)

इस क्षेत्र में जहां चरागाह थी वह भूमि एलॉट कर दिये जाने के कारण जमीन का कटाव बढ़ गया है ? उस पुस्तक में अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि इस प्रकार की भूमि को किसी भी सूरत में एलॉट नहीं किया जाय क्योंकि ऐसा करने से इससे लगी हुई उपजाऊ जमीन में भी कटाव बढ़ जायगा।

दूसरे प्रश्न में मैंने यह जानना चाहा था कि क्या इस किताब में दिये गये आदेश के बावजूद चम्बल क्षेत्र में कोलोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा यह एरिया लोगों को बेचान किया गया है उन दोनों प्रश्नों के जवाब में माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा उसको सुनकर मुझे बड़ा अफसोस है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी उन्होंने गैर जिम्मेदारी का जबाब दिया है। वहां पर भूमि का कटाव बढ़ रहा है इसको बेचान करने में बड़े बड़े अधिकारी इनवोल्व्ड हैं जिन्होंने बिना छानबीन करके यह आदेश निकाले हैं। विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि इस तरह की कोई किताब नहीं छपी और न कोई आदेश ही दिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह पुस्तक कई वर्ष पहले उस क्षेत्र में वितरित की गई। उसे निर्देशन देकर वितरित की गई। चम्बल क्षेत्र में भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो यह उसमें बताया गया है यह

(श्री जुझारसिंह)

पुस्तक कृषि सूचना प्रसार विभाग द्वारा छापी गई है और बांटी गई है । उसकी भूमिका उस वक्त के कृषि मंत्री श्री नाथूरामजी मिर्धा ने लिखी है उसमें यह लिखा है 'नदी के आस-पास के क्षेत्र में काफी उबड़ खाबड़ भूमि है छोटे अनगिनत नाले इस क्षेत्र में भूमि कटाव की समस्या को दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । बात स्पष्ट है कि यह समस्या दस बीस और पचास वर्ष की समस्या नहीं है यह इस क्षेत्र में permanent problem है । कोटा स्टेट के समय के अन्दर उस समय के प्रशासन ने यह अनुभव किया था और इसके लिये एक खास महकमा स्थापित किया था जिस महकमें को महकमा बन्धात कहा जाता था । उसका काम यह था कि इस तरह की भूमि कटाव की समस्या रोकने के लिये हर सम्भावित कदम उठाये जांय ।

(३ म० प०)

इस महकमा बंधात के द्वारा कोटा स्टेट के टाइम में हजारों नहीं तो सैकड़ों बांध बंधाये गये थे और उन पर हजारों लाखों की तादाद में रकम खर्च हुई थी । राजस्थान के फोरमेशन के बाद महकमा बन्धात करीब करीब वाइन्ड अप कर दिया गया है । यही नहीं उनके कागजात भी उपलब्ध नहीं हैं । इस बारे में मेरे द्वारा १४, १५ वर्षों में कई प्रश्न उठाये गये हैं । मैं पहली विधान सभा में मेम्बर था उस वक्त मैंने सबसे पहले यह प्रश्न उठाया था कि कोटा स्टेट द्वारा बांध बंधाये गये, वे टूटते जा रहे हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, भूमि कटाव बढ़ता जा रहा है, उसके बाद समय समय पर जब भी मुझे मौका मिला मैंने विधान सभा में पांच सात बार प्रश्न उठाये हैं पर मुझे अफसोस है कि राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया है । मुझे यह जान कर अफसोस हुआ कि इस समस्या के बारे में और उस किताब के बारे में जो सर्वे होने के बाद में पब्लिश की गई है, जिसमें किसानों के निर्देशन की बातें हैं, और राजस्व विभाग को राय दी गई है, उसका पालन तो दूर रहा, उसकी जानकारी तक राजस्व विभाग नहीं रखता है, तो इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राजस्थान में विभागों का आपस में कोआॅर्डिनेशन इस प्रकार का है कि एक विभाग दूसरे विभाग की राय का पालन करना तो दूर, जानकारी भी नहीं रखता है । तो उस सरकार से कैसे आशा की जा सकती है कि वह राजस्थान की तरक्की करेगी ।

अध्यक्ष महोदय, भूमि कटाव के बारे में मैं कुछ तथ्य रखना चाहूंगा । यह केवल चम्बल क्षेत्र की ही नहीं सारे कोटा क्षेत्र की बड़ी समस्या है । पैदावार को बढ़ाने के लिये ऊपर की ७-८ इन्च की टोप सोइल की हिफाजत बहुत जरूरी होती है । जितनी पैदावार होती है उस ही भूमि के प्रिजर्वेशन से होती है । यदि ऊपर की सात, आठ इंच की टोप सोइल बह जाती है, उसका कन्ट्रोल नहीं किया जाता तो फिर चाहे जितने प्रयास करें, चाहे जितनी साइंटिफिक व्यवस्था करें, चाहे जितने केमिकल फर्टीलाइजर यूज

(श्री जुझारसिंह)

करें, मोडर्न मैथड्स को एप्लाई करें, अगर उस जमीन के वहाव को नहीं रोक सकते तो आपके सारे प्रयास निष्फल होंगे। मैंने इस सम्बन्ध में एक्स्पर्ट्स ओपिनियन और किताबों से जानकारी प्राप्त की है, उसके आंकड़े रखना चाहता हूँ।

जिस जमीन पर घास, लकड़ी या किसी तरह की चीज नहीं हो, मार्जिन लैंड पर ढलाव हो, किसी तरह का वेजिटेशन नहीं हो, किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं हो तो किस तरह से भूमि कटाव होता है, वह आंकड़े मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

अमेरिकन एक्स्पर्ट ने ३० साल तक सोइल इरोजन के बारे में अध्ययन किया व उनके ऐसे अनुभवों के आधार पर उन्होंने बताया कि अगर किसी जमीन पर घास है तो उस जमीन में एक एकड़ में १.१ परसेंट टन जमीन कटती है। लेकिन अगर घास या प्रोडेक्टिव वेजिटेशन नहीं है तो वहां फसल रोटेशन पर २७.८ परसेंट टन जमीन कटती है। जो पहली स्टेज से करीब दो सौ तीन सौ गुना ज्यादा का कटाव है। रोटेशन या दूसरा प्रॉटेक्शन नहीं है व मक्का वोई गई है तो वहां १११-९ टन मिट्टी का बहाव होता है और जो भूमि बिल्कुल बैरन है, जिस पर घास नहीं, किसी प्रकार का वेजिटेशन या ग्रोथ नहीं प्लाउ कर के छोड़ी हुई है वहां १९१.० परसेंट टन भूमि का कटाव हो जाता है। तो इसके मुकाबले में आप अपने यहां अन्दाज लगावें कि जिस जमीन में ग्रेडियेन्ट बहुत है, जिसका रकबा २ लाख १८ हजार एकड़ आपके आंकड़ों के अनुसार है, जो रकबा सैंकड़ों मील तक, बून्दी तक फैला हुआ है, इतना रकबा इफेक्टेड है, उसमें इस तरह की वेजिटेटिव ग्रोथ को नष्ट कर दिया गया है आपके लाभ की वजह से, कुछ रुपया मिले इस गरज से हटा दिया गया है तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि उस भूमि में भूमि का कटाव किस तरह बढ़ता जायगा। आपकी इस रोंग पोलिसी की वजह से वह भूमि कटाव बहुत बढ़ गया है, उसको रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई। उसका नुकसान हमारे वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि चम्बल कमाण्डेड एरिया में आपके सारे साइंटिफिक एफर्ट्स के बाद भी, फर्टीलाइजर यूज करने, मोडर्न मैथड्स को काम में लेने और वेटर क्वालिटी का बीज बांटने के बाद भी, चूंकि सोइल कन्जर्वेशन का काम नहीं किया गया इसलिये वहां प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया है। इस सन्दर्भ में कुछ क्वोटेशन्स देना चाहूंगा।

अमेरिका में सोइल कन्जर्वेशन बहुत कम हुआ है, उनका विज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है, इस दिशा में वे लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। उन लोगों का अनुभव था कि मोडर्न मैथड्स को एप्लाई करने के बाद, सारे साइंटिफिक मैथड्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी १८७१ से १८८० तक चूंकि उन्होंने सोइल कन्जर्वेशन के बारे में कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिये उनका अनुभव है कि १८७१ से ८० तक २६.४ बुशल्स मक्का की पैदावार थी। १९२१ से ३० तक ५० वर्ष बाद भी हालांकि सारे साइंटिफिक

(श्री जुझारसिंह)

मैथड्स काम में लिये पर सोइल कन्जर्वेशन नहीं किया इसलिये बेटर साइंटिफिक बीज और नोलेज के सारे प्रयासों के बावजूद, ५० वर्षों की कोशिश के बावजूद मक्का का प्रोडक्शन २६.४ से घट कर २५.१ हो गया। जिस कन्ट्री का विज्ञान इतना बढ़ा हुआ हो वह कन्ट्री ग्राल साइंटिफिक मैथड्स को एप्लाई करने के बाद भी सोइल कन्जर्वेशन नहीं करने के कारण इतना नुकसान उठाता है। इन आंकड़ों को मद्दे नजर रखते हुए आप अन्दाज लगायें कि आज हमारा कितना नुकसान हो रहा है।

१९४० और १९५० के बीच में अमेरिका में सोइल कन्जर्वेशन के मेथड्स को अपनाने के बाद, वहां सोइल कन्जर्वेशन प्रोग्राम १९३३ में स्टार्ट किया, ४०, ५० के बाद सोइल कन्जर्वेशन करने के कारण ३३.५ परसेंट मक्का का प्रोडक्शन वहां बढ़ा है। व कॉटन में ६७.८% इन्क्रीज हुआ है। यह फिगर्स बताते हैं कि यदि आपने सोइल कन्जर्वेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, भूमि के कटाव को नही रोका, पानी के बहाव को अन्कन्ट्रोल्ड बहने दिया तो आप चाहे जितनी कोशिश करें, चाहे जितने मोडर्न मेथड्स को इम्प्लीमेन्ट करें, चाहे जितने साइन्टिफिक मैथड्स को काम में लावें हमारा प्रोडक्शन गिरता ही जायगा, उसके लिए और कोई दोषी नहीं, आप ही दोषी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस तरह चम्बल क्षेत्र को नेग्लेक्ट किया है जिससे स्टेट गवर्नमेंट और वहां के काश्तकारों को नुकसान हुआ है, उसके लिए आप दोषी हैं। जो गलती आपने की है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। यह समस्या चम्बल एरिया में ही नहीं दूसरे क्षेत्रों में भी है, जैसा कि मैंने समय समय पर मन्त्री महोदय, आपको बताया। आप भी उसी क्षेत्र से आने वाले हैं, आप भी जानते हैं। खास तौर से मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में हर तीन माइल पर कोई न कोई नदी या नाले हैं। कहीं उजाड़ नहीं है, कहीं काली सिंध है, कहीं परवन नदी है तो कहीं चम्बल नदी है। छोटी मोटी नदियां, नाले हर तीन माइल पर बहते हैं, उनके मार्जिनल एरिया पर जिस तरह से अनकन्ट्रोल्ड सोइल इरोजन हो रहा है, और वह आपके आदेश की वजह से हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट नीति नहीं कर के जनरल आदेश निकाला है कि भूमिहीनों को भूमि दो, आपके रेवेन्यू रेकार्ड में एन्ट्री गलत है, दूसरे एरिया हैं जिनमें उनको कल्चरेबल वेस्ट लैंड रेकर्ड कर रखा है, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने या मन्त्री ने जानकारी करने की, सर्वे करने की कोशिश नहीं की कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड कल्चरेबल है या नहीं, इसको अलोट कर देने से कटाव तो नहीं बढ़ जायगा, इस तरह की जानकारी करने की कोशिश नहीं की हैं। इस तरह का रिकार्ड है। सांगोद तहसील के बारे में मैं कह सकता हूं कि हजारों बीघा जमीन ऐसी है जिसको अलोट नहीं करना चाहिये था, उसे अलोट कर दिया इससे वहां की पर एकड़ यील्ड कम हो गई। बगड़ा नाले की वजह से कुछ जोतों पर एकड़ यील्ड कम हुई है, ऐसा आपने माना है, उसमें अनकन्ट्रोल्ड बहाव है, उसकी वजह से कहीं कमी हुई है।

(श्री जुझारसिंह)

इस सारे एरिया पर मल्टीप्लाई करते हैं तो रकबा बहुत हो जाता है। नदियों और नालों के इस सारे आधार पर विचार करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हजारों बीघा जमीन आपकी गलती की वजह से खराब हो गई है और होती जा रही है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की गलती को सुधार कर इसमें भूमि का अलोट-मेन्ट है, वह गलत है इस गलत अलोटमेंट को बन्द करें।

आज भी मेरा प्रश्न था कि सांगोद तहसील में किस तरह उजाड़ नदी पर भूमि का कटाव हो रहा है। अनफोर्च्युनेटली उसका जवाब नहीं आया नहीं तो मैं साबित करता कि कितने अनधिकृत कब्जे हुए हैं और कितना कटाव भूमि का बढ़ा है।

मैं अपने अनुभव से क्योंकि मेरा गांव वहां स्थित है, मैं वहां जाया करता हूं, मैं अनुभव करता हूं कि वहां भूमि का कटाव बहुत बढ़ गया है। जो किसी जमाने में उपजाऊ जमीन थी और मार्जिनल एरिया से जमीनें लगती थीं वहां पैदावार घट गई है। इसका कारण यही है कि भूमि कटाव को आपने रोकने की कोशिश नहीं की है। यह जो टाप साइल है जिसमें Productivity 7/8" है यह बिल्कुल अनस्टेबुल नैचुरल रिसोर्स है जिसको आपने सिस्टेमिटीकली प्रिजर्व नहीं किया। Hugh H. Benett जो स्वाइल एक्सपर्ट हैं, जिनको मैंने पहले भी कोट किया था उसका अनुमान है कि अगर इस जमीन के कटाव को नहीं रोका गया तो १५ वर्ष में जो ७-८ इंच टाप सोइल है, वह बह जावेगी व सब सोइल एग्रीकल्चर होने लगती है जिससे किसी हालत में रिटर्न नहीं मिल सकता है और टाप साइल के लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक इंच मिट्टी बनने में एक हजार से चौदह सौ वर्ष तक लगते हैं। १५ सालों में आपने इस 7/8" मिट्टी को बचाने की कोशिश नहीं की व कन्ट्रोल नहीं किया, उस में से एक इंच मिट्टी को वापस बनाने के लिए भी एक हजार वर्ष या १४०० वर्ष लगेंगे तो जो सात-आठ इंच टाप सोइल बढ़ गई है उसे रेस्टोर करने में कितना समय लग सकता है अन्दाजा करें। तो ७:८ इंच टाप सोइल बनाने के लिए तो सेन्चुरीज लग जायेगी, लाखों वर्ष लग जायेंगे और फिर भी आप उसकी गति ठीक करने में सफल नहीं होंगे।

इस बारे में मैं नहीं कहता। मैं एक्स-पर्ट का कोटेशन पेश करता हूं :

"Lying at an average depth of 7" or 8", this upper layer of the soil is the principal feeding zone of the plants which provide food for human or livestock consumption, fibre for clothing and timber for shelter. Unless steps are taken to check the accelerated removal of soil by wind and water, it becomes the most effective agency of land impoverishment or ruin."

(श्री जुझारसिंह)

एक्चुअली यही बात हो रही है कि लैंड पुअर होती जा रही है और अब स्टेज आ गया है कि वहां पर खाल पड़ गए हैं और नाले पड़ गए हैं और उस स्टेज पर जो पोजीशन होती है, वह बहुत ही खराब होती है। मैं उन एक्सपर्ट महोदय को इसलिए कोट कर रहा हूं कि उनके कोट करने से मंत्री महोदय और हमारी राज्य सरकार उसके महत्व और सीरियसनेस को पहचान सके। इसलिए थोड़ा कोटेशन देना पसंद करूंगा कि जिस जमीन में खाल और नाले पड़ जाते हैं उनके बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है :

"This is the beginning of the death stage or land decline, specially where the people havenot taken up to modern soil conseration in earnest."

दुर्भाग्यवश अरनेस्ट तो क्या लेकिन साधारण तरीके से भी सोइल कन्जर्वेशन के मेथड्स को अपनाना शुरू नहीं किया है। बडी निर्ममता से इस चीज को निग्लेक्ट करते जा रहे हैं और उसका जो परिणाम आएगा, वह जनरेशन्स को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मंत्री महोदय इस क्षेत्र में भूमि कटाव की बढ़ती हुई समस्या को जिस तरह से आपने निगलेक्ट किया है, आपने तो अपनी गलती को भी मानने से इन्कार किया है। आपने कहा "चम्बल सेना के किसानों से" नाम की कोई किताब नहीं छपी और कोई निर्देश नहीं दिए गए और कालोनाइजेशन विभाग ने कोई एलाटमेंट नहीं किया और आपने यह कहा कि चम्बल बांध बन जाने से बांध की एरिया में सोइल कन्जर्वेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका यह जवाब लोगों को मिलता है तो आपसे क्या उम्मीद करे?

इस किताब के बारे में, जो किसानों को सक्यूलेट हुई है, मंत्री महोदय ने कहा है कि इस तरह का कोई सर्व नहीं हुआ, इसलिए उसके कुछ अंश मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए प्रस्तुत करना पसन्द करूंगा। यह किताब कृषि विभाग की तरफ से छापी गई है और चम्बल क्षेत्र के किसानों के नाम से यह किताब है, इसका फोरवर्ड उस समय के माननीय कृषि मन्त्री श्री नाथूराम जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा है :

"चम्बल क्षेत्र की मिट्टी का सर्वेक्षण कर लिया जाय, जिससे कि किसानों को अपने खेतों के बारे में पूरी जानकारी समय पर मिल सके"। और भी इसके साथ उन्होंने लिखा है "कि इस बात को ध्यान में रखते हुए चम्बल क्षेत्र की भूमि का विस्तृत रूप से सर्वेक्षण किया जा चुका है।" यह मंत्री महोदय ने कहा है और इस किताब का साल तो नहीं दिया गया है लेकिन मेरा अंदाजा है कि यह १९५७-५८ में छपी हुई होनी चाहिए। उस समय इनके कहने के अनुसार इस एरिया का सर्वेक्षण कर लिया गया था और सर्वेक्षण करने के बाद में उन्होंने कुछ डाइरेक्शन्स दिए थे और

(श्री जुझारसिंह)

राजस्व विभाग का कर्त्तव्य था कि उन डाइरेक्शन्स को फोलो करते। इस सर्वेक्षण के आधार पर इस किताब में उन्होंने सारी जमीन को ६ हिस्सों में बांटा है जिसमें से ४ हिस्सों में, ए, बी, सी और डी चार तरह की जमीन बताई है, जो उन्होंने कृषि योग्य बताई है। लेकिन तीसरी और चौथी श्रेणी के बारे में राय प्रकट की है कि इसमें सोइल कन्जर्वेशन बराबर होना चाहिए और सोइल कन्जर्वेशन वर्क को इस क्षेत्र में निग्लेक्ट किया गया तो उसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। तो जो भूमि उन्होंने कृषि योग्य III व IV बताई, श्रेणी में उसका रकबा १,११,००० एकड़ के करीब है। उसमें उन्होंने खेती करने की सलाह दी है लेकिन सोइल कन्जर्वेशन के काम होते रहने चाहिए ऐसा कहा है। उनकी बराबर लेवलिंग हो........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह तो आधे घंटे का है।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें मन्त्री महोदय का जवाब भी शामिल है।

श्री जुझार सिंह : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन आवश्यक बातें बताना चाहता हूं। उन्होंने कुछ क्राप्स बताए हैं कि ये नहीं लगाए जाय और उसमें अगर लेवलिंग नहीं हुआ और जमीन में किसी तरह पानी को नियंत्रण में नहीं रखा गया तो वाटर-लोगिंग हो जायगा। अनफारचूनेटली ये आसार भी उस जमीन में आने लगे हैं। पिछली बार में विधान सभा में आंकड़े दिए गए हैं, उनके हिसाब से करीब १८,००० एकड़ भूमि में वाटर लोगिंग हो चुका है। यह भी इसका परिणाम है कि उन्होंने जो डाइरेक्शन्स दिए हैं इस किताब में, वे फोलो नहीं किए हैं। आगे नतीजा क्या होगा? १,११,००० एकड़ जमीन में से १८,००० एकड़ जमीन वाटर-लोगिंग में हो गई, और आगे भी इसी तरह से अन्-कन्ट्रोल्ड रही और बिना किसी आदेश फोलो किए रही और स्टेप्स नहीं लिए तो आगे इससे कितना नुकसान हो सकता है, मन्त्री महोदय अंदाजा लगा सकते हैं।

पांचवी और छठी श्रेणी में जो भूमि है वह करीब २,१८,००० एकड़ है। उसके लिए उन्होंने इस किताब में साफ तौर से लिखा है कि यह जमीन कृषि और चरागाहों के लिए अनुपयुक्त है। इसमें बड़े बड़े नाले और खार बन गए हैं। इनको बढ़ने से न रोका गया तो आसपास की कृषि योग्य भूमि भी इनके प्रभाव से खराब हो सकती है। भू-संरक्षण के तरीकों से इन नालों को बढ़ने से रोकना और इनका मुंह बंद करना बहुत आवश्यक है।

बहुत स्पेसीफिक डाइरेक्शन्स हैं। इसके बाद इन्हीं नालों और खारों और चरागाहों को कालोनाइजेशन विभाग द्वारा नीलाम किया गया है और लाखों की तादाद में ये नाले बेचे गए हैं। मन्त्री महोदय को मालूम है कि चम्बल क्षेत्र में चरागाह नहीं रखे हैं। ये सब हटा दिए गए हैं।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : अगर ५-७ जगहों का मामला हो तो बता दें ताकि मैं स्पेसीफिक एक्शन ले सकूं। इन नालों की कोई भी जमीन हमने नहीं बेची है।

श्री जुझार सिंह : आपने चरागाह बेचे हैं। इस किताब में चरागाहों का चैप्टर है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : चम्बल के ऊपर तहसील लाड़पुरा-दीगोद, पीपलदा तीनों तहसीलों को देख लीजिये किनारे किनारे कई नाले मिलेंगे उस सारी किनारे की जमीन को आपने बेच दिया है।

श्री जुझारसिंह : इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, लिखा है यह क्षेत्र हमारे प्रान्त से लगा हुआ है। करीब १३ सौ मील तक प्रान्त की सीमा बनाता है। कटाव वाले क्षेत्रों में भी प्रयत्न से कुछ भाग काम में लाया जा सकता है। पर इस ओर प्रयास करने की कोशिश नहीं है। बल्कि मरसीलेसली उस जमीन को अलाट कर दिया गया है। सांगोद तहसील के खेडली गांव में गुड़ला, गुहाब्दा गांवों में सरकार ने इस तरह की जमीन बेची है। लाड़पुरा तहसील में पीपलदा तहसील में आलरेडी बहुत कटाव था। कोटा स्टेट के समय में पाटन में भी चरागाह का अलाटमेन्ट किया गया है। अब आपने चरागाहों का बेचान बंध कर दिया है और तै किया है कि साल दर साल टारगेट सेल के फिक्स किये जावें कि अमुक साल में १००/१२० लाख का सेल किया जावे मारजिनल लैंड का। कोटा स्टेट के समय में उसकी सेल बन्द थी। वहां क्या किया जाता था कि रेवेन्यू अफसर उस एरिया का सर्वे किया करते थे, और बराबर ध्यान रखते थे और सर्वे करके जब देखते कि इस क्षेत्र में कटाव नहीं पड़ने वाला है नुकसान नहीं होने वाला है तो उन्हीं गांवों में जमीन अलॉट करते थे। आज की तरह सब जगह पर अलॉटमेन्ट खुला नहीं था। सारे राजस्थान पर एक जनरल आॅर्डर पास कर दिया है कि जमीन जहां पर भी खाली मिले अलॉट कर दिया जावे। कृषि काबिल हो उसको तो अलॉट करने में नुकसान नहीं। पर जो मार्जिनल लैंड है उसको अगर आप अलॉट कर भी देंगे तो मुश्किल से दो चार वर्ष काश्तकार खेती ले सकेगा और इसके बाद वह जमीन भी बिगड़ेगी और वही नहीं बिगड़ेगी बल्कि उनसे लगती हुई अच्छी जमीन के भी कट जाने का अन्देशा है। वास्तव में यह हो भी रहा है मार्जिनल लैंड का अलॉटमेन्ट किसी स्थिति में नहीं करना चाहिए। उसका अलॉटमेन्ट, उपाध्यक्ष महोदय, ये कर रहे हैं।

तो मेरा निवेदन यह है कि अब तक जो कुछ भी अलॉटमेन्ट आप कर चुके हैं उसके बाद में जो जमीन बच गई है उसकी तरफ ध्यान दें और जिन क्षेत्रों में चम्बल कमाण्डेड एरिया में या सांगोद में खानपुर में या दूसरी जगह छीपाबड़ौद में जिनमें भी नदी नाले अधिक हैं व मार्जिनल लैंड का अलॉटमेन्ट हो रहा है या अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं या उनको रोकने की कोशिश नहीं हो रही है तो कम से कम उन जमीनों को कटाव से बचाने की तो कोशिश करें।

(श्री जुझारसिंह)

मेरा सुझाव है आप वहां पर फोरेस्ट के प्लान्टेशन लगावें। यह जन-हित का भी काम होगा। और जंगल की कमी की वजह से वहां के काश्तकार परेशान हैं उनकी परेशानी भी मिटेगी। इस १३०० मील के रिक्त चम्बल कमाण्डेड एरिया में नालों पर और दूसरी नदियों के किनारे हजारों एकड़ ऐसी जमीन मिलेगी जिस पर फोरेस्ट के प्लॉन्टेशन लगाने से अच्छी टिम्बर पैदा की जा सकती है। आज जिस जगह जंगल हैं वे पहाड़ियों पर हैं और वहां जड़ों को गहराई तक जाने की गुंजाइश नहीं होती और इसलिये पेड़ अधिक लम्बे और बड़े नहीं हो पाते, पर यहां अफोरेस्टेशन में इस रेवीन एरिया में यह काम शुरू किया तो दो फायदे होने वाले हैं। भूमि का कटाव रुक जावेगा, और लकड़ी के काम में सहायता मिलेगी, और आपको बेटर टाइप की लकड़ी मिलेगी, जड़ों को काफी गहराई तक जाने की यहां गुंजाइश मिलेगी, दरख्त काफी बड़ा हो सकेगा, काफी पनप सकेगा। इसलिये मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो चार पांच बातें बताई है मन्त्री महोदय उनका जवाब देंगे।

एक तो यह कि चम्बल क्षेत्र के किसानों को यह किताब बांटी गई है या नहीं ?

दूसरा इस किताब में २२० हजार एकड़ जमीन ऐसी बताई है जो कृषि काबिल नहीं थी, जिसको प्रिजर्व किया जाना यह इस किताब में लिखा हुआ है, सरकार के ध्यान में यह बात है या नहीं ?

तीसरा, क्या इसमें से कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा यह जमीन बेचान की गई है और इस जमीन की बिक्री से यह अलॉटमेन्ट से क्या उस क्षेत्र में कटाव बढ़ा है ? इन तीन चार मुद्दों पर मैं आपका जवाब चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले दिनों जो गलती की उसका शीघ्र सुधार करेंगे और चम्बल क्षेत्र के बाहर दूसरे क्षेत्र में भी कटाव रोकने की पूरी व्यवस्था करेंगे और वहां पर दरख्त लगाने का काम भी शुरू करेंगे। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजस्व मन्त्री।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो दो शब्द मैं भी इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। मैं समझता हूं सोइल इरोजन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति, मुझे यह आशंका है, कुछ बुरे परिणाम ला सकती है। अगर चम्बल रेवीन्स के आस पास आप भूमि का अलॉटमेन्ट करते हैं तो इससे बढ़कर घातक समस्या, आपकी अदूरदर्शिता और विपत्ति ढाने वाली बात और नहीं हो सकती।

माननीय सदस्य, जिन्होंने चर्चा उठाई, वे कोटा डिविजन से आये हैं। खास करके यह कोटा डिवीजन की समस्या है। वहां पर बड़ी बड़ी नदियां हैं और उससे भी अधिक चम्बल रेवीन्स की समस्या है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

माननीय सदस्य ने यह कहा कि भूत–पूर्व कोटा राज्य ने इस सोइल इरोजन के सम्बन्ध में तरह तरह के स्टेप्स लिये। आप बान्ध बनाइये, अफोरेस्टेशन करिये। उस जमीन में आप घास उगाइये, जलाऊ लकड़ी की समस्या आपकी हल हो इसके लिये दरख्त लगाइये, इसके अलावा मेरे खयाल से इमारती लकड़ी भी लगा सकते हैं। और फिर यह तो कोई पांच पचास एकड़ का सवाल नहीं है, लाखों एकड़ जमीन का सवाल है। इससे उस भूमि का कटाव रुकेगा, कटाव रुकने से उससे लगती हुई जो उपजाऊ खेती योग्य जमीन है वह सुरक्षित रहेगी और इधर जंगल का लाभ आपको मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ही वर्ष पहले एक उप चुनाव में मैं राजाखेड़ा गया। वहां देखा कि कटाव की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक गांव के अन्दर इलेक्शन मीटिंग थी वहां पर गया तो देखा कि वहां पर सोइल इरोजन लें जहां पर खेत थे वहां पर पचास पचास साठ साठ फीट के गहरे गड्ढे पड़ गये हैं। लैंड स्लाइड हो गई और बहुत उर्वरा भूमि थी वह बह बह कर चम्बल में चली गई। तो आपकी अफोरेस्टेशन की समस्या और उत्पादन की समस्या बहुत कुछ हद तक इससे हल हो सकती है और इन चम्बल रेवीन्स में हजारों मवेशियों को रखकर डेयरी के व्यवसाय को पनपा सकते हैं, काफी दूध का उत्पादन कर सकते हैं। हर तरह से मेरे ख्याल में उस क्षेत्र में आप इस तरह से खुशहाली ला सकते हैं।।

किन्तु यदि आपकी यह अलाटमेन्ट की अदूरदर्शितापूर्ण पॉलिसी जारी रही तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर हानिकर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। सरकार को चाहिये कि इस पर विशेष ध्यान दें। विशेषज्ञों के सम्बन्ध में जो चर्चा की गई है उसके लिए मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और यह समस्या कोटा की ही नहीं सारे राजस्थान की भी है।

मेरे क्षेत्र के लिये कुछ निवेदन नहीं करना चाहता। वहां तो जंगल कट चुके। आबादी की समस्या इतनी बढ़ चुकी कि माही, सोम मारान नदियों पर अब अफोरेस्टेशन डिफोर मेंस्टेशन को परिवर्तित करने का प्रश्न नहीं है। पर यहां तो १५ वर्ष की अवधि बहुत होगी, मैं तो समझता हूं आठ दस वर्षों में ही चिड़िया खेती चुग जावेगी।

आपको चाहिये समय रहते हुए आप इस बारे में विचार करें और कोटा का एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन से कई गुना अच्छा था। जिस तरह से सजाता से पैसा खर्च करके रेवीन्स को रोकने के लिये बान्ध बांधे, अफोरेस्टेशन किया बीड वगैरह की समस्या को हल किया और भूमि के अलाटमेन्ट को कड़ाई से रोका। इसी तरह से आप करेंगे तो समस्या का समाधान हो सकेगा। नहीं तो एक एक इन्च भूमि का अलाटमेन्ट आप करते चले जावेंगे तो मेरे ख्याल में हजारों लाखों एकड़ जमीन कटाव में आ जावेगी और उसके पीछे रही हुई उर्वरा भूमि भी नष्ट होती जावेगी और इसका भयंकर परिणाम राजस्थान की जनता को उठाना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर यहां चर्चा उठाई गई ।

यह समस्या गम्भीर है और उसकी गम्भीरता मैं मानता हूं । बरसों से नदियां इस क्षेत्र में बहती हुई आ रही हैं । बहुत जोरों का उन का बहाव है, नदी हैं नाले हैं है उनसे कटाव भी है और यदि उन कटावों को रोकने की व्यवस्था नहीं की गई तो राजस्थान अपना बहुत नुकसान कर बैठेगा यह भी निश्चित है।

मुझे जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं उनके बारे में भी कोई आपत्ति नहीं है । जहां तक जितने साधन होते जावेंगे वे उपाय काम में लाये जा रहे हैं और लाये जावेंगे ।

चम्बल क्षेत्र के किसानों से पुस्तिका इस नाम से छपी है, वास्तव में मैं भी उस क्षेत्र का रहने वाला हूं लेकिन मेरी भी जानकारी में वह नहीं है । इस प्रश्न के उठने के बाद इसको मैंने देखा । मैं समझता हूं वह काफी उपयोगी पुस्तिका है । जो फीगर्स उसमें दी हुई हैं वे भी मुझे सही लगती हैं और इसमें इंकारी नहीं है कि २,१३ हजार एकड़ भूमि ऐसी है चम्बल क्षेत्र में जहां पर रेवीन्स हैं और जहां पर बड़े बड़े नाले बने हुए हैं और जो कृषि योग्य नहीं हैं । वहां कृषि योग्य भूमि का आवंटन करने के बारे में एतराज उठाया । मैं कल परसों से इसकी जानकारी कर रहा हूं । मुझे अभी तक यह बताया गया है कि रेवोन्स में जो जमीन है उसका आवंटन नहीं किया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : विभाग से इसकी जानकारी की । चम्बल कमान्डेड एरिया में कोलोनाइजेशन विभागने भूमि को बेचने का तय किया है कि अमुक प्रकार की भूमि पैदावार के लायक है और अमुक प्रकार की भूमि पैदावार के लायक नहीं है, यह बेची जानी चाहिये और यह नहीं बेची जानी चाहिये ऐसा कुछ किया था ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (छाबड़ा) हमारी तहसील में नाले हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपकी तहसील का सवाल नही है । चम्बल का सवाल है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जमीन के कटाव को रोकना चाहते हैं इसलिये हमारी तहसील का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय जुझारसिंह जी ने प्रश्न पूछा था उस पर आधे घण्टे की चर्चा का सवाल है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सारे राजस्थान का सवाल है । कटाव जमीन का हो रहा है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इससे कौन इनकार करता है कि जमीन का कटाव नहीं रोकना चाहिये । जितने साधन हैं उनके हिसाब से इसको कार्य रुप में परिणत करने

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

के लिये हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन अभी सवाल उठाया गया है कि कोलोनाइजेशन विभाग ने उन रेवीन्स में जमीन बेच दी। मैं परसों से टेलीफोन कर रहा हूं। आपने गांव बताये। कोटा चलते हैं तो इसको चल कर देखेंगे। बेच दिये हैं बास्तव में तो नहीं बेचे जाने चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बेच दिये। साइल कन्जरवेशन से प्रोटेक्ट किये जा सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो भी मेथड्स होंगे उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे सूचना मिली है कृषि योग्य भूमि कोटा बूंदी जिले में फर्स्ट माल, सेकिन्ड माल, थर्ड माल, फोर्थ माल कोलोनाइजेशन में शामिल की गई। कमान्ड एरिया भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आध घंटे का समय हो गया है। चर्चा इस पर समाप्त करनी होगी जल्दी मन्त्री महोदय जबाब दे दें।

श्री जुझार सिंह : मन्त्री महोदय को जानकारी के लिय बताना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपने अपनी बात कह दी।

श्री जुझारसिंह : जानकारी दे रहा हूं। इटावा तक पहुंचने पर मीलों तक सिर्फ अनकल्टीवेटेड कल्चरेबल वेस्ट लिखा हुआ है। ढलवा जमीन है। आप को उस एरिया की मालूम है, वहां पर खेती हो रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने दोनों की चर्चा की है। इटावा के पास काफी जमीन में ढलाई मौजूद है और हजारों की एकड़ में है। काली सिंध से काफी उधर इटावा की तरफ ढलवा जमीन चलती है। बहुत बड़े बड़े गड्डे हैं और पहले से काश्त होती चली आरही है।

कृषि योग्य भूमि २,२३,५२४ एकड़ रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। इसमें से ६,३२८ एकड़ भूमि अकृषि योग्य से कृषि योग्य में परिणत करदी गई। २,२३ हजार में से ६,३२८ एकड़ भूमि को कृषि योग्य परिणत करके बेच दिया। हो सकता है इसमें चारागाह भी हो। फेमीन लैंड भी हो। इतना जरूर मैं अपने दिमाग में क्लीयर हूं, आदेश भी जरूरी करने में संकोच नहीं है, जितने रेवीन्स है उनको वेचना नहीं चाहते। चाहे पैसा मिले या न मिले। आगे जमीन को प्रोटेक्ट करना है। मार्जिनल लैंड बतायी। २,१८ हजार नक्शे में डिमार्केट की हुई है। उस नक्शे में सलाह दी है कि उसको नहीं बेचना चाहिये। यह वाजिब सलाह है और इसके आदेश जारी कर दूंगा।

उसके अलावा अफोरेस्टेशन का प्रोग्राम है उसके फीगर्स मैने मंगाये हैं। अफोरेस्टेशन के प्रोग्राम से हम ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। अफोरेस्टेशन का काम धीरे-धीरे ५६.५७ में शुरू हुआ और अब तक ४,२५० एकड़ जमीन में अफोरेस्टेशन का काम किया

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

गया है डिफरेन्ट डिफरेन्ट जगहों पर और ६७.६८ के प्रोग्राम में १४०० एकड़ का एफोरेस्टेशन का प्रोग्राम लिया है । जो जिस तरह से अफोरेस्टेशन और साइल कन्जरवेशन का काम है, अब तो सोइल कन्जर्वेशन का डिपार्टमेन्ट राजस्थान में कायम हो चुका है और स्पेशल प्रोविजन बजट में मौजूद है, मैं उम्मीद करता हूं कि कटाव को रोकने के लिये अफोरेस्टेशन और साइल कन्जर्वेशन की अहमियत किसी प्रकार कम नहीं की जा सकती और आपने कोटेशन्स दिये हैं काफी एक्सपर्ट्स से बात की है मैं उसको ठीक मानता हूं ; जमीन के लिये मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि साइल इरोजन होता है तो उस प्रकार की जमीन नहीं बेचना चाहिये और बेचदी है तो उसको कजर्व करने की आवश्यकता होगी तो वह करेंगें ।

श्री जुझारसिंह : आप के डिपार्टमेन्ट का काश्तकारों के लिये प्रोग्राम है । सबसिडी देते हैं । काश्तकारों के खेतों पर काफी काम चल रहे हैं । जो सरकारी जमीन है, मार्जिनल लैंड है, केचमेन्ट एरिया है काश्तकार की जमीन की डेफिनिशन में नहीं आती उस पर काम करने का वाटरशेड काम करने का कोई प्रोग्राम नहीं है । जितना साइल कन्जर्वेशन काम चल रहा है रुके हुए खेतों पर होता है, केचमेन्ट एरिया में नहीं होता है, मार्जिनल एरिया पर कटाव रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं है । दोनों एरिया नेग्लेक्टेड रहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़ । आॅर्डर आॅर्डर प्लीज़ ।

इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई ।

श्री नाथूलाल करोल : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समय हो गया । आगे आजावेगा ।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय, सहकारी मन्त्री महोदय व गृह मंत्री महोदय का ध्यान....

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत थोड़े में ही कहें । ध्यान आकर्षित करने के लिये ही है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक ऐसा मसला मेरे समक्ष पेश हुआ है कि एक ग्राम में कृषि सहकारी समिति है । उस कृषि सहकारी समिति का नाम है पूर्वीय क्षेत्र सहकारी समिति कूकस, तहसील जमवा रामगढ़ ।

सहकारी समिति में जितने सदस्य हैं वे सब अनुसूचित जाति के हैं, वे सब भूमिहीन किसान हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन सहकारी विभाग को दिनांक २१-८-५९ को पेश की और उनको एक कृषि सहकारी समिति के रूप में रजिस्टर्ड किया गया १२३० नम्बर पर । उसी सन् में उन्होंने तहसील

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जमवारामगढ में जमीन अलाटमेंट की एप्लीकेशन दी और उस कृषि सहकारी समिति को दिनांक १६-६-५६ को ६१ बीघा २ बिस्वा जमीन विभिन्न रकमों में एलाँट की एलाँटमेंट कमेटी द्वारा और जब से यह जमीन ६१ बीघा २ बिस्वा उस सहकारी समिति के सदस्यों को एलाँट हुई थी, आज से ६ साल पहले के अर्से में। उस दिन से उस सहकारी के सदस्य उस पर काबिज हैं और उस जमीन पर सहकारी समिति की कच्ची दीवार भी बनी हुई है, उस जमीन पर सहकारी समिति के सदस्य सामूहिक तौर पर काश्त करते हैं। उस जमीन का सहकारी समिति के द्वारा लगान सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया जाता रहा है। सहकारी समिति को राजस्व विभाग के गिरदावरों ने जाकर कब्जा दिलाया था उस जमीन पर और इस तरह से ६ साल से वह जमीन सहकारी समिति के सदस्यों के कब्जे में है। अब गये साल यानि सन् १९६६ में उस सहकारी समिति की ६१ बीघा २ बिस्वा जमीन में से करीब तीस बीघा जमीन जयपुर की रहने वाली एक महिला और एक अन्य सज्जन के जिनका नाम भी मेरे पास है—श्रीमलता पुत्री श्री शिवराम ब्राह्मण, गणगोरी गेट, जयपुर और (२) शिवराम पुत्र गंगाराम ब्राह्मण, गणगोरी गेट, जयपुर, इन दोनों आदमियों ने चोरी चोरी, सहकारी समिति की उस ६१ बीघा २ बिस्वा जमीन में से, जिस पर ६ साल से सहकारी समिति का उस पर कब्जा होते हुए और सहकारी समिति की उस पर चार दीवारी होते हुए, सहकारी समिति के द्वारा हर साल लगान देते हुए, उस....

श्री उपाध्यक्ष : यह आपने कह दिया है जो समस्या है उसको सामने रख दें संक्षेप में।

श्री जयनारायण सालोदिया : उसमें से ३० बीघा जमीन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दो व्यक्तियों को जिनका धन्धा खेती करने का नहीं है, जो जयपुर के निवासी है और इस तरह से गैर कानूनी तरीके से वहां के तहसीलदार साहब ने इन दो आदमियों को यह जमीन सहकारी समिति की दे दी, एलाँट कर दी। जब इन सदस्यों को मालुम हुआ कि उनकी जमीन में से ३० बीघा जमीन का अमुक २ प्रकार से एलाँटमेंट हुआ है तो उन्होंने एडीशनल कलेक्टर साहब के यहां अपील की और उस अपील पर एडीशिनल कलेक्टर साहब ने उसमें स्टे दिया। उस स्टे की कापी भी मेरे पास मौजूद है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर साहब ने स्टे देते हुए यह निर्णय दिया कि वे यह महसूस करते हैं कि यह जमीन सहकारी समिति की है और यह गलत एलाँटमेंट हुआ है और इसलिए जब तक मेरा फैसला न हो तब तक इस पर स्टे है और जमीन इन लोगों के कब्जे में न रह कर सहकारी समिति के कब्जे में रहे। अब इस तरह का एडीशनल कलेक्टर साहब ने स्टे दिया उस स्टे के बाद भी इन दोनों व्यक्तियों ने जिनका धन्धा खेती करने का नहीं है, उस स्टे के बाद भी इस जमीन पर मकान बनाया है, उस स्टे के

(श्री जयनारायण सालोदिया)

बाद भी जमीन पर कुए खोदे हैं और वे हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग जो कोआपरेटिव के द्वारा काबिज़ हैं, जिनका उस जमीन पर ९ साल से अधिकार है, अगर उनको मना करते हैं तो जयपुर से गुण्डों को ले जाते हैं, ट्रक के ट्रक भर कर और मोटरों के अन्दर बैठा कर ले जाते हैं और उनको पिटवा देते हैं और उनको इस तरह से परेशान करते हैं। वे बेचारे पेट पकड़े हुए मुख्य मंत्रीजी के पास पहुंचे और दो बार जहां तक मुझे मालूम है राजस्व मंत्रीजी के पास भी पहुंचे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अमृतलालजी यादव जो हमारे भूतपूर्व मंत्री हैं उनके पास में भी इस तरह की बात पहुंची और उनसे भी एप्लीकेशन फार्वर्ड करवाई है, जहां तक मुझे मालुम है, उन्होंने भी उनकी एप्लीकेशन को राजस्व मंत्री के पास भेजा है लेकिन दुर्भाग्य से राजस्व मंत्री महोदय तो ऐसे मन्त्री हैं, ऐसे मंत्री हैं जो उनके सम्बन्ध में जितना कुछ कहा जाय, कम है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इनके नोटिस में इस तरह की बात आई है, एक हरिजन सोसायटी है, भूमिहीन हरिजनों की कोआपरेटिव सोसायटी है, उन्हें ९ साल पहले जमीन एलॉट की गई, उनकी को-आपरेटिव सोसायटी बनी हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : आप वही बात दोहरा रहे हैं

श्री जयनारायण सालोदिया : यह बात वे जानते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी कुछ कार्यवाही आज की तारीख तक नहीं की गई है। मुझे उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी।

इसी तरह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस कोआपरेटिव सोसायटी ने जब यह विवाद छिड़ा तो उन्होंने आज से दो साल पहले इस तरह की एप्लीकेशन दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कि जो जमीन ९१ बीघा २ बिस्वा उन्हें मिली है उसकी पत्थरगढ़ी करवाई जाय। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस तरह का आदेश हुआ कि पत्थरगढ़ी करवाने के लिए दस रुपया फीस के, पत्थरगढ़ी करवाने के जमा कराओ तो हम पत्थरगढ़ी करा सकते हैं। और उन्होंने दस रुपये पत्थरगढ़ी करवाने के लिए आज से दो वर्ष पूर्व जमा करा दिए लेकिन आज तक उनकी जो वाजिब मांग है जिसके द्वारा यह विवाद खत्म हो सकता है कि आया कौन कौन के नम्बर सहकारी समिति के अण्डर में हैं, कौन कौन सी जमीन उनको अलाट हुई है, ऐसी मामूली मांग को भी, दो साल हो गए पत्थरगढ़ी कराने के लिए दस रुपये जमा करा दिये इसके बाद भी उस पर कुछ कार्यवाही नहीं की गई, यह सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समिति के सदस्यों ने उसमें कुआ खोदना चाहा। जब समिति के सदस्य जिनका वाजिब अधिकार है कुआ खोदना चाहें तो खोद सकते हैं, उनको आमेर की पुलिस ने बुला कर बन्द कर दिया, उनको पीटा गया, उनको डराया गया और उनसे कहा गया कि तुम्हारी तरफ से जो मुकद्दमा एडीशनल कलेक्टर के यहां पर चल रहा है उसको अगर तुम वापिस

(श्री जयनारायण सालोदिया)

नहीं लोगे और अगर तुम उसको प्रेस करोगे तो फिर आपको परेशान करेंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको हवालात में रख देंगे। इस तरह से गरीबों को डराया धमकाया गया और परेशान किया गया। दो दिन तक भूखे प्यासे पुलिस में रखा गया।

जब कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में एप्ली-केशन दी गई कि उनकी समिति के सदस्यों को नाजायज तरीके से बिना कानून के दो रोज मे बैठा रखा है और समिति ने और रजिस्ट्रार ने लिखकर पुलिस को दिया कि इस तरह की बात नहीं है, समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है और उनके द्वारा जमीन अलॉट की गई और इसके विपरीत जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको शह देने के लिये, उन्होंने जमीन पर कुआ खुदवा लिया है, मकान बना लिया है, उनको तो रोकते नहीं लेकिन जो वाजिब आदमी हैं, उनको पुलिस में बैठा रखा है तब जाकर उनको छोड़ा गया। तो मैं राजस्व मन्त्रीजी से यह अपेक्षा करता हूं कि उनके जवाब में इस बात को दृष्टि में रखेंगे और इसका ठोस जवाब देंगे और उन लोगों को इस परेशानी से बचायेंगे। जो लोग उनके मुकाबले में अदालत में जीत नहीं सकते, उनके साथ झगड़े में जीत नहीं सकते, वे लोग जो वैधानिक तरीके से ६ साल से काबिज हैं, इसलिए मैं राजस्व मंत्रीजी से यह प्रार्थना करूंगा कि अपने जवाब में इन लोगों की सारी स्थिति को ध्यान में रखें और इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्य-वाही करने का निर्देश देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी सोसायटी के सदस्यगण दरख्वास्त लेकर आए थे और उस पर मैंने मुफस्सिल रिपोर्ट इस बात की मांगी थी। जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि जमीन का जो अलॉटमेंट हुआ है उसके खिलाफ अपील एडीशनल कलेक्टर के यहां पर दायर की है और वहां से स्टे भी प्राप्त किया है और उस स्टे के बावजूद इन लोगों ने कुआ खोद लिया और कुछ कर लिया। तो इसमें पहली लिमिटेशन तो मेरे सामने जो है वह यह है कि जब मामला सब-जूडिस है, स्टे आर्डर जारी कर दिया गया है तो मैं बीच में कैसे दखल दे सकता हूं।

दूसरा यह है कि कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की आपको कार्यवाही करना चाहिए जो एडिशनल कलेक्टर के हुक्म की उदूली इन दोनों साहबानों ने की है उसके लिए ...

श्री उपाध्यक्ष : आप यह स्वीकार करते हैं कि उनको इतनी जमीन दी गई?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो ५०० नम्बर का चक है वह इस सोसाइटी को दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : और उनके डिमार्केशन की दरख्वास्त है इनकी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो मेरे पास सूचना आई है वह मैं अर्ज कर दूं। उस आधार पर ५०० नं० का चक सोसाइटी का प्लाट है जिसमें से सोसाइटी को जमीन दी गई है। यह भी फैक्ट है कि जो दो साहबान के इन्होंने नाम बताये हैं उनको भी जमीन दी गई है। उसका जस्टीफिकेशन बतलाया

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

गया है जिसकी मैं जांच करने वाला हूं क्योंकि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। जो स्टेटमेंट मेरे पास आया है कि सोसाइटी को कन्सोलिडेशन के सिलसिले में कुछ जमीन और देकर कोई जमीन सिवाय चक में से निकाली गई है, और यह सिकय चक उनको दिया गया है, उससे। मैं खुद इस चीज से अपने आपको संतुष्ट नहीं पाता हूं जो मैंने नीचे से जानकारी की है उस आधार पर। इसके अलावा मैं जानता हूं कि जिस आदमी को जमीन दी गई है उस व्यक्ति को किस आधार पर दी गई है। वह आधार मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो चर्चा सुनने में आती है वह आधार गलत है। किसी की सिफारिश पर दी गई है या किसी ने किसी चीज पर दी हो !........

श्री जयनारायण सालोदिया : सिफारिश पर दी गई है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : मैंने तो यहां तक सुना है कि जिन लोगों को मेरे लायक दोस्त अपना नेता मानते हैं उनको जमीन दी गई है। इसके बारे में बहुत बड़ा स्केन्डल है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इसकी पूरी जानकारी कर रहा हूं और जो जानकारी मुझे आज प्राप्त हुई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। आज जो जानकारी प्राप्त हुई है कलेक्टर सहाब से उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने कुछ क्वेरीज की हैं। कलेक्टर साहब के यहां बयान हो रहे थे उसमें वह मशगूल हैं, लेकिन जो कुछ भी स्थिति है उसकी पूरी जानकारी करके जो कुछ भी मुनासिब होगा उसके लिए कार्यवाही करूंगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : पत्थर गढ़ी के लिए तो फर्मा सकते हैं।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : पत्थरगढ़ी तो आपने पैसा जमा करा दिया है तो तहसीलदार करेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : दो साल से दरख्वास्त पड़ी है।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : मैं जानकारी करूंगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की रिपोर्ट पर विचार, श्री नारायण सिंह !

श्री नारायणसिंह मसूदा (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वर्ष १९६३-६४ की रिपोर्ट पर, जिसकी प्रति दिनांक ७ जुलाई, १९६७ को सदन की मेज पर रखी गई है, विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछड़ी हुई जातियों के विभाग की जो रिपोर्ट है उस पर आज बहस आरम्भ हो रही है। यह विभाग, माननीय उपाध्यक्ष, ऐसा विभाग है............

श्री शंकरलाल : विभाग रिपोर्ट नहीं है आयोग की रिपोर्ट है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आयोग की रिपोर्ट समझ लें।

यह मसला, माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे सामने इतने वर्षों से चलता आ रहा है और इसमें जितनी हमारी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए यह स्वभाविक है, हमारा यह सोचना और समझना स्वभाविक है कि कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में, हमारी प्रक्रिया में, हमारी नियत में इस मामले में कहीं फरक है। लाखों, करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद, एक इसका स्पेशल विभाग बिठाने के बावजूद आज जितनी तरक्की करनी चाहिए थी हम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारा मनोबल, हमारी विचारधारा, हमारी भावनाएं जो हैं उनमें हम परिवर्तन नहीं ला सके। और इस प्रश्न के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, यह भावना का प्रश्न है, विचार का प्रश्न है और मनोबल और इन्सानियत का प्रश्न है। जब तक कि हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा, समाज में चेतना नहीं लायेंगे, तो इस तरह का विभाग, इस तरह की रिपोर्ट और इस तरह के डिसक्शन से हमें ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है।

जब जब भी इस विभाग की रिपोर्ट पर हमें डिसक्शन करने का मौका मिला है, माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने गई बार भी कई डिफेक्ट्स सरकार के सामने रखे, लेकिन सरकार को जो बात, जो सुझाव, जो आंकड़े हम प्रस्तुत करते हैं उनको मानने में कठिनाई होती है। उनको मानने में वह मजबूरी जाहिर करती है। इस तरह की बात भी नहीं है, लेकिन मानते हुए भी, सोचते हुए भी मैं मानता हूं कि उस तरफ बैठने वालों में बहुत कुछ लोग इस विचारधारा के लोग हैं जिनके दिल में ठेस है, आत्मा में यह टीस है। वह महसूस करते हैं कि यह या राजस्थान में व हिन्दुस्तान में जो यह हरिजन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का तबका है, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको हम पिछड़े हुए और पददलित की भावना में हम सोचते हैं, यह हमारे लिए कलंक की बात है। वे लोग भी यह बात महसूस करते हैं कि इनकी प्रगति होनी चाहिए, इनका उत्थान होना चाहिए, लेकिन उनकी भी यह भावनाएं हैं कि उनमें एक इस तरह की मजबूरी नहीं है, इसलिए ये भावनाएं भावनाओं तक ही सीमित रह जाती हैं, और हमें जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, पहली रिपोर्ट में सरकारों को जो इस कमीशन के द्वारा निर्देश दिये गये हैं उन पर सरकार ने एक इंच मात्र भी पालन नहीं किया है, उसके संबंध में सोचा तक नहीं है और उस पर सोचने की कोशिश नहीं की। हमें यह रिपोर्ट जो उस कमीशन की तरफ से समय समय पर मिलती है, और उसमें सरकार को जो निर्देश

(श्री जयनारायण सालोदिया)

दिये गये है, सरकार को जो हिदायातें दी गई हैं उनको सरकार ने कितना फालो किया है, उसके एक दो एक्जाम्पल, माननीय उपाध्यक्ष, आपके समक्ष रखना चाहता हूं ।

(३.५८ म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वर्ष १९६२-६३ की रिपोर्ट, भाग १, इसके पन्ने नं० ७८ पर एक आंकडा अंकित किया गया है कि इसके फाइव ईयर प्लान में किस स्टेट में कितना कितना रुपया इसके लिए मन्जूर किया था उसमें कितना रुपया इन लोगों पर लगा और हम कितना इस पर खर्च कर पाये हैं । उसके अनुसार माननीय सभापति महोदय, हमने मध्यप्रदेश में किया है ३४१-४० लाख और हमारे राजस्थान का है ५९-१४ लाख तो इस तरह से और भी कई प्रान्त हैं जिनमें इस तरह के आंकड़े हैं कि जो हमारे राजस्थान के आंकड़ों से डबलही नहीं तिगुने, और चारगुने पांच गुने है । तो इसको क्या समझा जाय ? आयोग की इस रिपोर्ट से हमारी सरकार की कमजोरी साबित होती है । हमारी सरकार उन लोगों से लड़ झगड़ कर पैसा नहीं लाना चाहती है, पैसा ले आती हैं तो खर्च करना नहीं चाहती । माननीय सभापति महोदय, यह एक उदाहरण है । राजस्थान के सब डिपार्टमेंट का जितना भी बजट स्वीकृत होता है उसका पैसा खर्च करने के बाद वे सप्लीमेंट्री बजट के लिए फिर इजाजत लेते हैं, लेकिन यह समाज कल्याण विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसका हर साल पैसा लैप्स होता है । यह डिपार्टमेंट जितना पैसा होता है उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता है । तो सरकार का मन्जूरशुदा पैसा भी डिपार्ट-मेंट खर्च करना नहीं चाहता तो यह डिपार्टटमेंट किस मर्ज की दवा है । क्या करते हैं लोग वहां पर बैठे बैठे जो पैसामन्जूरशुदा भी खर्च नहीं कर सकते ?

इसी के साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, दूसरी रिपोर्ट के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके द्वारा सरकार को हिदायतें दी गई हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसुचित आदिम जाति आयोग की रिपोर्ट ६२-६३ की बारहवीं रिपोर्ट, भाग १ है । इसके पन्ने ६२ के आठवें कालम में ऐसा उदाहरण सामने आया है जिससे यह पता चलता है कि छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को दी जाने वाली प्रवृत्तियां जिनमे वर्दी, पुस्तकें, शिक्षा के उपकरणों आदि का खर्चा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं इसलिए यह वांछित है कि इस प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय तथा ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की प्रवृत्तियों में वृद्धि की जाय ।

(४ म० प०)

इस तरह का एक आदेश, इस तरह का एक सुझाव इस रिपोर्ट में अंकित है लेकिन इसके बाद भी हमारे जो छात्रावास चलते है उनको जो दयनीय स्थिति हमारे सामने है वह किसी से छिपी हुई नहीं है । हमारे

(श्री जयनारायण सालोदिया)

यहां पर जितने भी छात्रावास चलते हैं, माननीय सभापति महोदय, उनका जो स्टेन्डर्ड होना चाहिए हमारे छात्रावासों के प्रति यह भावना होनी चाहिए कि इन लोगों को छात्रावासों में रख कर इनके सस्कारों का सुधार किया जाना चाहिए, इनकी तन्दुरुस्ती में सुधार किया जाना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़े इस तरह की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से ही छात्रावास खोले हैं लेकिन आज इन छात्रावासों का बिल्कुल विपरीत स्वरूप है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यदि मन्त्री महोदय को टाइम हो तो जयपुर में कई आपके विभागीय छात्रावास कई संस्थाओं के द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावास चल रहे हैं, उनको जाकर आप देखिये कि किस प्रकार की मकानों की उनको सुविधा है, उनको ड्रेसेज टाइम पर मिलती है या नहीं, पाठ्य पुस्तकें उनको समय पर मिलती है या नहीं, फीस की क्या सुविधा है और रहन-सहन की क्या सुविधा है? आज इन छात्रावासों को अनाथालय की तरह से आप चला रहे है, जो इनमें आते हैं उनको आप जैसे भीख दे रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं- इस तरह की भावना से इनको चलाते हैं। इस तरह की भावना आप इन लोगों के प्रति रख कर इनको चलाते है और फिर कहते है कि हम सेवा कर रहे हैं, जिससे यह काफी तरक्की कर सकें, काफी उन्नति कर सकें। आप उनको खाने के लिए रद्दी से रद्दी खाना देते हैं, कपड़े उनको रद्दी से रद्दी दिये जाते हैं, छात्रावास के लड़के हैं उनके स्कूल की ड्रेसेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पाठ्य पुस्तकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहता हू कि आज तक जितने छात्रावास के लड़के है उनको पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं, उनको वर्दी आज तक नहीं मिली है, आज तक छात्रावास खुले नहीं हैं। मैंने गई बार, जब यादव जी मिनिस्टर थे और इस रिपोर्ट पर डिस्कशन हो रहा था, यह कहा था कि छात्रावास स्कूल खुलने से पांच दिन पहले खुल जाने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार भी एक तारीख को स्कूल खुल गये हैं, लेकिन आज तक भी छात्रावास जयपुर में नहीं खुले हैं। केवल जयपुर में ही छात्रावास नहीं खुले हैं बल्कि पूरे राजस्थान में भी नहीं खुले हैं। एक तारीख को लड़कों ने स्कूलों में एडमीशन ले लिया है, लेकिन आज तक यह छात्रावासों के चक्कर काट रहे हैं और उनको निश्चित रूप से पता नहीं लगता है कि क्या होने वाला है, मुझे छात्रावास में रखने वाले हैं या हटाने वाले हैं, मैं क्या करूं। इस तरह वह फुटपाथों पर रहते और फिरते है। आप उनकी यह स्थिति करना चाहते हैं। यह दिखाना चाहते हैं कि वह गरीब लोगों के लड़के हैं, हरिजन और आदिवासियों के लड़के हैं इसलिए आप उनको आप निम्न दृष्टि से देखना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह आपकी ड्यूटी है आप उन पर कोई अहसान नहीं कर रहे है। यह पैसा हमारा है, हम आपको टैक्स के रूप में रेवेन्यू देते हैं, यह हमारा पैसा है। हमारा पैसा है फिर भी आप इन लड़कों के प्रति ऐसी भावनायें रखते हैं जैसे इनके

(श्री जयनारायण सालोदिया)

साथ में कोई रियायत करते हैं, कोई अहसान करते हैं। आपकी यह कोई भावना नहीं है कि आप सेवा करते हैं। हम आपके ऊपर रियायत और अहसान करते हैं क्योंकि हम आपको तनख्वाह देते हैं, आपके विभाग के लोगों को रोजी–रोटी देते हैं, हम आप पर अहसान करते हैं। आप असल में यह महसूस करते हैं कि आप हम पर कोई रियायत करते हैं, अहसान करते हैं और इस तरह की भावना से काम करते हैं। अगर आपने इस तरह की भावना से काम किया तो आप हरिजन और आदिवासियों की सौ साल में भी उन्नति नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं, इस साल एक और निर्णय लिया गया है, अब इसकी पृष्ठ भूमि में क्या है इसकी जानकारी मुझे शनैः शनैः मिल रही है। इस साल यह निर्णय लिया है कि जो कालेज के छात्र हैं उनको विभागीय छात्रावासों में एडमीशन नही दिया जायगा। जहां तक मैं इस पर सोच सका हूं कोई कारण नहीं है कि इस तरह की बात हो। मैं संचालक, समाज कल्याण से इस सम्बन्ध में टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित किया। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत उज्वल भावना है, हम इन लड़कों को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं, उनके चरित्र को ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम और लड़कों के साथ इनको रखना और पढ़ाना चाहते हैं जिससे इनका चरित्र ऊंचा हो। मैं आपकी भावनाओं की दाद देता हूं। आपकी भावना यह है कि यह लड़के ज्यादा शिक्षा नहीं ले सकें, ज्यादा योग्य नहीं हो सकें और ऊंचे पदों पर नही आ सकें। ऐसा नहीं हो कि हरिजन या शिड्यूल्ड कास्ट का कोई व्यक्ति डाइरेक्टर बन कर आ बैठे। आपकी यह भावना रही ही है इस बात के पीछे। तो माननीय सभापति, महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निहायत अदब के साथ कहता हूं कि यह गलत कदम उठाया हैं, हरिजन और आदिवासियों की उन्नति करने के बजाय उनकी अवनति करने का, उनको गिराने का लक्ष्य है। यह गलत है और इसको कभी भी हरिनज और आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि उनको हम छात्रवृत्ति देंगे। सभापति महोदय, हम यह देखते आये हैं कि आप छात्रवृत्ति कैसे देते हैं और किनको देते हैं और लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है, कितनी खुशामद करनी पड़ती है। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, चालीस रुपया यह राजस्थान सरकार छात्रवृत्ति देगी और चालीस के करीब सेन्टर की सरकार छात्रवृत्ति देगी। मैं मानता हूं कि छात्रवृत्ति मिल सकती है लेकिन कितने लोगों को ? मैं मानता हूं कि इसके पीछे यह लक्ष्य हो सकता है और उनके प्रति सहानुभूति की भावना हो। लेकिन इसके पीछे यह भी परिलक्षित होता है, जैसे कि आज ही कई लड़के मेरे पास आये थे, उन्होंने बताया कि हमारे पास में जनरल होस्टल में एडमिट होने के लिए पैसे नहीं हैं। हम पैसे कहां से लायें, वह तो दो सौ रुपये मांगते

(श्री जयनारायण सालरेदिया)

हैं, तीन सौ रुपये मांगते हैं। और उसके बाद हम सौ रुपये माहवार का खर्च कहां से मेंटेन करेंगे। अगर आपकी यह भावना है, सरकार की यह भावना है कि इन लड़कों को दूसरे लड़कों के साथ मिल जुल कर पढने का अवसर मिले, तो सरकार इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं करती कि वह इनको एडवांस दे, पांच सौ रुपया हर लड़के को एडवांस दे ताकि होस्टल में एडमिट होने का वह प्रारम्भिक खर्च कर सकें। अगर एक साल तक बारह सौ रुपया खर्च करके आपसे मांग करें, तो अगर उनके पास बारह सौ रुपये हों तो फिर वह छात्रवृत्ति की मांग ही आपसे क्यों करें। इसलिए आपका जो यह कदम है वह उनके हितों के खिलाफ जाता है, और लड़कों को छात्रावासों में दाखिला नहीं मिल पायगा। इससे यह स्पष्ट है कि जिन लड़कों के पास में होस्टल में दाखिल होने के लिए प्रारम्भिक खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है जो सौ रुपये हर माह खर्च करने की स्थिति में नहीं है—वह कालेज में दाखिल नहीं हो सकेगा। क्या आपका यह लक्ष्य है कि इनकी अधिक तरक्की नहीं होनी चाहिए और वह मैट्रिक तक ही शिक्षा प्राप्त कर सकें? क्या आप यह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लड़के मैट्रिक तक ही शिक्षा प्राप्त कर सकें और कालेज की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकें। अगर आपकी यह भावना है तो यह निहायत ही एक हीन और नीची भावना है, जो किसी भी सरकार की नहीं होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, वहां के छात्रावासों के सम्बन्ध में मैं कुछ और बातें निवेदन कर देना चाहता हूं। वहां के छात्रावासों को मैंने निकट से देखा है। सभापति महोदय, मैंने गये बार, जयपुर में एक छात्रावास, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, जयपुर में स्थित है, जहां समाज कल्याण विभाग बैठता है, जहां मंत्री महोदय विराजते हैं, जहां सचिव, उप सचिव और डाइरेक्टर बैठते हैं, मैंने एक सेम्पल पेश किया था उनका जो वहां आटा और रोटियां हरिजन छात्रों को दी जाती है। वह मैंने हाउस में पेश किया था। उसके बाद भी सरकार ने कुछ परिवर्तन नहीं किया, सरकार ने अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया। आज भी खराब से खराब राशन उन लोगों को मिलता है। इससे यह होता है कि उन लोगों का दिमाग खराब होता है, उनकी शारीरिक स्थिति खराब होती है और काम्पटीशन की स्थिति में अन्य लोगों के मुकाबले में हार जाते हैं, फेल हो जाते है। आप क्या यह चाहते हैं कि यह लोग कमजोर रहें, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से कमजोर रहें और हमेशा यह आपके गुलाम बनें रहें? इस तरह की भावना आपकी है, इस तरह का आपका व्यवहार इससे साफ प्रकट होता है। आज भी छात्रावासों में लड़के और लड़कियों को खराब से खराब राशन दिया जाता है, खराब से खराब कम पैसे वाली सब्जी दी जाती है। सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इन छात्रावास के लड़के लड़कियों को दस पैसे रोज का नाश्ता देने का प्रावधान है। आपके बच्चे भी नाश्ता करते हैं, उनमें और इनमें क्या फर्क है। क्या

(श्री जयनारायण सालोदिया)

यह फर्क है कि वह मिनिस्टर के बच्चे हैं और यह गरीब के बच्चे हैं। आपके बच्चों का दस नये पैसों में क्या नाश्ता हो जायगा, क्या आपके स्टाफ के बच्चों का दस पैसे में पैनश्ता हो जायगा। आप उनको भी दस पैसे का नाश्ता दोजिये। तो यह जो दस नये पैसे का प्रावधान है, इस दस पैसे में कोई चीज नहीं आ सकती है। जब कि दस नये पैसों में कोई चीज नहीं आ सकती है वहां आपने दस पैसों का प्रावधान रखा है। दस पैसे में दूध नहीं आ सकता है, कोई अच्छा खाना इसके अलावा आप दे नहीं दे सकते हैं, उनको अच्छा कपड़ा नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह योग्य बन सकते हैं......... ....

आपकी भावना से प्रेरित है ये सारे। इसके साथ साथ किन्हीं परिस्थितियों में वे पढ़ लिखकर होशियार हो जाते हैं तो उनको सरकार नौकरियां नहीं दे सकती। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के लोगों को एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज में नाम दाखिल कराने की कोई जरूरत नहीं उनके बगैर ही उनको नौकरी मिल सकती है। मैं पूछना चाहता हूं आपने कितने ऐसे व्यक्तियों को नौकरी दी है? क्या एक भी व्यक्ति को बिना रजिस्ट्रेशन के आपने नौकरी दी है? इस तरह के आदेश जरूर हैं कि बिना एम्प्लोयमेन्ट एक्सकेन्ज में नाम लिखाये ही उनको नौकरी दे दी जाय। यह बात तो दूर जो लोग ओपन कम्पीटीशन में आते हैं वहां पर भी उनको नौकरी देने में भेद–भाव रखा जाता है। सरकारी अधिकारियों का गलत रवैया रहता है योग्य होते हुए भी उनको छोड़ने और छांटने की कोशिश की जाती है। शारीरिक तौर पर उनको कमजोर करना चाहते हैं उनको शिक्षा में आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। यदि कोई पढ लिख्कर योग्य होता है तो उनको नौकरी नहीं मिलती है। एक प्रतिशत लोगों को भी नौकरियों में नहीं लेते हैं और लेते हैं तो उनको ट्रान्सफर प्रोमोशन आदि अन्य चीजों से परेशानी में डाल दिया जाता है। आज कुछ इने गिने लोग वर्लकों में है उनके साथ भी पूरा भेदभाव बरता जा रहा है यह सरकार के लिए कलंक है उनके लिये गिलास अलग रखा जाता हैं चपरासी लोग उनके गिलास को साफ नहीं करते उनको हेय और घृणा की दृष्टि से देखा जाता हैं इससे अधिक लज्जा की बात सरकार के लिये और कोई नहीं हो सकती।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ–साथ एक बात और अर्ज करना चाहता हूं जो लोग सरकार की छात्रवृत्ति पर ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिये बाहर भेजे जाते हैं राजस्थान से बाहर या हिन्दुस्तान से बाहर इसके बारे में सरकार से पूछना चाहता हूं कितनी अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के लड़के और लड़कियों को आपने राजस्थान से बाहर छात्रवृत्ति देकर भेजा है। कितने लोगों को हिन्दुस्तान से बाहर भेजा हैं? यह आपका केवल ढकोसला मात्र है कि अस्पृश्य लोगों के लिये यह छात्रवृत्ति है। मैं सरकार

(श्री जयनारायण सालोदिया)

से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं रिजरवेशन नहीं रखना है तो मत रखें कम से कम समान भाव से तो सोचना चाहिये। देश के बाहर जो लड़के भेजे जा रहे हैं उनमें से एक भी लड़का इन जातियों का नहीं है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया है आज बीस साल के कांग्रेस के इस शासन काल में, लोकप्रिय मंत्रिमण्डल के काल मे एक लड़का या लड़की अन्तर्देशीन छात्रवृत्ति पर नहीं भेजा गया। यह भी सरकार के लिए सोचने और शर्म की बात है। आप नारा जरूर बुलन्द करते हैं कांग्रेस हरिजनों का उद्धार करने के लिए हैं हरि–जनों के लिए गांधीजी ने यह किया नेहरूजी ने यह किया लेकिन आप यह क्यों अन्याय कर रहे हैं आपकी क्या विचार धारा है ?

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ इस रिपोर्ट में कुछ हिदायतें दी गई हैं उस तरफ भी सरकार को ध्यान आकर्षित करना चारता हूँ। इस रिपोर्ट के परिच्छेद में कृषि भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं वह पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

"यह आवश्यक है कि पड़ती जमीन के छोटे और बड़े आकार के भूखंडों के निर्धा–रण के लिए यथाशीघ्र सर्वेक्षण किए जाएं और व्यक्ति विशेष तथा सहकारी कृषि समि-तियों को जमीन देते समय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के भूमि–हीन श्रमिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यह भी वांछनीय है कि उपलब्ध भूमि में से कुछ अनुसूचित जातियों तथा अनु-सूचित आदिम जातियों के लिए निर्धारित कर दी जाए।"

माननीय सभापति महोदय, इस तरह के उद्धरण इस रिपोर्ट में सन् ६२ की रिपोर्ट में आज से पांच साल पहले सरकार को मिली है। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहता हूँ कि ऐस कोई सरवे डिपार्ट–मेन्ट के पास में है ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए यह विभाग है। कभी इस विभाग ने सरवे किया है कि कितने हरिजन और कितने अनुसूचित जनजाति के आदमियों को जिनका धन्धा काश्त है, जो भूमिहीन हैं उनको इन बीस सालों में कितने अनुपात के अनुसार जमीन अलोट की है। आपका विभाग इस तरह की बात नहीं बता सकता तो फिर यह डिपार्ट–मेन्ट है क्यों ? मैं तो यह समझता हूं यह बेकार का विभाग है इसमें सिवाय लोगों के वेतन ड्रा करने के और कोई काम धन्धा नहीं है कुछ लोगों को एम्प्लायमेंन्ट जरूर है वे भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नहीं हैं। इसमें परसन्टेज का भी अगर हिसाब देखा जाय तो कोई एक अफसर भी इन जाति का नहीं है और बाबू लोगों में इनकी सख्या परसेन्टेज के हिसाब से नहीं है। चपरासी जरूर हैं वह इसलिए रखते हैं कि सेवा करना उनका पेशा है, स्वीपर जरूर हरिजन रखते हैं मैं पूछना चाहता हुं इस जगह पर किसी शर्मा साहब को क्यों न रखा? लेकिन आप स्वीपर को ही रखते हैं बाबू आपको बनायेंगे नहीं ? अफसर नही बनायेंगे, डाइरेक्टर नहीं बनायेंगे। हम

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आपको चेलेंज देकर कह सकते हैं कि हमारे में से ऐसे योग्य आदमी हैं जो आपके डाइरेक्टर का काम कर सकते हैं लेकिन आप उनको देंगे नहीं ? आज जो लोग हमारे नाम से हमारे विभाग में रखे गये हैं वे सिर्फ वेतन लेना ही अपना काम समझते हैं क्या वे कभी हमारी भलाई की बातें सोचते हैं ? वे लोग कैसे सोचेंगे जिनमें हमेशा हमारे प्रति घृणा की भावना रही है ? वे कभी हमारे हित की बात सोचेंगे ? कदापि नहीं। वे सिवाय टी० ए०, डी० ए० और अपनी सेलरी लेने के कुछ नहीं सोच सकते। वे हरिजनों को ताड़ना देते हैं, फटकारते हैं। आप कम्पीटिशन कीजिए मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं आज भी हमारे में योग्य आदमी हैं लेकिन उनको उचित स्थान नहीं दे सकते वे हमारे हो सकते हैं लेकिन उनको चान्स नहीं। आज हमारे भले के लिए जो स्थान हैं उन स्थानों पर एसे लोगों को बिठा रखा है जिनकी जन्म से हमारे प्रति घृणा की मनोवृत्ति रही है, वे हमारा भला नहीं कर सकते और न उनके अपेक्षा ही की जा सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि के सम्बन्ध में बात बात कह रहा था। कृषि में जितने अलोटमेंट हुए हैं वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को अलोटमेंट करने की प्रक्रिया है वह इस तरह की भ्रष्ट और रिश्वतखोरी की प्रक्रिया है कि जिसमें दूसरे लोगों के कम्पिटिशन में इन लोगों को खड़ा होना पड़ता है, उन लोगों के कम्पिटिशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचितजन जाति के लोग टिक नहीं सकते। इसी कारण जितनी कृषि भूमि अलोट हुई है इन रूल्स के बावजूद भी अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाय, इनके लिये जमीनों को अलोटमेंट रिजर्व होना चाहिये, यह सब होने पर भी उनको १० परसेंट लोगों को भी जमीनें नहीं दे सके हैं। कृषि सहकारी समिति के बारे में मैंने बताया कि उन पर मुकदमें चल रहे हैं, वे लोग जमीने छोड़ने को तैयार हैं, उनको जमीनें छोड़ने के लिये केस लगा कर मजबूर कर दिया गया है। आप हमें जमीनें नहीं दिला सकते, आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते, हमारी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं रख सकते, फिर आप किस मर्ज की दवा हैं, क्या करते हैं वहां बैठे बैठे ?

माननीय सभापति महोदय, मैं इस रिपोर्ट के कुछ अंश और पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : कौन सी रिपोर्ट है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने पहले बता दी। ६२ की है। आपके काबू की चीज नहीं है........

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरे काबू की तो सब है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपका पदार्पण अभी हुआ है न।

यह हिन्दुस्तान के लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है, उसमें हमारे एक सदस्य थे, उसके लिये लिखा है। एक मात्र सदस्य थे। लिखा

(श्री जयनारायण सालोदिया)

है कि "मैं एक मात्र सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सारे हिन्दुस्तान के लिये हूं।" उन्होंने आगे जा कर राज्य सरकारों को भी हिदायत की है।

तो मैं राजस्थान सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि ऐसे बोर्ड हैं, जिनमें सदस्य सरकार नामजद करती है, क्या सरकार की नीति नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधि के रूप में उन बोर्डों में, हमारी आबादी का राजस्थान में बहुत बड़ा भाग है, इसके प्रतिनिधि बोर्डों में जा कर बैठें वहां बैठ कर हमारे हकूक की हिफाजत कर सकें। पर सरकार ऐसा कतई महसूस नहीं करती। सरकार महज एडवरटाइजमेंट करना चाहती है, शो मात्र करना चाहती है, काम नहीं करना चाहती।

श्री नारायणसिंह मसूदा (समाज कल्याण मंत्री) : चेअरमैन महोदय, अगर माननीय सदस्य ६३–६४ की रिपोर्ट की भूमिका में भाषण करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह और भी दुःख का विषय है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि ६३–६४ में हिदायतें मिली हैं, उनका राज्य सरकार ने पालन नहीं किया है। क्या क्या हिदायतें थीं, उनका पालन किया या नहीं किया, यह पूछने का हमारा अधिकार है. हम यह पूछ सकते हैं कि किन-किन हिदायतों का पालन किया, क्या क्या हिदायतें थी। वरना हर साल रिपोर्ट आयेगी, हम उनको डिस्कस करते रहेंगे और फिर उन रिपोर्ट्स को रद्दी की टोकरी में फैंक दिया जायगा। इसलिये हम यह पूछ सकते हैं कि पहली रिपोर्ट पर क्या किया ?

जैसे लोक सेवा आयोग है, बिजली बोर्ड है, यातायात निगम है, खादी बोर्ड है, कई इस तरह की संस्थाएं हैं, जिनमें सरकार सदस्य नामजद करती है, इनमें सदस्य नामजद करने का सरकार को अधिकार है। इन बोर्ड्स में, इन संस्थाओं में अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिये सरकार क्यों नहीं अनुसूचित जन–जाति और अनुसूचित जाति के लोगों में से सदस्य नामजद करती ? जब सरकार यह भावना बताती है कि हम हरिजनों का उत्थान करते हैं तो इनके प्रतिनिधियों को इन बार्डों में, इन संस्थाओं में क्यों नहीं नामजद करती ?

इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट का एक भाग और था, जिसमें रिहायशी मकानों के प्लाट्स के लिए गवर्नमेंट को हिदायतें की गई है। जहां तक रिहायशी मकानों के लिए प्लाटों का सम्बन्ध हैं, शहरों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जैसी संस्थाएं काम करती हैं। लेकिन मैं अन्य शहरों की बजाय जयपुर के लिए सरकार से पूछना चाहता हूं कि यहां ट्रस्ट की तरफ से हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद कितनी स्कीमें बनी, इन स्कीमों में कुल कितने प्लाट्स लोगों को दिये गये और उनमें से कितने प्लाट्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को दिए गये।

मुझे जहां तक जानकारी है जितनी स्कीमें बनी हैं, चाहे गांधी नगर की स्कीम,

(श्री जयनारायण सालोदिया)

चाहे, बनी पार्क की स्कीम, चाहे अन्य स्कीमें हैं, जो ५० के करीब स्कीमें जयपुर में बनीं, उनमें से एक पर भी अवाप्ति के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को रियायती पट्टे दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग अन्य लोगों के कम्पिटिशन में आकर प्लाट्स नहीं खरीद सकते, मकान नहीं बना सकते तो क्या आप उनको झोंपड़ियों में ही रखना चाहते हैं। आपकी २० साल की आजादी के बाद उनकी आज भी वही हालत है जो उनकी ५० साल पहले हालत थी। क्या कृषि के सम्बन्ध में क्या और किसी प्रकार के कार्य के सम्बन्ध में क्या सरकार के पास कोई कार्यक्रम है, क्या कोई योजना है, इन लोगों का उत्थान करने के लिए, यह सरकार बताये ?

आज जो उन लोगों के मकान थे, इन लोगों की पुरानी बस्तियां थीं, कोट के अन्दर और बाहर, उनको स्कीमों के अन्तर्गत हटा दिया गया है, कहीं सड़क के से नाम, कहीं सिनेमा के नाम से, कहीं पार्क के नाम से इनकी पुरानी बस्तियों को हटा दिया गया है। कहीं कोई साहब के नाम से, कहीं स्कूल और कालेज के नाम से इन लोगों की झोंपड़ियों को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। पहले ये लोग शहर में आबाद थे। आज यह हो रहा है कि ऐसे लोगों को, दूर एक तरफ बसाया जा रहा है। होना यह चाहिये कि इनको भी सब लोगों के साथ बसाया जाय ताकि औरतें आपस में मिलें, भेदभाव मिटे पर आज और ही हालत हो रही है। इससे उल्टा हो यह रहा है कि जो पहले सैंकड़ों सालों से, पीढ़ियों से शहर में आबाद थे उनको वहां से हटा कर जयपुर से दो-दो तीन-तीन मील दूर पर बसाया जा रहा है। इस तरह की भावना को बनाया जा रहा है कि यह हरिजनों की बस्ती है, यह कोलियों की बस्ती है, इस तरह की भावना रहे। जो हमेशा से शहर में आबाद थे, उनको वहां से उठा कर मीलों दूर बसाना चाहते हैं। इस मानें में अगर आप इन लोगों का उद्धार करना चाहते हैं तो यह आपकी विचारधारा गलत है।

अगर आप सही माने में इनका उद्धार करना चाहते हैं, इन पिछड़े हुए लोगों का उत्थान करना चाहते हैं तो जितनी भी इम्प्रूवमेंट की आपकी स्कीम्स होती हैं उनमें जो जमीनों के पट्टे दिये जाते है इन लोगों को उनमें रियायती दर पर पट्टे दीजिये, फ्री मकान दीजिये।

श्री सभापति : काफी समय ले लिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : थोड़ी देर के लिये और।

सभापति महोदय, मैं मकानों के संबंध में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं।

अभी अभी तीन चार रोज पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था विधान सभा के माध्यम से और उसमें मैंने यह जानकारी चाही थी कि टोंक डिस्ट्रिक्ट और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में गत एक साल में मकानों के लिये सहायता किस-किस कस्बे में, कितना-कितना रुपया

(श्री जयनारायण सालोदिया)

दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े दुख के साथ यह आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, इससे यह साबित हो जायेगा कि सरकार की एक भेदभाव पूर्ण नीति है। सरकार की इस तरह की भावना है, इस तरह की नीति है कि जो ज्यादा बोले, जो ज्यादा नजदीक रहे, जो अफसरों को खुश कर सके, जो खुशामद कर सके, उसको सरकार से ज्यादा पैसा मिले। जो गरीब है, अनपढ़ है, जो सरकार तक नहीं पहुंच सकते उनको पैसा नहीं मिले। यह कोई सुन्दर बात नहीं है सुन्दर भावना नहीं है और न यह न्याय-सगत है। यह आंकड़े मैं रख रहा हूं, यह दो तीन दिन पहले के ही हैं। इसमें बताया गया है कि टौंक जिले में पूरे जिले में गये साल एक गांव को ७५ हजार रुपये की सहायता दी गई है टौंक जिले में। इसके साथ ही साथ जयपुर जिले में १६७ हजार के करीब सहायता दी है। हम यह मान सकते हैं कि जयपुर जिला टौंक जिले से बड़ा है, यहां लोग नजदीक हैं इसलिये ज्यादा समाज कल्याण तक पहुंच सकते हैं, पर यह तो मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय विचारधारा से गलत बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट को ७५ हजार रुपया दें और दूसरी डिस्ट्रिक्ट को १६७ हजार दें। डिस्ट्रिक्ट में भी केवल एक गांव को दिया है मालपुरा को। टौंक, निवाई, उणियारा, देवली को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, जिले में भी केवल एक गांव को दिया। इस प्रकार का भेदभाव, यह आपके घर का पैसा नहीं है कि इस प्रकार की भेदभाव की कार्यवाहियां करते हैं ....

मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय सभापति महोदय कि हमारे यहां से निवाई से गत तीन सालों से इस तरह के प्रार्थना पत्र आ रहे हैं कि उनको मकानों के लिए सहायता दी जाय लेकिन उन पर कोई गौर नहीं किया जाता है, न मालूम कहां पड़े हैं। उसके साथ-साथ जयपुर में जैसा मैंने बताया १,६७,००० रुपए दिए हैं और टौंक में मालपुरा के एक गांव में ७५ ०००) दिए हैं। यह जिले और जिले में भेदभाव और फिर गांव गांव में भेदभाव। क्या समाज कल्याण विभाग समझता है कि मालपुरा में ही हरिजन बसते हैं, उनियारा, टौंक और देवली में नहीं बसते हैं एक गांव में सिर्फ ७५,०००) दिया और एक जिले में १,६७,०००)। तो जो वितरण की व्यवस्था है न मालूम कैसी है। खुला खजाना है, जिस पर मेहरबानी हो गई मुगले आजम की, उसको निहाल कर दिया और जिस पर नाराजगी हो गई तो कंगाल कर दिया, यह कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है, सरकार का मापदण्ड और आधार नहीं है कि एक जिले में २ लाख और दूसरे जिले के एक ही गांव में ७५,०००), और कहीं हरिजन नहीं हैं? यह तो आपकी मोनोपोली हो गई। आपकी जेब का पैसा हो गया जिसको मर्जी आई दे दिया और जिस पर मर्जी आई इन्कार कर दिया। यह आपकी उसी भावना से प्रेरित है, यह आपकी भावना को प्रकट करता है कि आप कितने हमारे प्रति चिंतित हैं, कैसे मकानों की स्थिति सुधरे, यह आपके दिल में ठेस है प्रतीत होती है। आपका हमारे प्रति कोई उत्तरदायी नहीं हैं, हमारे प्रति चिंतित नहीं हैं, हमारे प्रति जिम्मेदारी नहीं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

हैं। आप सारा पैसा इस तरह से खर्च करते हो जैसे कोई घर का पैसा हो, अपनी जेब से बांट रहे हों....

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसी के साथ साथ में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। इस विभाग ने बहुत सा पैसा ऐसी संस्थाओं को दिया है जो विभिन्न नामों से राजस्थान में प्रचलित हैं और वे नाम इस तरह के हैं कि उनके पूरे नाम तो याद भी नहीं हैं, लेकिन कुछ नाम याद करने की मैंने कोशिश की है। हरिजन सेवक संघ, आदिम जाति संघ, घुसकड़ जाति संघ, समाज कल्याण बोर्ड, दलित वर्ग संघ और इस तरह के कई संघ हैं बकरियों के और भेड़ों के राजस्थान में। आखिर पैसा कहां जाता है? इन सबके माध्यम से खर्च करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : एम० एल० एज० को कांग्रेस में मिलाने का एक सघ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह भी है। मैं उसके लिये भी कहूंगा।

श्री सभापति : डिबेट को मोनोपोलाइज मत करिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमारे दल की तरफ से शायद बहुत कम सदस्य बोलेंगे। इसलिए महरबानी चाहता हूं कि मुझे समय दिया जाय। इन सबको जो भी रुपया दिया जाता है उसको भी मैं अलग अलग बताना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इन सब संस्थाओं को किस किस रूप में कितना कितना रुपया दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। उन रुपयों का क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्यों नहीं आडिट रिपोर्ट और प्रगति विवरण सदन में पेश होते है। हम करोड़ों रुपए साल में देते है, समाज कल्याण विभाग के बजट से देते हैं। हमारे पैसों में से देते हैं, फिर उनका हिसाब नहीं है कि वे संस्थायें काम करती हैं। जिन भी संस्थाओं को सहायता दी जाती है उन सब की आडिट रिपोर्ट व प्रगति विवरण पेश होने चाहिये थे। क्या वजह है कि उन संस्थाओं के करोड़ों रुपये हर साल दें और उस सम्बन्ध में जानकारी नहीं ले सकें कि यह वाजिब है या गैर वाजिब है, क्या काम करती हैं और रुपयों का उपयोग हुआ या नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किन किन लोगों के हाथ में संस्थायें हैं, ये सारी बातें देखने को अवश्य मिलनी चाहिये।

तो सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अच्छा होता, इस रिपोर्ट के साथ उन संस्थाओं के प्रगति विवरण और ऑडिट रिपोर्ट भी हमारे समक्ष पेश होते, जिससे हम देख कर बता सकते कि अमुक अमुक वाजिब हैं, अमुक अमुक संस्थाओं ने इस तरह की गड़बड़ी की है इसलिए सहायता नहीं मिलनी चाहिए लेकिन यह सब आप हमसे दूर रखना चाहते हैं और सिर्फ इस रिपोर्ट

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मात्र पर डिस्कस कराना चाहते हैं, यह गैर वाजिब है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि आपकी घंटी बज रही है मैं इन सब संस्थाओं में से एक ही संस्था का मामला आपके सामने रखता हूं—राजस्थान समाज कल्यान बोर्ड।

श्री सभापति : आपने करीबन एक घंटा ले लिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड क्या है ? इसमें कौन कौन हैं ? इस संबध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड वह है जिसमें मुख्य मंत्रीजी की पत्नी श्रीमती इंदूबाला सुखाड़िया उसकी सभापति हैं। मुझे इससे कोई दुख नहीं, परेशानी नहीं कि श्रीमती इंदूबाला सुखाड़िया उसकी सभापति रहें, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हमने जितना रुपया उनको दिया है, हमारे टैक्पेज के पैसों से जितना रुपया हरसाल देते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है प्रथम कर्त्तव्य है कि हम उस संबंध में जानकारी करें कि फलाने व्यक्ति को एक लाख रुपया दिया है, काम भी किया या नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपने कभी उस समाज कल्याण बोर्ड को चेक किया है ? कभी समाज कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट सदन में पेश की है ? कभी उसकी आडिट रिपोर्ट सदन में पेश की है जिससे पता लगे कि समाज कल्याण बोर्ड में क्या क्या घोटाले और घपले हैं। उस बोर्ड को हमने गई बार डेढ़ या पौने दो लाख अनुदान दिया है। एक लाख और कितना समाज कल्याण विभाग की ओर से और कुछ विकास विभाग ने भी उसको अनुदान दिया है। एक साल से पहले श्रीमती इंदूबाला सुखाड़िया उसकी अध्यक्ष थीं और उस बोर्ड के खिलाफ किसी ने केन्द्रीय सरकार से शिकायत की और केन्द्रीय सरकार का एक इन्कवायरी आफिसर यहां आया, उसने बोर्ड का आडिट करवाया और आडिट रिपोर्ट में इस तरह के अंश सामने आए जिनकी वजह से श्रीमती इंदूबाला सुखाड़िया को बोर्ड की अध्यक्षता से त्यागपत्र देना पड़ा। क्या सरकार बता सकती है कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया ? क्या सरकार यह बता सकती है कि उस बोर्ड के हिसाब किताब में, आडिट रिपोर्ट में कितने रुपये का घोटाला है ? क्या सरकार बता सकती है कि घोटाले के बाद भी हमने इस साल दो लाख रुपये की एड क्यों दी हैं ? वह बोर्ड ऐसा क्या विशेष काम करता है सिवाय इसके कि उसमे श्रीमती इंदूबाला सुखाड़िया उसकी अध्यक्ष थीं। कौन अधिकारी उसकी खिलाफत करता। जो प्रोपोजल्स आते, जो प्रस्ताव आते, सिर्फ येस होता था उस बोर्ड के लाखों रुपये घोटाले की केन्द्रीय सरकार की तरफ से इसकी इनक्वायरी हुई है, ऑडिट रिपोर्ट में सारे घोटाले अंकित हैं और उन सबसे बचने के लिए श्रीमती सुखाड़िया ने उस बोर्ड से त्यागपत्र दिया और उसके बाद आज तक उस बोर्ड का अध्यक्ष नहीं। ये सब बातें इस तरह की संस्थाओं में है कोई हरिजन सेवक संघ तो कोई और

(श्री जयनारायण सालोदिया)

संघ। इस तरह की जो संस्थाएं हैं, उनके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आगे इस तरह की जो भी रिपोर्टस् आप पेश करें विभाग के संबंध में डिस्कस करने के समय, उससे पहले जिन जिन संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता दी जाती है, अनुदान दिया जाता है उसका प्रगति विवरण और आडिट रिपोर्ट पेश होना चाहिए जिससे हमें जानकारी हो....

माननीय सभापति महोदय, अब मैं पांच मिनिट के लिये....

श्री सभापति : समय बहुत हो गया है। अब आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री जयनारायण सालोदिया: एम० एल० एज़० के लिये अर्ज कर देना चाहता हूं। यह सरकार हरिजनों का कितना उत्थान करने वाली है।

श्री हीराभाई : यह तो सुखाड़िया का उत्थान करने वाली है, हरिजनों का नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : थोड़ा आप सुनें ठंडे दिमाग से। एक तरफ हमारी यह भावना है कि हम वातावरण को शुद्ध करें लोगों की भावनाएं बदलें, उनके संस्कार बदलें। दूसरी तरफ इस कांग्रेसी सरकार ने गैर कांग्रेसी हरिजन सदस्यों को इस विधान सभा के गैर कांग्रेसी हरिजन सदस्यों को जिस दुर्भावना से अपने स्वार्थ साधन हेतु तोड़ा है, हरिजनों के साथ जो गद्दारी की है, उनके चारित्र का पतन किया है वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चुनाव के बाद जितने भी....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, ये ही बोलते जा रहे हैं क्या हमें समय नहीं मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक मिनिट साहब।

श्री सभापति : आप यह जो कह रहे हैं, इस रिपोर्ट का विषय नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : विषय तो है सभापति महोदय। एक तरफ हमारे संस्कारों को, भावनाओं को बदलने के लिये सरकार समाज कल्याण विभाग चलाती है। और चाहती है कि हमारा नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और साथ ही साथ राजनैतिक चारित्र भी ऊंचा हो। पर इस सरकार ने उल्टा उनके चारित्र को गिराने का, भ्रष्ट करने का काम किया है वैसा हरिजनों के साथ और कोई करने वाला नहीं है। इस सरकार ने....

श्री सभापति : श्री चुन्नीलालजी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री जयनारायण सालोदिया : एक इस तरह की समाज में भावना पैदा हुई है इससे कि लोग हरिजनों के बारे में सम-

(श्री जयनारायण सालोदिया)

झने लगे हैं कि ये बेकार हैं, नालायक हैं, चरित्रहीन हैं ये बिकने वाले लोग हैं, चन्द टुकड़ों में। इस तरह की भावना पैदा करके हरिजनों के चरित्र को इस सरकार ने गिराया है और लोगों की भावना को उनके प्रति खराब बनाया है। आज कोई भी हरिजन सदस्य अपने चरित्र को गिराकर भ्रष्ट होकर उधर चले गया हैं वे आज अपना सिर ऊंचा करके नहीं चल सकता। होटलों में बैठ कर आराम से चाय नहीं पी सकता अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा नहीं सकता। यह है सरकार के कारनामे हरिजन उत्थान के।

एक माननीय सदस्य : सदन में कांग्रेस के भी आये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये गुलाम सदस्य।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक सेकंड। यह निवेदन कर देना चाहता हूं आप लोगों से कि सब हरिजन बेवकूफ नहीं हैं पागल नहीं है। इसके बाद में आपने किया क्या? आप इतने टूट गये। कुछ करें वहां जाकर। नीचा सिर करके बैठते हैं। पर इसके बाद भी मन्त्री मण्डल में आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आपको डूब मरना चाहिये। वहां जाकर आपने किया क्या? चुपचाप सिर नीचा करके बैठे हैं। हरिजनों का कोई प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं कायम कर सके। यह न आपके लिये शर्म और लज्जा की बात है। और मैं सभापति महोदय, इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं सरकार को ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य। श्री चुन्नीलाल।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय सभापति महोदय, एक सेकण्ड।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलालजी।

श्री चुन्नीलाल : सभापति महोदय, आज खुशी की बात है और साथ साथ दुख की भी बात है। आज समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट पेश की गई है।

इस विभाग ने कितना हरिजनों का कल्याण किया है यह हर गरीब हरिजन जानता है। जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय महात्मा गांधी ने गरीब तबके को ऊंचा उठाने के लिये आवाज बुलन्द की।

देश आजाद हुआ देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी के हाथ में शासन की बागडोर आई। इसके बाद धीरे धीरे हुआ क्या? हरिजन जाति का कल्याण होने के बजाय उसका शोषण दिनों दिन बढ़ता गया।

माननीय सभापति महोदय, आज चाहे हरिजन छात्रावास का विषय देख लीजिये चाहे हरिजन बस्तियां देख लीजिये, हरिजनों

(श्री चुन्नीलाल)

के रहन सहन को देख लीजिये किसी भी विषय में इस वर्ग को आज २० साल बाद भी पिछड़ा हुआ है। आज बराबर के सामाजिक अधिकार उसको नहीं है। आज बड़े बड़े शहरों में और जो छोटे छोटे शहरों में भी हैं हरिजनों की क्या हालत है ? आज भी वे मैला ढोने वाले वैसे ही हैं। आज कांग्रेस में बैठे हुए हरिजनों के हिमायती लोग देखें रहे हैं समाज कल्याण की यह रिपोर्ट। आज जब यह रिपोर्ट सदन में डिसकस हो रही है तो सदन खाली पड़ा है। यह है उनकी हमारे हितों में दिलचस्पी का नमूना। और हरिजनों का ऐसा प्रतिनिधि भी नहीं है जो सरकार में कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से बोल सके।

माननीय सभापति महोदय, इस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के भूतपूर्व मन्त्री यादव साहब कहते हैं कि हम उनसे कुछ उम्मीद करते थे हिन्दुस्तान में जैसे डा० अम्बेदकर जी हुए वैसे ये राजस्थान के हैं। पर हालत उल्टी ही हुई आज इन जैसे तथाकथित नेताओं के रहते हुए राजस्थास में हरिजनों का सामाजिक शोषण बन्द नहीं हुआ है। गुलामी के दिनों से भी ज्यादा खराब हालत आज किन्हीं अर्थों में है।

सभापति महोदय, बड़े दुख की बात है कि जो हरिजन विधायक कांग्रेस दल में बैठे हैं और कांग्रेस में बाद में गये हैं, वे जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं मैं इसके लिये अधिक नहीं कहता। सवाल इस बात का है कि आज हरिजनों की इज्जत पर और बीस साल पहले जो हालत थी उस समय की हरिजनों की इज्जत पर क्या फरक पड़ा है।

आज भी हरिजनों की इज्जत दिन दहाड़े लूटी जा रही है। खरीदी जा रही है। लानत है ऐसी सरकार को जो गरीब तबके की इज्जत पर डाका डालती है, उसकी इज्जत खरीदती है और फिर उसे नीचे दबाने की कोशिश करती है।

माननीय सभापति महोदय मुझे दुख है कि समाज कल्याण विभाग जो कि हरिजन समाज में सेवा के लिये कायम किया गया है, ऐसे परिवारों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता जो वास्तव में उसकी देखभाल के मोहताज हैं। इस कांग्रेसी शासन में जो हरिजन परिवार के सदस्य गोली से उड़ाये गये है उनके परिवार वालों में से किसी एक को भी सहायता नहीं दी गई। एक तरफ समाज के कल्याण की बात करते हैं, दूसरी तरफ शोषण कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बड़े दुख की बात है। मैं उस घटना की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस में बाडमेर के साइड में हरिजनों के नाक कान काटे गये। उनके परिवार को, उन लोगों को सरकार की तरफ से क्या सहायता दी गई। मैं इस बात की तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं नाक कान कटे उन लोगों की क्या सहायता की गई ? और मैं भूतपूर्व समाज कल्याण मन्त्री से भी पूछना चाहता हूँ आप जब समाज कल्याण मन्त्री थे उस वक्त

(श्री चुन्नीलाल)

राजस्थान में कई जगहों पर गोली चलाई गई, हरिजन गोली से उड़ाये गये उनके परिवार वालों को क्या कोई सहायता दी गई या जमीन दी गई। ऐसे मामलों में कुछ नहीं किया गया। समाज को नीचे दबाने की नीति इन की आज भी है। सारे काम इनके ऐसे हैं कि इस समाज को नीचे दबाये रखा जाय।

हरिजन छात्रावास और बस्तियां अलग से बसाने की क्या जरूरत है? उनको भी सबके साथ रहने का अधिकार है। तो क्यों नहीं वे सामान्य छात्रावासों में उनको भी अधिकार रहने का देते हैं? क्यों यह रिजर्वेशन लगा रखा है। अलगाव तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्यों नहीं सभी लोगों के साथ हरिजनों को भी मकान लेने बसने का अधिकार देते हैं; अलग से बस्तियां शहर से मील दो मील बाहर क्यों बसाते हैं। यह सब किस लिये? यह अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये किया जा रहा है। जिस दिन यह रिजर्वेशन खतम हो जायगा उस दिन कांग्रेस की सरकार भी नहीं रहेगी। बड़े दुख की बात है। आग हरि जन नेता राजस्थान में नहीं हों.......

श्री केसरीसिंह : हरिजनों के भरोसे तो यह राज ही चल रहा है।

श्री चुन्नीलाल : कोई मन्त्री आज इनका नहीं है। इनकी कोई इज्जत नहीं है वहां। उनको स्वाभिमान के नाते त्यागपत्र दे देना चाहिये। एक तरफ वोट मांगने आते हैं तो हमें कहते हैं हम तो गांधीजी की औलाद हैं।

एक माननीय सदस्य : क्रास ब्रीड हैं।

श्री चुन्नीलाल : वह गांधीजी की औलाद। माननीय सभापति महोदय वह गांधीजी की औलाद खतम हो चुकी और वह वक्त भी खतम हो चुका। माननीय सभापति महोदय, बड़े दुख की बात है कि जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद ने इस लिये कुर्बानी नहीं की थी, इसलिये फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़े थे कि देश के अन्दर ऐसे गुर्गों के हाथ में राज आ जावेगा वे इसलिये फांसी पर नहीं लटके थे कि उनका शोषण हो। आज भी सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अगर हरिजनों का शोषण इसी प्रकार होता रहा तो और भी चन्द्रशेखर आजाद पैदा हो सकते हैं। वे आपका मुकाबला करने के लिये तैयार हो सकते हैं। हरिजनों के हर मामलों मे शोषण हो रहा है। शिक्षकों को ही ले लीजिये। शिक्षा के माने में उनको बेकवर्ड रखा जा रहा है। उनके छात्रावासों में शिक्षा की व्यवस्था को देख लीजिये, उनके कपड़ों को देख लीजिये, उनकेखाने की व्यस्था को देख लीजिये और दूसरी तरफ प्राइवेट छात्रावासों को देख लीजिये जो चल रहे हैं उनमें कैसी व्यवस्था है। इसलिये आपके द्वारा, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जहां पर कालेज हैं वहां पर छात्रावास हैं वहां पर उनको भी साथ रखें। कालेज नहीं हैं और उनसे नीचे पढ़ने वाले विद्यार्थ

(श्री चुन्नीलाल)

उनको सहायता दीजिये। आपने कन्ट्रोल कर रखा है। उनके दिमाग पर ब्रेक लगा रखा है। एडमिशन लेना है तो पचास से सिफारिश कराते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का गांवों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पंचायत समितियों के द्वारा वजीफे दे रहे हैं। रिकार्ड देख लीजिये। किनको दे रहे हैं? कब देते हैं। पूरा साल खत्म हो जाता है तब देते हैं। किस तरह से देते हैं उसके लिये भी रिकार्ड को देख लीजियें आपको पूरी तरह मालूम हो जावेगा।

सभापति महोदय आपकी मार्फत मैं माननीय मंत्रीजी का उस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग ने समाज का कितना कल्याण किया है। हरिजन पशुओं की खेली में पानी पीते हैं। जहां कुत्ते पानी पीते हैं वहां पर हरिजन पानी भरते हैं। मैं उनको चैलेन्ज करता हूं वे इसकी जांच करा लें। जहां कुत्ते पानी पीते है, पशु पानी पीते हैं वहां हरिजन पानी भरते हैं। गांधीजी का नाम लेकर कांग्रेसी भाई कहते हैं कि हमने हरिजनों का उद्धार किया है। लम्बे लम्बे नारे लगा कर लोगों को ठगते हो लेकिन उनका शोषण करते हो। जिस समाज से आपको राज मिला है यदि उसका शोषण करेंगे तो आपका राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और आप उसमें समाप्त हो जाओगे।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मण जी।

श्री लक्ष्मण (डग) : माननीय सभापति महोदय, समय बहुत कम रह गया है। जिस प्रकार का विषय हमारे सामने है उस पर इस अल्प समय में विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रथम ही मैं यह निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय बढ़ाया जाय।

जिस विषय पर हम विचार करने जा रहे हैं वह अत्यन्त ही गम्भीर विषय है। हमें विचार करना पड़ेगा कि यह केवल हमारी आवश्यकता का विषय नहीं है, हमारी समाज को समान स्तर पर लाने का विषय है, पूरे मानव समाज का प्रश्न है। उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

वर्तमान में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको मैंने पढा है। मैं सदन में बैठने वाले दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों और दोनों पक्षों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर उनके समुचित अधिकारों के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें क्योंकि हम लोगों ने अब तक बड़ी-बड़ी कठिनाइयां सही हैं। यों तो कांग्रेस के लोग बड़े-बड़े उदाहरण देकर कह देते हैं कि हमने बड़ी-बड़ी सेवायें की हैं। जो कुछ सेवायें कीं उनका मुआवजा बहुत चुका लिया। मैंने यह पढ़ा कि सन् १९६२ में राजस्थान में एक पंचायती राज के अध्ययन दल की एक समिति गठित की गयी थी। उसने सन् १९६४ में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें यह कहा गया था कि सर्वेक्षण किया जाय कि पंचायती राज में क्या-क्या काम हो रहे है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसने कोई रिपोर्ट बाद में नहीं दी और दो

(श्री लक्ष्मण)

बातें कहीं। धनाभाव के कारण इस वर्ष में काम होने से रह गया। काम विशेष नहीं हुआ और जो काम हुआ उससे धनी वर्ग को लाभ हुआ और लेबर वर्ग को नहीं हुआ। राजकीय रिपोर्ट भी यही कहती है कि बहुत सा धन समाज कल्याण विभाग के खाते में, पंचायत समिति के खाते में पड़ा रहा लेकिन हमारे अधिकारियों ने किसी प्रकार हमारे साथ सहानुभूति नहीं बरती। माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार की ओर से धन मिला तो उसका उपयोग करने के लिए हमारे अधिकारियों ने विशेष रुचि नहीं बतायी यह हमारे अधिकारियों की हीनता की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम पर्याप्त रूप से इस प्रकार के नियम बनाएं, आदेश दें जिससे उन बातों का निपटारा हो सके।

४.५८ म० प०

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वैसे तो इस वर्ग के जो लोग चुन कर आये हैं उन्होंने अपना नैतिक स्तर गिरा कर दल का परिवर्तन किया है। जिन लोगों ने दल का परिवर्तन किया है उनसे हमारे ही लोग अधिक संख्या में हैं। कारण क्या है? व्यक्तिगत तौर पर कुछ बातें कह कर कह सकते हैं कि हमने समाज का भला करने के लिए अवसर हाथ में लिया है। लेकिन यह बात नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत बातों के आधार पर दल परिवर्तन कर लिया है। उनको यह समझ लेना चाहिये कि दल परिवर्तन के बाद शायद पांच वर्ष तो वे सुखी रह सकते हैं लेकिन छठे वर्ष जो उनका अभिवादन होने वाला है उसकी उनको तैयारी कर लेनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति हो तो समय बढाया जाय।

श्री प्रेमसिंह : कितना? इनका भाषण समाप्त हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर विचार आज समाप्त होना है।

श्री केसरीसिंह : दो रोज का प्रोग्राम है।

श्री रोशनलाल : टाइम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लक्ष्मण : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्थिति हमारे राजस्थान में हुई है, रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की बड़ी दुर्दशा है। समाज में अधिकारों के पाने की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय १५ मिनिट के लिये बढाया जाता है।

श्री लक्ष्मण : पीने के पानी की समस्या है। बड़ी मुश्किल से पानी उपलब्ध होता है। कुओं पर चढने की अनुमति नहीं होती है। यह खराब बात है। होटलों आदि में प्रवेश निषिद्ध है और बाकी की चीजों के लिये तरसाया जाता है। समाज कल्याण विभाग या इससे सम्बन्धित विभाग हैं केवल खाना पूर्ति कर देते हैं यह बड़ी बुरी बात है।

(श्री लक्ष्मण)

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों को जिस प्रकार से इस वर्ग को साथ लेकर चलना चाहिये उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मां अपने बच्चे को जब तक वह अबोध रहता है तब तक दिशा ज्ञान कराती हुई जब तक बालक सोचने की क्षमता प्राप्त न कर ले तब तक उसको अपनी शह पर चलाती है, उसकी तब तक आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार हमारे इस वर्ग की दशा है। जब तक इनको अपने अधिकारों का समुचित ज्ञान न हो जाय

(५ म० प०)

तब तक उनको, जो हम लोगों के साथ विशेष प्रकार की रुचि रख कर काम करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे बड़े-बड़े कई लोगों ने इस प्रकार की बातें रखी हैं, कुछ दल परिवर्तन की बातें भी की हैं वह इस वर्ग को गिराने वाली बातें हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि जिन लोगों ने दल परिवर्तन किया है उन्होंने इस प्रकार की दलीलों से कर लिया है। बाकी लोगों के सामने किसी प्रकार की दलीलें दे दें लेकिन एक बात अभी भी हमारे सामने है कि हम शिड्यूल्ड कास्ट के कहलाते हैं लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के विचार भी हमारे अन्दर मौजूद हैं यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसका फायदा अवसरवादी लोग उठा रहे हैं और सत्ता की बागडोर सम्भाले हुए हैं और हमसे कहते हैं कि अगर हम लोगों ने सत्ता की बागडोर नहीं सम्भाली तो हम लोगों के उतर जाने के बाद जो हमारी हालत सन् ४७ के पहले अंग्रेजों के जमाने में थी वैसी की वैसी हालत हम लोगों की फिर बन जायेगी। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बड़ी गम्भीर समस्या है और इस समस्या के लिए कुछ ऐसे नियम उपनियम विशेष तौर से बनाये जाने चाहिये।

जो पैसा बजट के अन्दर मौजूद है, वह संस्थाओं को दिया जाय और उन सब का सदुपयोग होना चाहिए और राजस्थान के सारे गांवों में इस बात का सर्वेक्षण कराया जाय कि कहां-कहां पर किस-किस जाति के कितने लोग हैं और उन लोगों के लिए अधिकारियों को ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि उन लोगों को अपने अधिकार मिल पायें और वे अपने बाकी समाज के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें और हमारे समाज के अन्दर जो आपसी झगड़े होते हैं उनसे बच कर सुखी जीवन व्यतीत कर सकें, इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायंकाल ५ बज कर २ मिनिट पर बुधवार दिनांक १९-७-१९६७ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

————

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ८७० का उत्तर देखिये)

कोटा के लिये विदेशी मदिरा के होलसेल व रीटेल लाइसेन्स के आवेदकों की सूची।

होलसेल के लिये :-

१. मोहन ब्रदर्स, दिल्ली

२. आर० एम० बजाज, नई दिल्ली

रिटेल के लिये :-

१. श्री विनय कुमार भार्गव, भीमगंज, कोटा

२. श्री हरिहर दास श्रीवास्तव, कोटा

३. श्री इन्द्रभान कोटा

४. श्री आर० एम० बजाज, नई दिल्ली

५. श्री ठाकुर चतुर सिंह राठोड़, सुमेल

६. श्री नेवेन्दराम, गुमानपुरा, कोटा

७. श्री भूरालाल टांक, भीलवाड़ा

८. श्री लाडूराम महोनलाल कोटा

९. श्री नोशेर फरहाम खां, भीमगंज मंडी, कोटा

१०. श्री रतनलाल नरेन्द्रप्रताप कोटा

११. श्री मोहन ब्रदर्स, दिल्ली

१२. श्री वीरेन्द्र सिंह चावला, गोल कोठी, कोटा

१३. श्री प्रेमलता रमेश चन्द्र, जयपुर

———

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ८७३ का उत्तर देखिये)

परिशिष्ट (क)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	ऋण की धनराशि	ऋण देने का वर्ष	ऋण को इस्तेमाल करने के लिए उद्योग धन्धा	ब्याज की दर	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१ (क)	मेसर्स जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर	६०,००,०००	१९५६–५७	थरमल प्रोड्यूसिंग प्लान्ट लगाने हेतु	६ प्र. प्रतिवर्ष	
(ख)	,, ,,	१२,००,०००	१९६०–६१	वाटर वर्क्स के निर्माण हेतु	४½ प्र. ,,	६.६ लाख गेलन पानी प्रतिदिन राज्य सरकार की आज्ञा पर दूसरों को भी निर्धारित दर पर देना होगा।
२	मेसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स लि० कानपुर	३०,००,०००	१९५८–५९	उदयपुर में १५ हजार स्पिन्डल वाली मिल	६ ,, ,,	यह ऋण देवस्थान के मद में से दिया गया।

१	२	३	४	५	६	७
३	(क) मेसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि० कानपुर	३०,००,०००	१९५९-६० (२०,००,०००) १९६०-६१ (१०,००,०००)	नाईलोन फेक्ट्री कोटा में लगाने हेतु	५ ,, ,,	
	(ख) ,,	२०,००,०००	१९६५-६६	नाईलोन फेक्टरी कोटा के विस्तार हेतु	१२ ,, ,,	ऋण व ब्याज का समय पर भुगतान करने पर ३ ३ प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायत।
	(ग) ,,	५०,५१,७१२-३२	१९६६-६७	,, ,,	१२ ,, ,,	,,
४	मेमर्स विजय नगर शुगर मिल्स लि० विजयनगर	३,८५,५४६-५८	१९५९-६०	किसानों को ऋण चुकाने हेतु राजस्थान वित्त निगम से ऋण गारंटी पर दिलवाया था। अब राज्य सरकार ने राजस्थान वित्त निगम का चुकारा कर दिया है।	६½ ,,	लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत् वसूली हो रही हैं। कुकशुदा मशीन आदि का ब्योरा बन रहा है।

१	२	३	४	५	६	७
५	मेसर्स कमानी इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड	४,५०,०००	१९६५–६६ १९६६–६७ १९६७–६८	पिग आईरन प्लान्ट उदयपुर के लिए जमीन लेने व मुआवजा देने हेतु।	७ ,,	१५,७०० रुपया ६५–६६ में तथा २,५०,००० रु. ६५-६६ में इसके लिए दिया गया। शेष इस वर्ष खर्च होने की संभावना है।
		२,१०,८७,२५८-९०				

परिशिष्ट ३

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

नायब तहसीलदार, त० कामां द्वारा दौरा

८८८. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या भू-राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नायब-तहसीलदार, तहसील कामां, जिला भरतपुर ने अभी अभी पटवार सर्किल ग्रोलन्दा का दौरा किया था ? यदि हां, तो यह दौरा किस तारीख को और किन–किन ग्रामों का किस सम्बन्ध में किया गया और किस–किस ग्राम में वे किन–किन व्यक्तियों से मिले और क्या कार्य किया ?

(२) क्या उन्होंने दौरे में कुछ व्यक्तियों के बयानात भी लिये गये थे ? यदि हां, तो उन बयानात के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह भी सही है कि नायब-तहसीलदार के साथ दूसरा कोई सरकारी कर्मचारी दौरे में साथ नहीं था ? यदि नहीं, तो कौन–कौन किस किस पद के व्यक्ति उनके साथ थे ?

उत्तर

(१) जी हां दिनांक २०, २१ मई सन् ६७ को यह दौरा ग्राम माची, नीमला, ग्रोलन्दा, जजनको, घोघोर एवं खेड़ा में किया। यह दौरा नामान्तर करण की तसदीक, मुग्रायना पटवार घर व कागजात पटवार व शिकायत खिलाफ पटवारी के सम्बन्ध में किया गया था। इस दौरे में नायब तहसीलदार १५४ व्यक्तियों से मिले। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) जी हां। नायब तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट सब डी० वी० ग्रो० दीग व जिलाधीश भरतपुर को प्रस्तुत कर दी है, जो अभी उनके विचाराधीन है।

(३) जी नहीं। नायब तहसीलदार के साथ हरिनारायण गिरदावर हल्का व श्री रामप्रसाद सुतर सवार थे। ग्राम नीमला में पटवारी हल्का भी साथ थे।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत रेणी को पशु मेले से ग्रामदनी

८८६. श्री समर्थलाल : (राजगढ़) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम पंचायत रेणी तहसील राज-गढ़ जिला ग्रलवर का पशु मेला किस वर्ष में शुरू हुग्रा था ?

(२) इस मेले से पंचायत को ग्राज तक कितनी ग्रामदनी हुई है ?

(३) इस मेले से प्राप्त हुई धनराशि का क्या उपयोग किया जाता है ?

(श्री समर्थलाल)

(४) क्या राज्य सरकार को इस मेले से कोई लाभ होता है ?

उत्तर

(१) ग्राम पंचायत द्वारा पशु मेले का आयोजन सन् १९५६ में किया गया था ।

(२) १,०६,३८१)६६ की आय हुई है ।

(३) निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाता है ।

(४) जी हां ।

मोरेल बांध की काश्त की भूमि का लगान.

८६०. श्री पृथ्वीराज (बामनवास) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है, कि जिला सवाई माधोपुर में बने हुए मोरेल बांध की काश्त की भूमि का लगान पैदावार का १६ गुणा तहसील अदा करती है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों तथा अगर नहीं तो किस रेट से इस बांध की काश्त की भूमि का लगान लिया जाता है ?

उत्तर

मोरेल बांध से सिंचित होने वाला क्षेत्र अभी कमान्डेड क्षेत्र घोषित नहीं हो पाया है और इस कारण उस क्षेत्र में स्थाई भूमि आवंटन अभी बंद है । अस्थाई तौर पर केवल एक वर्ष के लिए उक्त क्षेत्र में भूमि का आवटन किया जाता है और ऐसी काश्त की भूमि का लगान सेटलमेन्ट से निर्धारित व रजिस्टर चक बन्दी में दी हुई रेट के अनुसार वसूल किया जाता है । अनाधिकृत रूप से काश्त करने पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ की धारा ९१ के तहत बेदखली की कार्यवाही की जाती है तथा पैनल रेट पर लगान वसूल किया जाता है ।

गम्भीरी बांध की डूब में आई भूमि का लगान

८९१. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गम्भीरी बांध के डूब में आने वाले किसानों से अभी तक लगान लिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे कितने किसान हैं जिनसे लगान वसूल हो रहा है तथा कितनी धनराशि किस-किस किसान से वसूल हो रही है ?

(२) क्या अब तक का जमाशुदा लगान, जब से यह भूमि डूब में आई है, उन किसानों को वापस देने का विचार है ?

उत्तर

(१) गम्भीरी बांध के डूब में आने वाली भूमि का किसी भी किसान से लगान वसूल नहीं किया जा रहा है ?

(राजस्व मंत्री)

(२) जब ऐसा लगान किसी से वसूल ही नहीं हुआ तो वापस देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

तहसील पाली के ग्रामों में भूमि का आवंटन

८९२. श्री दौलतराम आगरी (देसुरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सही है कि ग्राम खोड, बुसी, निम्बाड़ा तहसील पाली में दिनांक ३०-५-६७ को भूमि आवंटन हेतु कमेटी रखी गई थी ?

(२) उक्त ग्रामों में दिनांक ३०-५-६७ को भूमि आवंटन किया गया था या नहीं ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

(३) क्या उक्त ग्रामों में भूमि आवंटन करने हेतु तहसीलदार पाली ने अपने दौरे का कार्यक्रम बनाया था ?

(४) क्या सम्बन्धित एम० एल० ए० को निमंत्रित किया गया था और वह एम० एल० ए० इस अवसर पर उपस्थित भी हो गया था ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) दिनांक ३०-५-६७ को उक्त ग्राम खोड़, बूसी व निम्बाड़ा में भूमि आवंटित कहीं की गई क्योंकि तहसीलदार पाली जब पाली से बूसी के लिये रवाना हुये तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी अतः उक्त तीनों गांवों में वे भूमि आवंटन हेतु समय पर नहीं पहुँच सके ।

(३) जी हां

(४) जी हां, संबंधित विधान सभा सदस्य को आमंत्रित किया गया था, किन्तु वे वहां उपस्थित हुए या नहीं, इसके बारे में कुछ नही कहा जा सकता क्यों रास्ते में तहसीलदार की गाड़ी खराब हो जाने से वे उक्त ग्रामों में समय पर नहीं पहुंच सके थे ।

पंचायत समिति भिनाय द्वारा अनुदान में दी गई धनराशि

८९३ **श्री जसराज** (भिनाय) : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् १९५९-६० से १९६१-६२ तक पंचायत समिति भिनाय में नवयुवक मण्डल, विकास मण्डल एवं भारत सेवक समाज को कितनी रकम अनुदान के रूप में दी गई थी ?

(२) उक्त रकम में से कितनी-कितनी रकम किन-किन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दी गई ? तथा किन नियमों के अन्तर्गत यह राशि दी गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त रकम के कई व्यक्तियों एवं संस्थाओं, ने मई, ६७ तक किसी प्रकार के हिसाब पेश नहीं

(श्री जसराज)

किये हैं ? तथा इस राशि का गबन एवं दुरुपयोग किया गया है ?

(४) ऐसे मामलों की छानबीन करने हेतु कितने मुकदमें आज तक सरकार ने रजिस्टर किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) भविष्य में सरकार उपरोक्त रकम की वसूली कब तक कर लेगी एवं दोषी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहती है और कब तक करने का विचार है ?

उत्तर

(१) कुल १,५७,६२६-६८ पैसे अनुदान के रूप में दिये गये थे।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। अनुदान पंचायत समिति के प्रस्ताव के अनुसार दिया गया था।

(३) कुल ५३ संस्थाओं ने अभी तक हिसाब प्रस्तुत नहीं किया हैं। पूरी जांच व अवेक्षण हो जाने के बाद ही गबन एवं दुरुपयोग होने का पता लग सकेगा।

(४) जिन संस्थाओं ने रकम का उपयोग नहीं किया है उनके मामलों में उप खंड अधिकारी केकडी द्वारा प्रारम्भिक जांच की जा रही हैं।

(५) जांच पूरी हो जाने व हिसाब की छानबीन कर लेने के बाद ही रकम वसूली की कानूनी कार्यवाही तथा सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। पंचायत समिति द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं के अध्यक्षों को रकम वसूली के लिए नोटिश जारी कर दिये हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

सब-डिवीजनल आफीसर, फतहपुर की अदालत में विचाराधीन मामले

८६४ श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) श्री सूर्यकरण, आर० ए० एस० सब डिवीजनल ऑफिसर, फतहपुर ने जिस समय फतहपुर सब-डिवीजन कार्यालय का कार्य भार सम्भाला उस समय कितने मुकदमें (केसेज) अदालत में विचाराधीन (पैंडिग) थे ?

(२) चार्ज लेने के पश्चात् अब तक कितने नये मुकदमें (केसेज) अदालत में प्रस्तुत हुये तथा इन समस्त मुकदमों में से कितनों का निर्णय हुआ एवं इस समय कितने पेंडिंग हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सब-डिवीजनल ऑफिसर, फतहपुर राज्य सरकार के आदेशानुसार समय पर अदालत में नहीं आते है और न ही पूरे समय तक अदालत में रहते हैं।

उत्तर

(१) कुल ३२६ मुकदमें बकाया थे ।

(२) चार्ज लेने के बाद ५९७ केसेज प्रस्तुत हुये इनमें ४०१ पर निर्णय हो चुका तथा ५२५ अब कुल बकाया हैं ।

(३) जी नहीं ।

ग्राम पंचायत बिलाडा को सड़क बनाने के लिए अनुदान

८९५. श्री कालूराम आर्य (बिलाडा) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत बिलाडा को पंचायत समिति बिलाडा द्वारा पंचायत क्षेत्र में सड़क बनाने हेतु अनुदान वर्ष १९६४ में दिया गया ? यदि हाँ, तो कितना-कितना रुपया किस-किस तारीख को ?

(२) क्या यह भी सच है कि अभी तक उक्त कार्य नहीं कराया गया है ?

(३) क्या यह भी सच है कि उक्त सारी राशि भूतपूर्व सरपंच ने जानबूझ कर बिना इकरारनामा लिखाये ठेकेदार को अग्रिम दे दी ?

(४) क्या यह भी सच है कि जिला विकास अधिकारी व जिलाधीश को बार बार लिखने पर भी पंचायत की उक्त कार्य पूर्ण करवाने व भूतपूर्व सरपंच से रकम वसूल करने के बारे में कोई सहयोग नहीं दिया है ?

(५) क्या यह भी सच है कि आडिट ऐतराज की पालना के लिए भी जिलाधीश कोई कदम नहीं उठा रहे है ।

(६) क्या सरकार पंचायत को दिये गये अनुदान की राशि के जानबूझ कर किये गये अपव्यय को रोकने व उस रकम को वापिस वसूल करने की शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(७) अब तक कार्यवाही न किये जाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(१) सड़क के निर्माण हेतु:—
२५-२-६४ को १०००) रु०
३१-३-६४ को १०००) रु०
२८-१२-६४ को ८००) रु०
२८-१२-६४ को ८००) रु०
अनुदान दिया गया ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं ।

(५) आडिट रिपोर्ट की नियमानुसार पालना कराई जा रही है ।

(६) जी हां । प्रारम्भिक जांच की जा रही है । जांच प्रस्तावेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।

(पंचायत मन्त्री)

(७) जांच के दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

तहसील अनूपगढ़ में सीलिंग

कानून के बाद भूमि का अलाॅटमेंट या एक्सचेन्ज

८९६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील अनूपगढ़ में श्री गोरधन दास, पुत्र श्री महादेव प्रसाद पाण्डे भूतपूर्व आई० जी० पी० एवं उनके दो भाई श्री चन्दूलाल एवं दीनदयाल को कुल मिलाकर ३०० बीघा जमीन सन् १९६४-६५ में अलाॅट अथवा एक्सचेन्ज की गई ? यदि हां, तो इसकी कितनी कीमत वसूल की ? यदि वसूल नहीं की तो क्यों नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त अलाॅटमेंट या एक्सचेंज जिस वक्त किया गया उस समय सिलिंग कानून लागू हो चुका था ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में यह सिलिंग की सीमा से ज्यादा था ? अगर हां, तो यह अलाॅटमेन्ट कैसे किया गया ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कोटा में आदिवासी छात्रावास के लिये भूमि

८९७. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हाड़ौती, आदिवासी छात्रावास भवन के निर्माण हेतु, हाड़ौती आदिवासी सामाजिक सुधार संघ द्वारा छत्रपुरा कोटा के तालाब के पास प्लाट देने के बारे में प्रशासन विभाग की स्वीकृति हो गई थी, जिसके बारे में, १५ सितम्बर, सन् ६६ को एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि वित्त विभाग द्वारा कुछ जानकारी मांगी गई है उसका उत्तर प्राप्त होते ही, हम छात्रावास हेतु प्लाट स्वीकृत कर देंगे ?

(२) क्या वित्त विभाग द्वारा चाही गई जानकारी दे दी गई ? यदि हां तो फिर छात्रावास निर्माण हेतु प्लाट दिये जाने में देरी क्यों हो रही है ?

(३) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त छात्रावास के निर्माण हेतु प्लाट की मांग १९५९ से चल रही है जब कोटे के विकास क्षेत्र में जमीन काफी मात्रा में उपलब्ध थी ?

(४) यदि हां, तो सरकार उस छात्रावास को अब कब तक जमीन देने का इरादा रखती है।

उत्तर

(१) जी नहीं, अभी मामला विचाराधीन है।

Page No. 154

(राजस्व मन्त्री)

(२) जी हां, कुछ और जानकारी चाही गई है ।

(३) जी नहीं, भूमि की मांग मण्डी कमेटी को दिनांक २९ मई, सन् १९६२ को की गई थी ।

(४) निर्णय होने पर आदेश जारी कर दिए जावेंगे ।

तहसीलदार फतेहपुर के विरुद्ध गबन के आरोप

७३४. श्री आलम अली (फतेहपुर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि फतेहपुर तहसील के तहसीलदार के विरुद्ध अनाज में गबन के आरोप की जांच कलेक्टर व ट्रेजरी ऑफीसर व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने की ? अगर हां, तो किस-किस ऑफीसर ने किस-किस तारीख को जांच समाप्त की ?

(२) यदि कोई जांच हुई है तो जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास कब पहुंची और राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं की, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त तीनों ही रिपोर्टों में तहसीलदार के विरुद्ध गबन के गम्भीर आरोप को प्रमाणित पाया गया है ?

उत्तर

(१) यह मामला अनाज के गबन का नहीं है बल्कि तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा ज्वार के निर्धारित दर से कम दर पर बेचने के कारण सरकार को २७,०९३ रुपये की आर्थिक हानि होने का है । इसकी जिलाधीश, सीकर ने ट्रेजरी आफिसर, सीकर एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करवाई थी । ट्रेजरी ऑफिसर ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, सीकर को १९-९-६६ को प्रस्तुत की थी एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने यह जांच दिनांक ५-१-६७ को समाप्त की थी ।

(२) जो जांच ट्रेजरी आफिसर, सीकर द्वारा की गई थी उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास सितम्बर, ६६ में प्राप्त हुई थी । उस पर राज्य सरकार ने तहसीलदार फतहपुर के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करने हेतु जिलाधीश, सीकर को आदेश दिये थे । जिलाधीश, सीकर ने आरोप का प्रारुप तैयार कर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को पहुंचा दिया जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने मामले की जांच करके उसे राजस्व मण्डल को जनवरी, ६७ में भेजा । राजस्व विभाग द्वारा आरोपों की जांच हो रही है, जो अभी पूरी नहीं हुई है ।

(३) ट्रेजरी आफिसर एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जो आरोप तहसीलदार फतहपुर के विरुद्ध लगाये हैं वे सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने का है न कि गबन का । इन दोनों की जांच के अनुसार तहसीलदार फतहपुर के विरुद्ध आरोप सही

(खाद्य मन्त्री)

प्रतीत होता है । किन्तु वास्तव में यह आरोप किस ?

ग्राम कुसुम्बी अलिपुर में कुओं के लिए दिये गये ऋण का उपयोग

७३७. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम कुसुम्बी अलिपुर तहसील लाडनूं जिला नागौर में १ अप्रेल, १९५६ से ३१ मार्च, १९६७ तक कितने व्यक्तियों को खेती के कुए बनाने के लिए ऋण दिया गया और उनके पास कितनी-कितनी बीघा भूमि है ? सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या राज्य सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है कि कितनी भूमि होने पर खेती के लिये कुआ बनाने के लिए ऋण दिया जाय ?

(३) उपरोक्त ग्राम में जिन व्यक्तियों ने कुए नहीं बनाये उनसे रकम वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(४) क्या राज्य सरकार ने उक्त ग्राम में कृषि कुओं के लिये दिये गये ऋण का समय पर ऋण लेने वालों ने सही उपयोग किया या नहीं इस बात की जानकारी समय पर की ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ऋण लेने के बाद आज तक न तो कोई कुआ ही बनाया और न रकम वापस जमा करवाई है ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति द्वारा जो ऋण दिया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) रकम का पूर्ण उपयोग न करने के कारण पीनल ब्याज सहित रकम वसूली की कार्यवाही चालू है ।

(४) ऋण प्राप्त कर्ताओं द्वारा ऋण का उपयोग किया जाता है या नहीं इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर जानकारी की जाती है जिन व्यक्तियों ने रकम का पूर्ण उपयोग नहीं किया है उनके नाम सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है ।

पंचायत समिति लाडनूं द्वारा २-१०-'५९ से ३१-३-६७ तक ग्राम कुसुम्बी अलीपुर में कृषि कुओं के लिए दिए ऋण की सूची:—

क्र. सं.	नाम	ऋण की रकम	भूमि
१.	श्री भगवान दास पुत्र श्री डूंगर दास साध	६०००)	१८६ बीघा १० बिस्वा
२.	श्री लालूराम पुत्र श्री मोलूराम जाट	८०००)	७० बीघा १६ बिस्वा

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७३० का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति निवाई द्वारा भेड़-पालन हेतु दिये गये ऋण की सूची:--

क्र० सं०	नाम	ऋण की रकम	उपयोग किया गया
१.	श्री भंवरसिंह पुत्र भूर सिंह	१०००)	हां
२.	श्री लादू पुत्र श्री जूथा	१०००)	,,
३.	श्री सूजा पुत्र जगन्नाथ	१०००)	,,
४.	श्री रामरख पुत्र सूजा	१०००)	,,
५.	श्री रामकरण पुत्र सूजा	१०००)	,,
६.	श्री मोतीसिंह पुत्र रतनसिंह	१०००)	नहीं
७.	श्री भंवर सिंह पुत्र नन्द सिंह	५००)	,,
८.	भूरा पुत्र रामबक्स	१०००)	,,
९.	लाला पुत्र चन्द्रा	१०००)	हां
१०.	हजारी लाल पुत्र चन्द्रा	१०००)	नहीं

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६४५ का उत्तर देखिये)

सूची

परबतसर पशु मेले की कमेटी के सदस्य निम्नांकित हैं :-

१.	जिलाधीश	चेयरमैन
२.	उप-निदेशक, पशु-पालन विभाग, बीकानेर	वाइस चेयरमैन
३.	पुलिस अधीक्षक—नागौर	—सदस्य
४.	वाणिज्य कर अधिकारी—नागौर	—सदस्य
५.	सब-डिविजनल आफिसर-परबतसर	—सदस्य
६.	विद्यालय निरीक्षक -नागौर	—सदस्य
७.	जन सम्पर्क अधिकारी —नागौर	—सदस्य
८.	जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी —नागौर	—सदस्य
९.	जिला कृषि अधिकारी —नागौर	—सदस्य
१०.	सहायक अभियनता, भवन निर्माण विभाग, डीडवाना	—सदस्य
११.	ट्राफिक निरीक्षक रेल्वे-डेगाना	—सदस्य
१२.	तहसीलदार – परबतसर	—सदस्य
१३.	जिला पशुपालन अधिकारी—नागौर	—सचिव
१४.	प्रमुख जिला परिषद -नागौर	—सदस्य
१५.	श्री जेठमल, सदस्य विधान सभा—मकराना	—सदस्य

१६.	प्रधान पंचायत समिति, परबतसर	–सदस्य
१७.	प्रधान पंचायत समिति, मकराना	–सदस्य
१८.	श्री मदनमोहन एडवोकेट –परबतसर	–सदस्य
१९.	चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड – ,,	–सदस्य
२०.	श्री करणसिंह, श्यामपुरा	–सदस्य
२१.	श्री बिरमाराम मेजर, बोरावड़	–सदस्य

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ का उत्तर देखिये)

पाली जिले में सम्वत् २०२३ में खरीफ प्रभाव ग्रस्त गांवों की सूची :—

१. गरवलिया

२. पुस्तारी

३. भीलड़ा

४, माडपुरीया

५. बींजा

६. सिराना

७. पांचपदरिया

८, खुटानी

९. रेवड़ी खुर्द

१०. सम्बड़ा

११. गेलावास

१२. माखरीवाला

१३. मंडली दर्जियान

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं. ६५४ का उत्तर देखिये)

जिलाधीशजी नागौर द्वारा संवत् २०२३ की खरीफ फसल का निरीक्षण विवरण

तारीख	नाम गांव	विवरण हालत फसल
	तहसील—मेड़ता	
१४-९-६६	गागूडा, घघवाड़ा, कूपरास, मेड़ता रोड़, रींया, श्यामदासरोल	सन्तोष जनक
	चांदावता, चकहरसोलाव, जोगी मगरा, ढाढासनी, मोकाला,	,, ,,
	कलरू, लावा, गठिया ।	,, ,,
१५-९-६६	सूबडंड, रेण ।	सन्तोष जनक
१-१०-६६	पादूकला कंवारियावट, थाट लांपोलाई, चोलेरावखुर्द,	,, ,,
	नेवडीया ।	,, ,,
	तहसील—डेगाना	
१५-९-६६	नीबोला, आतरोली, जालसू, सांवरला, सिरासणा, सूंदरी	सन्तोष जनक
	मोडटिया ।	,, ,,
१-१०-६६	थांवला, घानीपुरा, नीबोला, मैरूदा, डोडीयान, थाटा ।	अच्छी
	तहसील—परबतसर	
१५-९-६६	जावला, लूणीयास, हरसोर, मकरी, बागोट कंवलाद, नेनीया,	बहुत अच्छी
	रोहीडी, पीपलाद, श्यामपुरा।	,, ,,
१६-९-६६	लोखरु, गंगवा, मंगलाना, बड़गांव, नारायणपुरा, मंडावरा,	सन्तोष जनक
	तिरसंगीया ।	,, ,,
	तहसील—डीडवाना	
१६-९-६६	रसीदपुरा, नीबोद, मोलासर, छापरी, कीचका, दौलतपुरा,	अच्छी
	कोलिया, केराप, बोठड़ी ।	,,

६-१०-६६	रणसीवर, बाठड़ी, केराप ।	आठ आना से ऊपर फसल

तहसील—जायल

१६-९-६६	कटोती, जायल, तरनाऊ फरडोद, बूगरड़ा रोल	अच्छी

तहसील—नागोर

२० व २२-९-६६	चिमराणी ।	आठ आना फसल
	खरनाल, माकरोद ।	६ आना ८ आना खराब
	अहमदपुरा, टांकला ।	आठ आना से उपर
	जोरावरपुरा, गुडीया, खींवसर ।	खराब
	नागड़ी	सन्तोष ~~जनक~~

तहसील—नावां

१३-१०-६६	राजास, गोविन्दी, चौसला, लूणवा, मूंडपसोई, देवला, देवली, मींडा, ठिकारिया, शभूंपुरा, बावड़ी श्यामगढ, सोलीयाना, मारोड, भगवानपुरा, महाराजपुरा, आवास ।	६-१०-६६ की वर्षा होने से फसल अच्छी होने की सम्भावना ।

जिलाधीश नागौर द्वारा किए गये सहायता कार्यों का निरीक्षण विवरण

तारीख निरीक्षण	राहत कार्य का नाम	खामियां जो पाई गई एवं उनके सम्बन्ध में दिए गये निर्देशों का विवरण
३१-१-६७	भू-संरक्षण कार्य ग्राम लाई (मेड़ता)	कुछ मजदूर लड़के १२ साल की कम उम्र के पाए गये उनको श्रामदान रखे जाने का आदेश दिया ।
४-४-६७	ग्राम बिठन मेड़ता-पिपाड़-सड़क	मस्टर रोल कोरे कागजों पर पाई गई । कार्य अकाल ग्रस्त क्षेत्र में न होने से बन्द करने का आदेश ।

Page No. 162

१३-४-६७	१—खाटू बाढडी सड़क २—खाटू तरनाऊ सड़क	
२०-४-६७ व	मेड़ता सिटी, रींया श्यामदास	मौके पर वक्त जांच मजदूर नहीं मिले, कार्य बन्द करने का सुझाव दिया।
२१-४-६७	लाई—(भू-संरक्षण कार्य)	
६-५-६७	मदवासी गंठलिसर सड़क	
१७-५-६७	नागौर बैराकल सड़क	
	१—कैंप, सिगड, गुडाभगवानदास नंदवानी, रातंगा	कार्य गधों द्वारा करवाया जाना पाया गया कार्य मजदूरों द्वारा करवाने का आदेश दिया गया।
	२—कैंप डिंगसरा	(१) सड़क एलाइनमेंट का ठेका है उसके तय होने पर कार्य किया। (२) कार्य मेजरमेन्ट बेसिस पर कराया जाना नहीं पाया गया मेजरमेण्ट बेसिस पर कराया जाने का आदेश दिया। (३) मजदूर कार्य ठीक तरह से न कर रहे थे व उक्त सड़क प्लान में नही थी, सड़क का कार्य बन्द करने का आदेश दिया गया।
२३-५-६७	मेड़ता सिटी १—नागौर सड़क	

Page No. 163

	२—मेड़ता रोड़ मेड़ता सिटी सड़क	
१६-९-६७	लाडनू सुनारी सड़क	
१८-६-६७	बाकलिया बलदू सड़क	
६-७-६७	नागौर इन्दाणा सड़क	मस्टररोल में मजदूरों की हाजरी ठीक नहीं पाई गई और फर्जी हिसाब बनाने के लिए केस पुलिस को दिया गया ।

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४६४ का उत्तर देखिये)

क्षेत्रफल (एकड़ों में)

कृषि योग्य भूमि

नाम जिला	कृषि योग्य भूमि क	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल ख	कृषि योग्य भूमि जिसमें खेती नहीं हुई। ग	सिंचित भूमि घ	असिंचित भूमि च
अजमेर	१४,३२,४४७	८,७०,६४४	५,६१,८०३	१,८६,८९०	६,८३,७५४
अलवर	१३,२४,३७०	१२,०१,३७९	१,२२,९९१	१,८१,०१४	१०,२०,३६५
बांसवाड़ा	७,२७,०७८	४,६६,०२७	२,६१,०५१	१५,१९८	४,५०,८२९
बाड़मेर	५९ १६,८३३	३४,०७,०९३	२५,०९,७४०	२०,२८३	३३ ८६,८१०
भरतपुर	१४,१४,८२५	१२,७३,४७४	१,४१,३५१	३,७२,४६८	९,०१,००६
भीलवाड़ा	१८,०२,७०५	६,२९,४९१	११,७३,२१४	२,६१,८८४	३,६७,६०७

Page No. 165

	क	ख	ग	घ	च
बीकानेर	६३,७३,६४४	१४,०३.२११	४६,७०,४३३	१३७	१४,०३,०७४
बून्दी	७,०२,१६८	५,२२,०५७	१.८०,१४१	१,६०,१८७	३,६१,८७०
चित्तौड़गढ़	१६,६२,१०२	७,६०,८०६	६,३१,२६३	१,८८,२७२	५,७२,५३७
चूरू	३८,७४,७७४	२७,२७,०६६	११,४७,६७५	३६४	२७,२६,७०५
डूंगरपुर	३,८६,२०६	२,७२,४६३	१.१६,७१६	२३,८३२	२,४८,६६१
गंगानगर	४८,७०,७८६	२६,६८,३२६	२१,७२,४६३	६,८४,७११	१७,१३,६१५
जयपुर	२६,२०,६८१	१८,०३,२२६	८,१७,७५२	४,६६,३५१	१३,३३,८७८
जैसलमेर	५२,००,६०३	४,७४,८१०	४७,२५,७९३	६६८	४,७४,११२
जालोर	२१,५८,२७६	१६,५४,५२४	५.०३,७५२	१,१४,३६२	१५,४०,१३२
झालावाड़	१०,१६,३६१	६,८७,८६६	३,२८,४६२	५७,५८४	६,३०,३१५
झुंझुनू	११,८३,६८७	१०,६७,५१४	८६,४७३	३४,८६२	१०,६२,६५२

	क	ख	ग	घ	घ
जोधपुर	४७,१०,६१५	२८,४४,८२८	१८,६५,७८७	५४,९३७	२७,८६,८६१
कोटा	१८,७०,३८३	१३,६३,८३४	५,०६,५४६	१,७६,४५४	११,८४,३८०
नागौर	३६,९५,८४३	२८,३३,१९२	६,६२,६५१	३८,६२२	२७,६४,५७०
पाली	२२,४४,४८१	१४,१२,४०६	८,३२,०७२	२,५१,३३४	११,६१,०७५
सवाई माधोपुर	१४,४०,२६८	१०,८७,२९७	३,५२,९७१	१,९३,६२१	८,९३,६७६
सीकर	१५,६०,८९६	१३,१५,४७०	२,४५,४२६	६१,१९२	१२,२४,२७८
सिरोही	६,१२,७४१	४,११,४९५	२,०१,२४६	६६,२८१	३,१३,२०६
टोंक	१३,६५,८३२	६,४७,६१७	४,४८,२१५	१,२५,१२४	८,२२,४९३
उदयपुर	१६,४१,७०३	७,५३,८८३	८,८७,८२०	२,२८,४१६	५,२५,४६७
योग	६,१६,७३,६४४	३,४६,२०,१०४	२,७०,५३,८४०	४३,३१,१४३	३,०५,८८,००१

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १८ जुलाई, १९६७)

स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१५	७ व १०	वसूली हैं, नहीं हैं	वसूली है, नहीं है
४५	५	अलॉटमेकटमेटी	अलॉटमेंट कमेटी
४६	११	गुडाह्	गुढ़ा
४६	१४	ता कृपया	तो कृपया
५०	६	काय	कार्य
५८	६	श्री मरोंसिह	श्री भैरोंसिह
५६	६	परिधि में)	पश्चिम)
५६	अंतिम से ८	उसको फैलो	उसको फोलो
६०	१	जाथ ।	जाय ।
६३	अंतिम से ४	पर रखना	पर रखवाना
६८	१५	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
७५	८	महारोल	महारावल
८४	११	मत्री महादव	मंत्री महोदय
१०१	३	उद्धत	उद्धृत
१०३	अंतिम से ८	सम न्ध	सम्बन्ध
१०६	अंतिम से ६	वचित	वंचित
१०७	८	ता मैं	तो मैं

१	२	३	४
११८	४	जिम्मेदागे	जिम्मेदारी
११८	११	कॉरपोन्डेंन्स	कॉरस्पोन्डेन्स
१२२	८	में	मैं
१२३	१६	श्री सतीशचन्द	श्री सतीशचन्द्र
१२५	१७	संत्री	मंत्री
१२६	अंतिम से ७	श्री माथुरादास	श्री मथुरादास
१२६	अंतिम से ६	मे	में
१२८	अंतिम	का जो	को जो
१३२	१	अन इक्वी वोकल	अनइक्वीवोकली
१३५	२	मुझाव	सुझाव
१४२	शीर्षक	अनु. सद. के तारां. प्रश्नो.	अतारांकित प्रश्नोत्तर
१४५	अंतिम से ८	मैं चल	में चल
१४७	६	सरकार मे	सरकार से
१५०	१	कितनी	कितने
१५१	१०	कनेटी	कमेटी
१६१	अंतिम से ७	इस	इसका
१६२	८	त्रेणियों	श्रेणियों
१७२	६	लिपट	लिफ्ट
२०३	अंतिम से ७	सर्विस मे	सर्विस के
२०५	अंतिम से ७	अनेप	अपने

१	२	३	४
२४२	अंतिम से ५	आधार	आधार
२४३	शीर्षक	(श्री वृजसुन्दर शर्मा)	(श्री वृजसुन्दर शर्मा)
२४३	६	सिकय	सिवाय
२४५	१८	नियत	नीयत
२४६	१४	कि यह या	कि
२४६	१८	उसको हम	उसको
२४६	१३	मत्री महोदय स	मंत्री महोदय ने
२४६	अंतिम से ६	मीख	भीख
२५१	अंतिम से ८	मैं	मैंने
२५५	५	पैनश्ता	नाश्ता
२५५	अंतिम से ४	रजिक्ट्रेशत	रजिस्ट्रेशन
२५५	अंतिम से २	एक्सकेन्ज	एक्सचेन्ज
२५६	अंतिम से २	अस्पृशो	अस्पृश्य
२५७	६	अन्तर्देशीन	अन्तर्देशीय
२५७	१६	को ध्यान	का ध्यान
२५६	अंतिम से १२	उनके	उनसे
२५६	अंतिम से ६	में वात बान	में बात
२६३	अंतिम से १२	के से नाम	के नाम से
२६६	अंतिम से ३	ठेस है	ठेस
२६६	अंतिम से २	उत्तरदायी	उत्तरदायित्व

१	२	३	४
२६७	१३	घुसकड़	घुमक्कड़
२६८	१०	देने	देते
२६८	१५	संस्थाग्रों के	संस्थाग्रों को
२६६	ग्रंतिम से १३	ममापति	सभापति
२७०	ग्रंतिम से १४	रुपपे वी	रुपये की
२७१	१	संध	संघ
२७२	२	चारित्र	चरित्र
२७३	३	टूकर्डों मे	टुकड़ों में
२७५	६	देखें	देख
२७५	ग्रंतिम से ६	राजस्थास	राजस्थान
२७७	शीर्षक	ग्रनुसू. व ग्रादिम जातिवों	ग्रनुसू. व ग्रादिम जातियों
२७७	१७	बस्त्रियां	बस्तियां
२७७	ग्रंतिम से ८	ग्राग हरि जन	ग्रगर हरिजन
२७८	ग्रंतिम	विद्याव	विद्यार्थी हैं
२७६	ग्रंतिम से ७	ठगते हा	ठगते हो
२८८	११	कुकशुदा	कुर्कशुदा
२६५	१	कहीं को	महीं की
२६६	ग्रंतिम से ४	प्रारम्भिक	प्रारम्भिक
३००	१	जांच के	जांच में
३०२ व ३०४	शीर्षक	-१३ जुलाई, १६६७-	-१८ जुलाई, १६६७-

	२	३	४
०३	अंतिम से ६	आफिसर	आफिसर
०४	२	आरोप किस ?	आरोप किस हद तक सही है इसका ठीक पता तभी लग सकेगा जब राजस्व मण्डल द्वारा मामले की विभागीय जांच पूरी करली जावेगी ।
३११	१	रणसीवर	रणसीसर
३११	३	कटोती	कठोती
३१२	शीर्षक	परिशिष्टि	परिशिष्ट